खण्ड-191, अंक-2
मंगलवार, 22 माघ, शक संवत् 1879
(11 फरवरी, 1958 ई0)

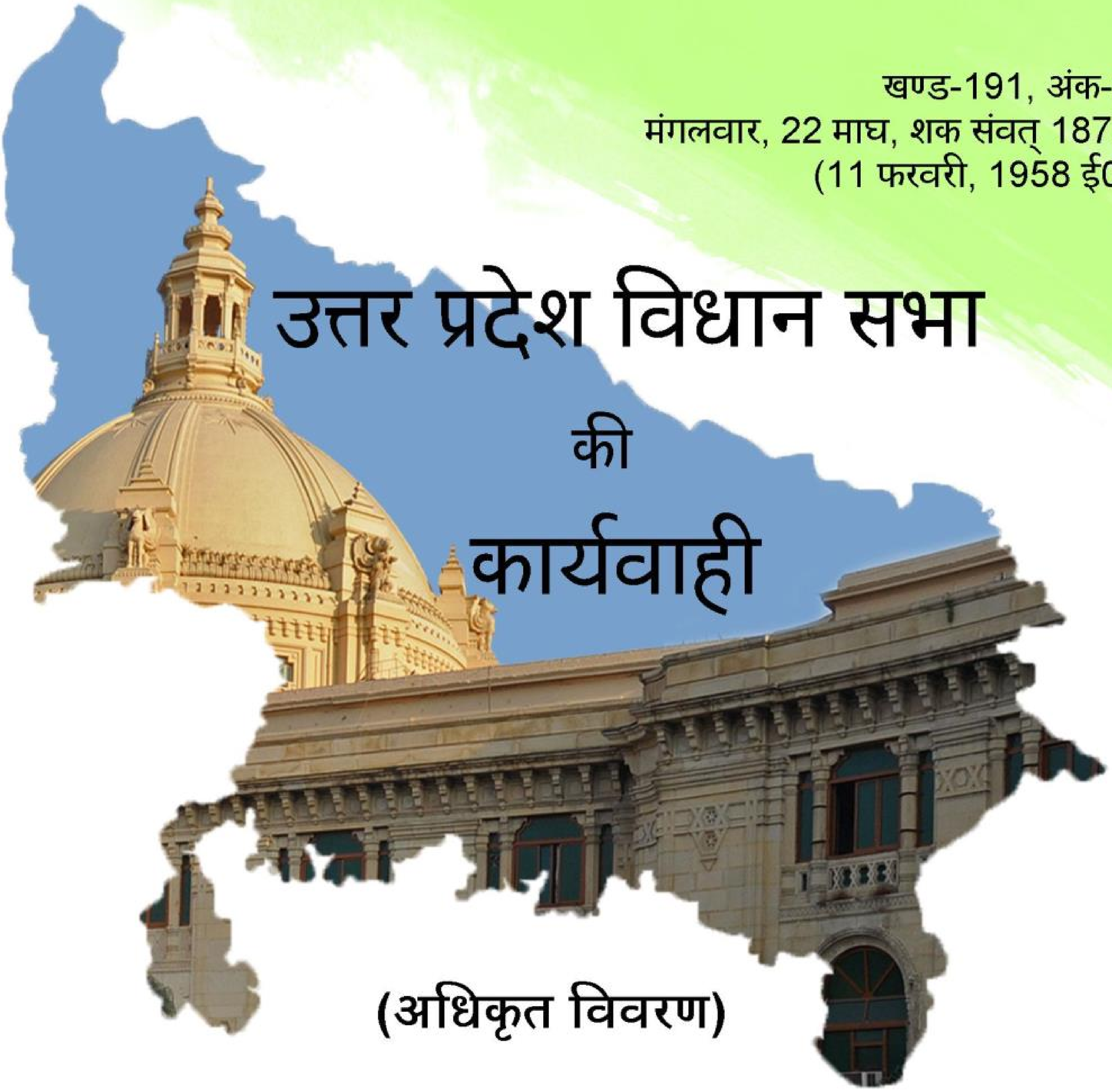

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 191 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

---

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| सरैया चीनी मिल सरदारनगर (गोरखपुर) में किसान सत्यग्रहियों पर मिल के सिपाहियों तथा गुन्डों द्वारा मारपीट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | १११–११२ |
| सरकार द्वारा कतिपय उद्योगपतियों को ऋण देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. | ११२ |
| कानपुर की कतिपय मिलों से एलेक्ट्रिसिटी डयूटी के संचित देय भू-राजस्व के ढंग से वसूल न किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | ११३–११४ |
| बाराबंकी जिले के केन कमिश्नर द्वारा कुछ विशेष व्यक्तियों का गन्ना रिजर्व में लिये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की (सूचना प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. .. | ११५ |
| सरकारी उच्चाधिकारियों को जमीन, सीमेंट, लोहा आदि देने के बारे में मुख्य मन्त्री द्वारा स्वयं जांच न करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | ११५ |
| महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना | ११५–११६ |
| उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ (जारी) .. .. | ११६–१२४ |
| उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया) . | १२४ |
| उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया) .. | १२४–१२५ |
| उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित) .. .. | १२५–१२८ |
| महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड, स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के निर्वाचन के कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना .. .. .. | १२९ |
| उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर विवाद—जारी) .. .. | १२९–१५५ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | १५६–१६८ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य (३४४)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबासिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री

रामर्मूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखधनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

# प्रश्नोत्तर

## मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८ ई०

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### विधान भवन तथा विधायक निवास के बीच पुल बनवाने की कथित योजना

**१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह न्यू विधायक निवास और विधान भवन के बीच के मार्ग पर कोई पुल बनाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल के सम्बन्ध में पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

वित मन्त्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—जी नहीं ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विधायक निवास से विधान भवन तक आने के लिए माननीय सदस्यों को १०-१० और १५-१५ मिनट तक सड़क अवरुद्ध हो जाने के कारण सड़क पर रुकना पड़ता है और बाज-बाज दफा दुर्घटना ग्रस्त होते-होते माननीय सदस्य बच जाते हैं ?

श्री धर्मसिंह—जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि एक-एक सदस्य को १०-१० और १५-१५ मिनट तक विधान भवन में आने के लिए रुकना पड़ता है, इसकी कोई इत्तला सरकार को नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि बीच के मार्ग में पुल इसलिये नहीं बन रहा है कि बीच के मार्ग में विधान सभा के लिए कोई नया भवन बनने जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

### प्रादेशिक प्रशासन सम्बन्धी बचत कमेटी के निर्णयों की जानकारी

**२—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक प्रशासन के व्यय में सरकार ने जो कमी अथवा बचत करने के निर्णय किये हैं वह क्या हैं ?

**३—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह बचत अथवा कमी कितनी स्थायी रूप से होगी और कितनी अस्थायी रूप से होगी ?

श्री धर्मसिंह—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वे सिंचाई विभाग के ५ चीफ इंजीनियर्स को कम करके केवल १ ही इंजीनियर रखने की सोच रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—जैसा प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि सूचना एकत्रित की जा रही है एकत्र होने के बाद ही बतलाया जा सकेगा कि क्या कार्यवाही होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बचत कमेटी का अन्तिम निर्णय कब तक प्रकाशित हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—प्रकाशन का जहां तक सम्बन्ध है बचत कमेटी की कुछ बातें विचाराधीन हैं और एक-आध रिपोर्ट प्रस में गई हुई है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---बचत कमेटी के अन्तिम निर्णय २३ जनवरी को हो चुके थे और यदि ये अन्तिम निर्णय बन चुके हैं तो क्या मेज पर ये निर्णय विवाद के लिये प्रस्तुत किये जायंगे ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, विधान सभा के सम्मुख रखने की उसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में अभी तक कौन-कौन से निर्णय लागू किये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---यह तो उत्तर दे चुका हूं कि उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है । जब वह प्राप्त हो जायगी तब बतलायी जा सकेगी ।

इटावा जिले के औरैया पशु चिकित्सालय में पशु-चिकित्सक का न होना

**४---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के औरैया कस्बे में पशु-पालन विभाग में डाक्टर काफी समय से नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री के सभा-सचिव ( श्री बलदेवसिंह आर्य )---औरैया पशु-चिकित्सालय में २४ दिसम्बर, १९५७ से पशु-चिकित्सक (Veterinary Assistant Surgeon) नहीं है । इसका कारण पशु चिकित्सक की कमी है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलायेगी कि जो पशु-चिकित्सक पहले वहां थे उनको ट्रान्सफर किया गया है या छुट्टी चले गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो कमी है कितने दिन में पूरी हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---डिपार्टमेंट का एक स्टैंडिंग आर्डर है कि कोई अस्पताल बिना डाक्टर के ६ महीने से ज्यादा नहीं रहेगा । लिहाजा टर्न बाई टर्न भेजा करते हैं । जब इसका टर्न आ जायगा तो यहां भी डाक्टर भेज दिया जायगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब तक डाक्टर नहीं पहुंचता है तबतक वहां पशुओं के इलाज की कोई और व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्वालिफाइड कम्पाउंडर रहता है और लाइव स्टाक सुपरवाइजर के जरिये से काम होता है ।

आजमगढ़ जिले में अमिला, दोहरीघाट तथा घोसी स्टेशनों का गन्ना पेरने के लिये प्रबंध करने की प्रार्थना

**५---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में अमिला, दोहरी घाट और घोसी रेलवे स्टेशनों पर प्रतिवर्ष की भांति इस साल अभी तक किसी भी शुगर फैक्टरी का कांटा नहीं लगा है ?

वित्त मंत्री (श्री हफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अमिला शाहगंज फैक्टरी से ८३ मील है । शाहगंज फैक्टरी अपनी खुशी से अमिला का गन्ना लेने को तैयार नहीं थी मगर केन कमिश्नर ने अमिला शाहगंज फैक्टरी की तरफ लगाया । इसके खिलाफ शाहगंज फैक्टरी ने अपील किया था जिस पर फैक्टरी के खिलाफ हुक्म हुआ, उनको इत्तला दी जा चुकी है । दोहरीघाट में न पिछले साल कांटा लगा न इस से पहिले । घोसी पर प्लानिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो एक

सरकारी संस्था है, वहां के कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा कशर लगाया है। घोसी का गन्ना इसमें कश होगा। इस कोआपरेटिव सोसाइटी ने सरकार से यह भी कहा कि घोसी का गन्ना किसी मिल को न दिया जाय वह खुद उसको कश करने का इन्तजाम करेंगे।

**६—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को सूचना है कि इस विषय में प्रश्नकर्ता ने जिलाधीश, आजमगढ़ एवं केन कमिश्नर से बार-बार आग्रह किया किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्राप्त सूचनानुसार गन्ना आयुक्त के विभाग से माननीय सदस्य को टेलीफोन पर बात बतला दी जा चुकी थी।

**७—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उस क्षेत्र के लाखों मन गन्ने की खपत के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने की खपत के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

## गन्ने का मूल्य निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार को पत्र

**८—श्री गेंदासिंह तथा श्री व्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य सरकार ने इस वर्ष पेराई के सीजन में गन्ना के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई मत दिया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी हां।

**९—श्री गेंदा सिंह तथा श्री व्रजनारायण तिवारी—क्या यह सच है कि सन् १९५३-५४ में मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश गन्ना के मूल्य सम्बन्धी मामले में मध्यस्थ थे ? उसका क्या निर्णय हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी—सन् १९५३-५४ सीजन के उत्पादन पर चीनी मिलों से गन्ना उत्पादकों को चीनी के मूल्य में से अतिरिक्त हिस्सा दिलाने के संबंध में भूतपूर्व मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गन्ना उत्पादकों व चीनी मिलों के प्रतिनिधियों की Tripartite Conference २८ जून, १९५४ को नैनीताल में हुई। इस विषय में जो प्रस्ताव पास हुआ उससे केन्द्रीय सरकार को अवगत करा दिया गया था। तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किये गये formula के अधीन इस प्रदेश के गन्ना उत्पादकों का १९५३-५४ सीजन का जो हिस्सा निकलता था, वह अतिरिक्त मूल्य के रूप में सभी संबंधित मिलों द्वारा भुगतान किया जा चुका है।

श्री गेंदासिंह—सरकार ने क्या सलाह केन्द्रीय सरकार को दी ?

श्री रऊफ जाफरी—यह सलाह दी थी कि १ रु० ७ आने गेट डिलीवरी और १ रु० ५ आने रेल हेड्स पर दिये जायं।

श्री गेंदासिंह—इस विधान सभा के नियम के मुताबिक शुगर केन बोर्ड की मीटिंग से सलाह लेकर सरकार को केन्द्रीय सरकार को सलाह देनी चाहिये, सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री रऊफ जाफरी—उसकी वजह यही थी कि जब केन्द्रीय सरकार ने राय मांगी और उसके बाद जितना वक्फा था, यानी २८ सितम्बर को उनकी तरफ से मांगी गयी थी और १५ दिन के अन्दर जवाब चाहते थे, इसके अन्दर यह मुमकिन नहीं था कि बोर्ड की मीटिंग बुलायी जा सके, क्योंकि उसमें बिहार के भी मेम्बर हैं। उसमें सरकारी भी मेम्बर हैं, और गैर सरकारी भी मेम्बर हैं, जो दूर-दूर रहते हैं। उनको इतनी जल्दी नहीं बुलाया जा सकता था, इस वजह से बुलाया नहीं गया।

[ श्री रऊफ जाफरी ]

और एक बात माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि कोई ऐसी कानूनी पाबन्दी नहीं है कि लाजमी तरीके पर बिना बोर्ड से मशविरा किये हुए सरकार अपनी राय दे ही नहीं सकती। इसलिए वक्त कम था, सरकार ने अपनी राय भेज दी ।

श्री गेंदासिंह---यह जो १ रुपया ७ आने और १ रुपया ५ आने कीमत के लिए सिफारिश सरकार ने की, उसके लिए उसके सामने क्या आधार थे ?

श्री रऊफ जाफरी---जब इस पर विचार हुआ तो और सब बातों को सोच लिया गया । उसमें सोचा गया कि हमें ज्यादा चीनी पैदा करना है । इसलिए एक तो इसको कम नहीं करना चाहिये और ज्यादा बढ़ाने में यह दिक्कत थी कि जो और प्रदेशों में मिलें हैं उनके मुकाबले में हमारी मिलों को भी काम करना है । तो ऐसा न हो कि और ज्यादा बढ़ा दिया जाय तो हमारे यहां की चीनी के दाम उस परते से ज्यादा आ जायं । अगर हमारे यहां ज्यादा चीनी बनेगी तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और अगर रेट बढ़ाते हैं तो बम्बई और मद्रास की चीनी मिलों से कम्पीट नहीं कर सकते । इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए यह मुनासिब मालूम हुआ कि जो दाम थे वही कायम रखे जायं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कि यू०पी० और बिहार सरकार मिलजुल कर गन्ना बोर्ड में बैठकर गन्ना की कीमत वगैरह के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह दिया करती है, और बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को १ रुपये १२ आने मन की सिफारिश की तो यू० पी० की सरकार ने अपनी ओर से विपरीत सलाह क्यों दी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---केन्द्रीय सरकार को जवाब देने से पहले हमने बिहार सरकार से दरियाफ्त कर लिया था और उन्होंने कहा कि हम यही जवाब दे रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जवाब ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यही जो यहां दिया है ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार ने इस दाम की सिफारिश करने से पहले, बम्बई सरकार ने जो दाम बढ़ाने की मांग की है और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और मद्रास वगैरह की सिफारिशें हैं उन पर भी विचार किया था ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, इन पर भी विचार कर लिया गया था । एक बात तो यह है कि वहां गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा है और सीजन बहुत लम्बा होता है, इसलिये मुमकिन है वहां दाम बढ़ाये हों । लेकिन हमारे यहां सीजन बहुत छोटा होता है और १२० दिन से ज्यादा नहीं चलता है, इसलिये हमारे यहां कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ जाती है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से केन्द्र की एक कमेटी को यह गवाही दी गयी थी कि खेती से पैदा होने वाले धन और उद्योग से पैदा होने वाले धन में संतुलन होना चाहिये ?

श्री रऊफ जाफरी---ऐसा हुआ होगा लेकिन जो सवाल सामने था उससे इसका ताल्लुक मालूम नहीं होता है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कास्ट आफ प्रोडक्शन को बेसिस मानकर सलाह नहीं दी गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सिफारिश से ऐसी बात मालूम नहीं होती जैसा कि सवाल किया जा रहा है । जिन बातों के ऊपर कीमत मुकर्रर करने में विचार होना चाहिये, उन बातों को सामने रखते हुये यहां की सरकार इस परिणाम पर पहुंची कि जो कीमत १ रुपये ७ आने मन या १ रुपया ५ आने मन हैं, वह मौजूदा हालत में ठीक है और उसी की सिफारिश होनी चाहिए ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फी मन चीनी की कितनी कीमत को ध्यान में रखकर १ रु० ७ आ० मन गन्ने की कीमत की सिफारिश सरकार ने की है ?

श्री रऊफ जाफरी---जिस वक्त इस बात को सोचा जा रहा था उस वक्त जो भाव था उसी के हिसाब से तय की गयी थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या भाव था ?

श्री रऊफ जाफरी---अब वह तो इस वक्त याद नहीं है, नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री गेंदासिंह---क्या इस बात की जानकारी सरकार को है कि उसी की एजेन्सियों के जरिये केंद्रीय सरकार से यह सिफारिश की गयी है कि १ रु० ४ आ० मन से कम कास्ट आफ प्रोडक्शन गन्ने की नहीं पड़ती है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार ने क्यों १ रु० ५ आ० मन की सिफारिश की ?

श्री रऊफ जाफरी---जो माननीय सदस्य ने कहा इसकी जानकारी मुझको इस वक्त नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या सरकार को उत्तर प्रदेश केन फेडरेशन ने भी हिसाब लगाकर के इस बात की सिफारिश की थी कि गन्ने का भाव १ रु० १२ आ० मन होना चाहिये था ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, ऐसा हुआ था और वह राय केन्द्रीय सरकार तक पहुंचा दी गयी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उस पत्र को पढ़ देंगे अगर वह छोटा है या उसका मुख्य अंश पढ़ने की कृपा करेंगे जिसमें केन्द्रीय सरकार को १ रु० ७ आ० मन की सिफारिश की गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पत्र तो यहां नहीं है लेकिन फेडरेशन की जो राय थी वह भी उसके साथ केन्द्रीय सरकार को भेज दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष---माननीय नारायणदत्त तिवारी, आप स्पष्ट कर दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने यह प्रश्न पूछा था कि केन्द्रीय सरकार को मत देते हुये जो पत्र प्रान्तीय सरकार की ओर से लिखा गया कि १ रु० ७ आ० मन और १ रु० ५ आ० मन गन्ने का दाम हो उस पत्र को माननीय मंत्री जी पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी---वह पत्र इस वक्त मौजूद नहीं है ।

### गोंडा नगरपालिका में जलकल की व्यवस्था में विलम्ब

**१०---श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह गोंडा नगरपालिका में जलकल की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके विलम्ब के कारण पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां, विलम्ब का कारण यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की बहुत-सी नगरपालिकाओं में जल वितरण तथा जल-निकासी की योजनायें प्रारम्भ की गई थीं जिनमें से बहुत सी अधूरी पड़ी हैं । इनको पूरा करने के लिये लगभग १३२ लाख रुपया चाहिये । राज्य सरकार ने इनको पूरा करने के लिये भारत सरकार से सहायता करने का अनुरोध किया है । इस संबंध में वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में २० लाख रुपया प्राप्त हुआ है और अगले

[श्री रामस्वरूप यादव]

वित्तीय वर्ष में ९० लाख रुपया देने का उन्होंने आश्वासन दिया है । इतने धन से अधूरीपड़ी हुई सब योजनायें नहीं पूरी हो सकतीं । राज्य सरकार अपने कोष से नई योजनाओं को कार्यान्वित करने में असमर्थ है । अतः तब तक नई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये धन उपलब्ध नहीं हो सकता जब तक भारत सरकार नई योजनाओं के लिये अलग से आर्थिक सहायता न दें ।

श्री बलदेवसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ गोंडा के लिये सवाल किया था लेकिन जवाब मिला सारे सूबे का और गोंडा का कोई जिक्र इसमें आया नहीं और अगर आया है तो मैं समझ नहीं पाया । फिर भी मैं पूछता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोंडा नगरपालिका के अन्दर बोरिंग वगैरह का काम समाप्त हो चुका है, यानी आधा काम हो चुका है तो जो २० लाख रुपया मिला है उसमें इसे क्यों नहीं रखा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसलिये कि पहली योजनाओं पर पहले खर्च करना आवश्यक है ।

श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसका करीब करीब सम्पूर्ण कार्य समाप्त है और महज थोड़े से रुपयों के लिये बाकी पड़ा है ? २ वर्ष पहले-बोरिंग वगैरह हो चुकी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार को यह जानकारी है कि १/३ काम हो चुका है । बाकी नहीं हुआ है जिसमें करीब १०,७६,३०० रुपये खर्च होने को हैं ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि १०,००० रु० म्युनिसिपल बोर्ड, गोंडा, से जमा करा लिये गये और यह आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही वहां वाटर-वर्क्स बन जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह तो चीफ इंजीनियर ने फीस उनसे जमा करा ली है । उनका अनुमान भी तैयार कर लिया है और प्रोजेक्ट भी तैयार है ।

## सुल्तानपुर जिले में सैदपुर ग्राम के निकट नाले में हड्डियों और खोपड़ियों का मिलना

**११---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या २२ दिसम्बर, १९५७ को ग्राम सैदपुर, जिला सुल्तानपुर में सात व्यक्तियों की लाशें और अस्थिपंजर प्राप्त हुये ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---जिला सुल्तानपुर के ग्राम सैदपुर में किसी व्यक्ति की लाश नहीं प्राप्त हुई । बल्कि पांच खोपड़ियां (Skulls) तथा कुछ हड्डियां जिनमें ४ खोपड़ियां मनुष्यों की हैं और १ किसी जानवर की, अवश्य ग्राम सैदपुर के निकट जंगल के एक नाले में पाई गई थीं ।

**१२---श्री चन्द्रजीत यादव---यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का पता लगाने के निमित्त कि वह लाशें किसकी हैं और कैसे वहां आईं किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह खोपड़ियां तथा हड्डियां मिलते ही जांच आरम्भ कर दी गयी थी परन्तु अभी तक यह पता नहीं चल सका कि उक्त अस्थिपंजर किन व्यक्तियों के हैं । अभी इस संबंध में जांच एस० पी०, सुल्तानपुर के नेतृत्व में हो रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन हड्डियों और खोपड़ियों का पता किस तारीख को और किस के द्वारा चला ?

श्री कैलाश प्रकाश---थाने में कोई रिपोर्ट पहुंची । इस समय यह कहना कि किसके द्वारा पहुंची मुश्किल है, लेकिन २१ दिसम्बर, १९५७ को यह खोपड़ियां और हड्डियां पाई गईं थीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह हड्डियां और खोपड़ियां किसी विशेषज्ञ के पास भेजी गयी थीं यह जानकारी हासिल करने के लिये कि यह कितनी पुरानी हैं ? ये बच्चों की हैं या और अधिक अवस्था वालों की हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, उनकी जांच कराई गई मेडिकोलीगल प्रैक्टिशनर से और उनकी जांच से यह पता चलता है कि यह हड्डियां ४,५ महीने से ज्यादा दौरान की हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय इन हड्डियों और खोपड़ियों वाले केस की जांच खुफिया पुलिस के उच्चाधिकारी के द्वारा कराने पर विचार कर रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---अभी एस० पी० जांच कर चुके हैं और अगर कोई ऐसी आवश्यकता प्रतीत हुई तो देखा जायगा । लेकिन पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आई है, जिससे यह पता चलता है कि इन हड्डियों में ३ वर्ष के बच्चों की हड्डियां हैं, ५ वर्ष के बच्चे की एक हड्डी है, ११ वर्ष के बच्चे की १ हड्डी है और थोड़ी सी बड़े आदमी की हैं । एक जानवर की हड्डी है और कम से कम यह ६, ७ महीने पुरानी हैं । यदि और आवश्यकता प्रतीत हुई तो जांच करा ली जायगी ।

श्री राजनारायण---क्या मनानीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस व्यक्ति ने पहले सूचना दी उसको कुछ मांस के लोथड़े भी मिले थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इस स्थान पर हड्डियों के अलावा कुछ कपड़े भी मिले थे जिससे और कुछ पता चल सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, कुछ नहीं मिला है । डाक्टरों की जो रिपोर्ट है उससे यह पता लगता है कि यह ६ महीने पुरानी हैं । तो इस समय कपड़े-लत्ते मिल भी जायं और कपड़े रहे भी हों तो उससे कोई पता नहीं लग सकता ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या इन बच्चों और अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों की हड्डियों को देखते हुये यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किसी पूरे परिवार की हत्या हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उस जिले में और उस जिले के आसपास कहीं इस प्रकार से पूरे परिवार के मारे जाने का ऐसा कोई समाचार या सूचना या मुकदमा नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घटना के सम्बन्ध में कानपुर के मुहम्मद आजिम ने उस समय कोई रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई जिसके फलस्वरूप जांच हुई और ७ आदमियों के २ कुरते, २ धोती और मोटे कपड़े मिले थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---थाने में कोई रिपोर्ट कुरते बरामद होने की नहीं है । हड्डी बरामद हुई है और इसकी जांच की गई है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी के पास उस रिपोर्ट की, जो थाने पर इस सम्बन्ध में गई, कोई कापी है ? क्या वह उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

## तारांकित प्रश्न

### लखनऊ में रीजनल फूड कन्ट्रोलर के निवास स्थान का किराया

*१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि सरकारी अन्न इत्यादि को रखने के लिये लखनऊ में रीजनल फूड कण्ट्रोलर, लखनऊ के अधीन एक सरकारी गोदाम हुसैनगंज गोदाम के नाम से है ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसा कोई गोदाम नहीं है ।

*२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उस गोदाम के एक कमरे को छोड़कर अन्य भाग में रीजनल मार्केटिंग आफिसर, लखनऊ रहते हैं ? यदि हां, तो वे उस भाग का क्या किराया देते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—उपर्युक्त उत्तर के कारण इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

*३—श्री मदन पांडेय—क्या यह सही है कि उक्त रीजनल मार्केटिंग आफिसर एक सरकारी चौकीदार के अतिरिक्त २ चपरासी गोदाम और उनके घर की देखभाल के लिये रखे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री मदन पांडेय—इस उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय कोई गोदाम नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ महीने पहले वहां पर गोदाम था ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—हुसैनगंज के नाम से कोई गोदाम नहीं है । यह गोदाम सन् ४४ में कायम हुआ था और उसके बाद जब उसकी जरूरत नहीं रही तो उसको जो यहां के रीजनल मार्केटिंग आफिसर थे, उनको किराये पर दे दिया गया और अब वह उसी में रहते हैं ।

श्री मदन पांडेय—जितने समय तक वह उस गोदाम में रहे, क्या किराया देते रहे ? क्या इस पर कुछ प्रकाश मंत्री जी डालने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां । उसके पहले जो अफसर थे, कैलास चंद्र जी, वह रहते थे और वह ५० रुपया किराया देते थे । सरकार २५ रुपया किराया देती थी और उस के बाद जब वाजपेयी जी आये तो वह भी किराया देते थे । लेकिन जब से वह खाली हो गया तो ७५ रुपया वाजपेयी जी दे रहे हैं ।

*४-५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

### स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने के संबंध में जानकारी

*६—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पुराने नियम के अनुसार ६० वर्ष के उपरान्त एक-एक वर्ष के एक्सटेंशन देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार किया है और ५८ साल की आयु तक स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का कार्यकाल रखा है और विशेष परिस्थितियों में ६० साल तक एक्सटेन्शन देना स्वीकार किया है । ६० साल के बाद एक्सटेन्शन देने का सवाल इसलिये नहीं उठता ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह विशेष परिस्थितियां क्या हैं जिन में एक्सटेन्शन दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार द्वारा एक्सटेंशन नहीं दिया जायगा। स्थानीय निकाय स्वयं अपने कर्मचारियों को, अगर वह उनके कार्य से संतुष्ट हों, तो ५८ के बाद २ साल का एक्सटेन्शन दे सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि वह कौन से नियम हैं जिनके आधार पर यह स्थानीय निकाय एक्सटेंशन देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि स्थानीय संस्थाओं की बैठकों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां नहीं।

## १३० रुपये से अधिक वेतन न पाने वाले पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश

*७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फरवरी, १९५७ में पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इन्जीनियर ने कोई ऐसा आदेश निकाला है कि एक सौ तीस या उससे कम माहवार पाने वाले उस विभाग के कर्मचारियों का साधारणतः प्रोमोशन, बिना उस जिले से ट्रांसफर किये, न किया जाय जिसमें उन्हें पहले नियुक्त किया गया था ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां। सरकार द्वारा फरवरी, १९५७ में यह आदेश निकाला गया था कि पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी जिनका वेतन १३० रु० प्रति मास से अधिक न हो, साधारणतः उस जिले के बाहर स्थानान्तरित न किये जायं जिसमें उनकी प्रथम नियुक्ति हुई हो, जब तक उनको प्रोमोशन की वजह से बाहर भेजना जरूरी न हो या वे आपस में स्थानान्तरण के लिये रजामन्द न हों और अधिकृत अधिकारी उसकी स्वीकृति न दे।

*८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ऐसा आदेश निकालने का मुख्य कारण क्या था ?

श्री गिरधारीलाल—कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को एक जगह का व्यवस्थित जीवन तोड़कर दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करने में विशेष कठिनाई होती है जिसे दूर करने के लिये यह आदेश निकाले गये थे। यह सुझाव सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनस्संगठन समिति ने दिया था।

*९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार इसी प्रकार का आदेश इतना ही माहवारी वेतन पाने वाले यथासम्भव सब विभागों के कर्मचारियों के लिये निकालने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। यदि सदस्य महोदय चाहें तो इस पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

## खीरी जिले में सीमेंट व टीन के लिए प्रार्थना-पत्र

*१०—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बताएगी कि डी० एस० ओ० आफिस, खीरी में १९५६ की कितनी सीमेंट व टीन की दरख्वास्तें ऐसी पड़ी हैं जिन पर टीन तथा सीमेंट नहीं दिया गया ?

*११—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी से ३० जून, १९५७ तक कितने सीमेंट तथा टीन के प्रार्थना-पत्र डी० एस० ओ० आफिस, खीरी के यहां प्राप्त हुए ? कितने प्रार्थना-पत्रों पर टीन व सीमेंट मिली ? कितनों पर नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---इन प्रश्नों में पूछ गये ब्योरे के संकलन करने में जो श्रम तथा व्यय होगा वह उनकी उपयोगिता के अनुरूप न होगा।

## मैनपुरी जिले में सीमेंट का वितरण

*१२---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की हर तहसील में १९५६ से अगस्त, १९५७ तक कितनी-कितनी बोरी सीमेंट जनता के लिये दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---मैनपुरी जिले की हर तहसील में जनवरी, १९५६ से अगस्त, १९५७ तक जो सीमेंट जनता के लिये वितरण किया गया उसकी सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५६ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मैनपुरी की जनता की परेशानी को देखते हुए क्या वह अधिक सीमेंट देने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे खयाल में सीमेंट की हालत अब बेहतर हो गयी है और जितनी भी सीमेंट आप मांगेंगे मिल जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सीमेंट पर से नियंत्रण उठाने का विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, अभी चूंकि मामूली तरीके से हालत बेहतर हुई है इसलिये नियंत्रण हटाने का खयाल नहीं है।

श्री रामायणराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट वितरण करने वालों को कोई ऐसे सरकारी आदेश दिये गये हैं कि एक महीने के अंदर यदि सीमेंट वितरित न हो तो उसे वह फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो आम सवाल आप पूछ रहे हैं। जब से हालत बेहतर हुई है तब से इस किस्म के आदेश जारी हुये हैं कि वह, अगर जरूरत हो, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं।

## इलाहाबाद हाई कोर्ट के अन्तर्गत विचाराधीन अपीलें

*१३---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त फांसी की सजा की कितनी अपीलें विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इलाहाबाद हाई कोर्ट व लखनऊ बेंच में ऐसी ५० अपीलें २८ जनवरी, १९५८ तक विचाराधीन थीं।

*१४---श्री गनेशचन्द्र काछी---[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## बांदा जिले में सीमेंट का वितरण

*१५---श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले को सन् १९५७ में कुल कितने बोरी सीमेंट सप्लाई की गई और प्रत्येक तहसील को अलग-अलग कितनी-कितनी बोरी जनता में वितरण के लिये दी गई तथा उसका वितरण किस प्रकार किया जाता है और कौन करता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--१९,०४८ बोरे जिनका तहसीलवार वितरण निम्न प्रकार किया गया :—

| | | | | बोरे |
|---|---|---|---|---|
| बांदा | .. | .. | .. | ८,०९८ |
| करवी | .. | .. | .. | २,३३१ |
| मऊ | .. | .. | .. | १,१६५ |
| बबेरू | .. | .. | .. | ४,०४९ |
| नरायणी | .. | .. | .. | ३,४०५ |

जनवरी से जून १९५७, तक सीमेंट के सब परमिट करवी तथा मऊ तहसीलों को छोड़कर, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिये जाते थे। जून के बाद से सीमेंट का वितरण तहसीलों में तहसीलदारों द्वारा होने लगा।

*१६—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार जनता की मांग को देखते हुये बांदा के देहाती क्षेत्र के लिये कुछ कोटा बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—सीमेंट की उपलब्धता सभी जिलों में बढ़ गई है और आशा है कि इन देहाती क्षेत्रों में भी अधिक उपलब्ध होगी।

श्री जगपति सिंह—क्या मंत्री जी बांदा व बबेरू के कोटे को बढ़ाने के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने कह दिया कि हर जिले में सीमेंट की उपलब्धि बढ़ गई है और उम्मीद है कि वहां भी जरूर बढ़ेगी।

*१७—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८-२०—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

## टाण्डा म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में पोलिंग अफसर

*२१—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि टाण्डा म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में नियुक्त पोलिंग अफसरों को बदल कर टांडा म्युनिसिपल बोर्ड के नौकरों को रखा गया था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—जी नहीं। टाण्डा म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में नियुक्त पोलिंग अफसरों को बदलकर म्युनिसिपल बोर्ड के नौकरों को नहीं रखा गया था।

*२२—श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि टाण्डा म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में नियुक्त पोलिंग अफसरों की लिस्ट न बदलने के लिये एक दल ने अनुरोध किया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। केवल देवीप्रसाद जी मिश्र (प्रश्नकर्त्ता) ने विरोध किया था, पर जब इस सम्बन्ध में बैठक बुलाई गयी तो श्री देवीप्रसाद जी की सहमति से यह तय हुआ कि स्थानीय कुल कर्मचारी जो पोलिंग अफसर नियुक्त थे हटाकर और जगह भेज दिये जायं।

*२३—श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि टाण्डा म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में कस्बा वार्ड का पोलिंग उस वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में उम्मीदवार के घर पर रखा गया था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं। कस्बा वार्ड के पोलिंग स्टेशन उस कक्ष से हटाकर दूसरे कक्ष में नहीं रखा गया। यह पोलिंग स्टेशन उसी कक्ष के आर्य कन्या पाठशाला में था परन्तु पार्टियों के अनुरोध से वह से हटाकर म्युनिसिपल बोर्ड प्राइमरी स्कूल कस्बा में कर दिया गया था।

*२४-२६—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)—[नवें बुधवार में प्रश्न संख्या ४८-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२७-२९—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)—[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

## पुखरायां तहसील में सीमेंट का वितरण

*३०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुखरायां तहसील में जनवरी, सन् १९५७ से लेकर अगस्त, १९५७ तक कितनी सीमेंट वितरित की गई और वह किन-किन गांवों के किन-किन व्यक्तियों को अथवा संस्थाओं को कितनी-कितनी, किस-किस काम के लिये दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस प्रश्न में पूछे गये ब्यौरे के संकलन करने में जो श्रम तथा व्यय होगा वह उसकी उपयोगिता के अनुरूप न होगा।

*३१—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार सीमेंट के वितरण को गांव पंचायतों द्वारा कराने की बात सोच रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जिस सम्बन्ध में ये प्रश्न पूछे गये थे वहां के सम्बन्ध में सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आई थीं कि सीमेंट कुछ खास गांवों को दे दी जाती है और बाक़ी गांवों को नहीं मिलती है ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी किसी शिकायत की मुझे इत्तला नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार इस प्रश्न को सूचना मानकर जांच कराने की कृपा करेगी कि सीमेंट का वितरण कुछ ही गांवों में हुआ है और बाकी गांवों की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी गोल शिकायत की तहक़ीक़ात नहीं हो सकती। यदि गांवों के नाम बतावें तो उसकी तहक़ीक़ात कराऊंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि सरकार इस सूची को सदन की मेज पर इसलिये नहीं रख सकी कि उसके पास तहसील में इसकी पूरी जानकारी नहीं थी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो आपका खयाल है। शक है मालूम होता है, वरना इसमें कोई असलियत नहीं है।

## सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म बनाने की स्वीकृति

*३२—श्री उग्रसेन—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता को प्रोत्साहन देने-हेतु कितनी फिल्म बनाई गई हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अभी तक कोई फिल्म नहीं बनायी गयी है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इसकी उपयोगिता को समझते हुये इसके कारण बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिये कोई फिल्म क्यों नहीं बनायी गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी उपयोगिता सामने है और १० हजार रुपया अब प्रोडक्शन आफ़ फ़िल्म्स के लिये मंजूर हुआ है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी को मालूम है कि देश के कुछ अन्य प्रदेश ऐसे हैं जहां इस प्रकार की सहकारिता प्रोत्साहन के लिये फ़िल्में बनी हैं और उनका काफ़ी अच्छा असर हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सूचना के लिये धन्यवाद ।

## देवरिया जिले में रामपुर सुवेस छपरा कोआपरेटिव सोसाइटी केन्द्र, तरकुलवा में गबन

*३३---श्री उग्रसेन---क्या सहकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत सुवेस छपरा रामपुरगढ़ सोसाइटी में कितना गबन है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह सन्देह किया जाता है कि इस सोसाइटी में १७,३०० रु० का गबन है । इस गबन के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना सदन को ४ फरवरी, १९५८ को प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर में दे दी गई थी ।

## सहकारी संघ सलेमपुर, जिला देवरिया में गबन की शिकायत

*३४---श्री उग्रसेन---क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया के सहकारी संघ सलेमपुर में कितना गबन है और सरकार उसकी जांच की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सहकारी संघ सलेमपुर में गबन नहीं है । इसलिये जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी को सूचना है कि ३०-१२-५७ को श्री गिरधर प्रसाद आडिटर ने सहकारिता समिति के मामले में २२५ एतराज निकाले जिनका सम्बन्ध २९ हजार रुपये के गबन से था ?

श्री मोहनलाल गौतम---वे कागज इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन---गत २९ जनवरी को डिप्टी रजिस्ट्रार, गोरखपुर, ने जाकर बाक़ायदा इस समिति के पैसे की गड़बड़ी की जांच की, तो क्या उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी वे कागजात मेरे पास नहीं आये हैं । अगर कोई सदस्य इस में दिलचस्पी रखेंगे और वे कागजात आवेंगे तो मैं उनको बता दूंगा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार वह आधार बतावेगी जिसकी बुनियाद पर कहा गया है कि सलेमपुर में गबन नहीं हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मेरी जबान से यह उसी समय निकल सकता है जबकि मैं विश्वास करूं कि ग़बन है । अगर कोई इंक्वायरी हुई तो उसकी तहकीकात हो रही है । किसी अफ़वाह पर गबन नहीं कहा जा सकता ।

श्री राजनारायण—क्या इस उत्तर का यह अर्थ समझा जाय कि उस शिकायत की जांच सरकार की ओर से हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी के पास सरपंच सहकारी समिति, सलेमपुर, का ऐसा आवेदन-पत्र आया है कि उनकी समिति में काफी गड़बड़ी है या कोई प्रस्ताव ऐसा आया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—पत्र बहुत आते हैं सूचना की आवश्यकता है ।

## खाद्य विभाग के प्रान्तीय मार्केटिंग अफसर

*३५—श्री रामसिंह चौहान, वैद्य (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खाद्य विभाग के प्रान्तीय मार्केटिंग अफसर की अवस्था और योग्यतायें क्या हैं तथा उनका सेवा कार्यकाल कब-कब और कितनी बार बढ़ाया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रान्तीय मार्केटिंग अफसर की जन्मतिथि २५ अक्टूबर, १८९८ है और तदनुसार इस समय उनकी आयु ५९ वर्ष ३ महीने है । उनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनके योग्यतानुसार सन् १९३५ में प्रान्तीय कृषि सर्विस के पद पर मार्केटिंग कार्य के लिये चुना था । वह सरकारी कृषि कालेज कानपुर की परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण हुये । कृषि सर्विस से वह सितम्बर, १९५५ में रिटायर हो गये परन्तु अब उसी वेतन पर, जो वह सितम्बर, १९५५ में पा रहे थे, पुनः रख लिये गये हैं ।

*३६—श्री रामसिंह चौहान, वैद्य (अनुपस्थित)—इस कार्यकाल वृद्धि के साथ-साथ कितनी वेतन वृद्धि हुई और कितनी भत्ता-वृद्धि हुई तथा कितनी और वृद्धि करने का विचार है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस विभाग में आने से पहले भी वह कृषि विभाग में प्रान्तीय मार्केटिंग अफसर के पद पर प्रान्तीय कृषि सर्विस ( क्लास वन ) में कार्य कर रहे थे । इस विभाग में उनको उसी सर्विस तथा उसी श्रेणी ( ग्रेड ) में रखा गया जिस में कि वह कृषि विभाग में कार्य कर रहे थे । कुछ दिन बाद उनको २०० रु० स्पेशल वेतन इस विभाग में श्रम साध्य कार्य (arduous work) करने के कारण दिया गया । वह २४ अक्तूबर, १९५३ को अधिवार्षिकी (super-annuation) अवस्था को प्राप्त हुये और ३० सितम्बर, १९५५ को रिटायर हो चुके हैं । १ अक्तूबर, १९५५ से उनको पुनर्नियुक्त कर लिया गया । अतः उनके वेतन-वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता । भत्ता वृद्धि का भी कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*३७–३९—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०–४१—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४२—श्री रामप्रसाद देशमुख—[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

## रायबरेली जिले के हाकिम परगना डलमऊ के इजलास में हरिजन औरतों पर मुकदमें

*४३—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में हाकिम परगना, डलमऊ की इजलास में एक जनवरी, १९५७ से ८ अगस्त, १९५७ तक थाना सरेनी से कितने मुकदमें Cr .P. C. की दफ़ा १०७/११७ के चले और जिन पर मुकदमे चले उनमें हरिजन औरतें कितनी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसे कुल २४ मुकदमे चले और जिन पर मुकदमें चले उनमें ४ हरिजन औरतें थीं ।

*४४--श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना सरेनी से जिन पर उपर्युक्त दफा १०७/११७ चल रही है उनमें ऐसे आदमी भी हैं जिनके पास बन्दूक या रिवाल्वर का लाइसेंस है और क्या वे जमा करा लिये गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां। केवल एक आदमी का रिवाल्वर मालखाने में जमा कराने का आदेश दिया गया है।

श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन चार हरिजन औरतों पर १०७/११७ का केस चल रहा है, वह कब से चल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक मुझे इस वक्त इत्तला है, जनवरी, सन् १९५७ और अगस्त सन् १९५७ के बीच में मुकदमा कायम हुआ है और तभी से चल रहा है।

श्री गुप्तारसिंह--क्या यह सही है कि ये हरिजन औरतें जिनके ऊपर जिस आदमी ने इस्तगासा दायर किया है उसके सगे भाई के ऊपर ३५४ का केस चल रहा था और उसमें एक औरत मुद्दई है और बाकी सब पुलिस गवाह हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, इसकी तफसील मुझे नहीं मालूम है।

श्री गुप्तारसिंह--क्या यह सही है कि जिस शख्स के ऊपर ३५४ का मुकदमा डिप्टी कलेक्टर के इजलास में चल रहा है, उसी ने इस्तगासा दायर किया है कि इससे पुलिस का मुकदमा खराब हो जायगा। वाकई में इन औरतों से शान्ति-भंग का कोई अन्देशा नहीं है। महज इज्जत के लिये यह मुकदमा लड़ा जा रहा है ?

श्री सैयदअली जहीर--मुकदमा तो अभी अदालत में चल रहा है। वहां जब फैसला होगा तभी हम जान सकेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह हरिजन औरतें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा २०५ के मुताबिक रोज अदालत में हाजिर होने से एक्जेम्टेड हैं या उनको रोज हाजिर होना पड़ता है ?

श्री सैयद अली जहीर--मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

*४५-४६--श्री रामप्रसाद देशमुख--[माननीय सदस्य के तीन प्रश्नों से अधिक होने के कारण सातवें मंगलवार में प्रश्न संख्या १४-१५ से रखे गये हैं।]

## आगरे में लोहे की सरियों का स्टाक

*४७--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सप्लाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरे में लोहे की सरियों का स्टाक कब से नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर--आगरे में सरियों का स्टाक इस समय मौजूद है।

*४८-५०--श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--[सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १३-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## निर्माण विभाग में कम्प्यूटर्स को ऐडवांस इन्क्रीमेंट देने का अधिकार

*५१--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कम्प्यूटर्स को पांच ऐडवान्स इन्क्रीमेंट देना स्वीकार किया गया है और क्या यह सुविधा पुराने कम्प्यूटर्स जिनकी नौकरी पांच साल से कम है उनको भी दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां। सीधे भर्ती किये जाने वाले कम्प्यूटरों के वेतन में चार ऐडवान्स वृद्धियों तक दिये जाने के लिये मुख्य अभियन्ता को अधिकार दे दिया गया है। यह सुविधा पुराने कम्प्यूटरों को भी दी जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो अधिकार दिया गया है, इसके अनुसार अब तक कितने लोगों को इन्क्रीमेंट मिल चुका है ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी।

## टी० आर० ओ० लखनऊ के कार्यालय में गबन से सम्बन्धित कर्मचारियों पर मुकदमा

*५२---श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टी० आर० ओ०, लखनऊ के कार्यालय में १९५३-५४ में हुए गबन के अपराध में कुछ व्यक्ति सस्पेंड किये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन पर लगायी चार्जशीट तथा उनके उत्तर, सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट तथा पुलिस द्वारा कराई गई जांच का क्या परिणाम निकला ? क्या सरकार उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---१९५३-५४ में टी० आर० ओ०, लखनऊ के कार्यालय में कोई गबन तो नहीं हुआ परन्तु एक ठेकेदार ने कार्यालय के कुछ कर्मचारियों से मिल कर करीब ३३,००० से अधिक रुपया वसूल कर लिया। ठेकेदार तथा तीन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। ठेकेदार को मैजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द कर दिया और बाकी तीन कर्मचारियों को डिस्चार्ज कर दिया परन्तु मैजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इन तीनों कर्मचारियों ने बहुत अधिक गफलत तथा लापरवाही से काम किया है जिसके कारण ठेकेदार को ज्यादा रुपया अदा हुआ। चूंकि इस सम्बन्ध के सब कागजात अभी अदालत में हैं अतः उनकी प्रतियां सरकार सदन के समक्ष रखने में असमर्थ हैं।

*५३---श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ और पुलिस द्वारा लगाया गया चार्ज मैजिस्ट्रेट ने नहीं माना और सब को बरी कर दिया ? यदि हां, तो सरकार ने उनको रिइन्स्टेट करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां। जुडिशियल अफसर की अदालत ने इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया और अब यह प्रश्न सरकार के सामने है कि उक्त अदालत का फैसला सामने रखते हुए आइंदा क्या कार्यवाही की जाय।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मुकदमा चलाया गया वह कितने रुपये का चलाया गया, ३३,००० रुपये का या कम ज्यादा का ?

श्री सैयद अलीजहीर---यह तो फौजदारी का मुकदमा है, रुपये का क्या सवाल है। जो जुर्म उन्होंने किया है उसी के बारे में मुकदमा चलाया गया है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---कितने रुपये पर जुर्म आयद किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---गबन तो ३३,००० रुपये का था। उस में कौन से आइटम चुने गये थे जिन पर मुकदमा तैयार किया गया, यह मैं इस वक्त नहीं बता सकता।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनके खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया है उन में कितने अफसर थे और कितने क्लर्क थे ?

श्री सैयद अली जहीर---तीन कर्मचारी थे, एक थे लक्ष्मी नारायण सिन्हा, सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क, दूसरे थे मेघ नारायण सिन्हा, एकाउन्ट्स क्लर्क और तीसरे थे मुश्तबा हुसैन, एकाउन्टेंट, टी० आर० ओ० आफिस, लखनऊ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है क्या वे अब तक सस्पेंडेड हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—कुछ को तो अलग कर दिया गया और कुछ अभी सस्पेंडेड हैं और यह सवाल है कि उन के ऊपर क्या कार्यवाही की जाय ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—क्या यह सच है कि मैजिस्ट्रेट नें अपने जजमेंट में यह भी लिखा है कि पुलिस ने ठीक जांच नहीं की है और कुछ अफसरान के साथ रियायत की गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर—जजमेंट में तो जो उन्होंने लिखा है कि उन लोगों की गलती है और उन्होंने बहुत गफलत से काम लिया है, वह मैंने पढ़कर सुना दिया । बाकी क्या लिखा है वह इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

*५४—श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)—[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५-५७—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५८—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ६६* अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के अन्तर्गत भुखमरी की शिकायत

*५९—श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को यह पता है कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील के मोगलहा ग्राम, जो थाना नईकोट के अन्तर्गत है में समराजी जोजे रामहरख भर, की मृत्यु भुखमरी के कारण हो गई है ? यदि हां, तो सरकार वहां बाकी लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये क्या कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह सही है कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील ग्राम मोगलहा में समराजी, जोजे रामहरख भर की मृत्यु हुई परन्तु यह मृत्यु भुखमरी के कारण नहीं हुई । वहां के लोगों के सहायतार्थ सरकार ने निम्नलिखित प्रबन्ध किये

१—निस्सहाय लोगों को एक महीने तक मुफ्त राशन दिया गया ।

२—सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या में वृद्धि कर दी गई ।

३—जिला अधिकारियों को आदेश दे दिये गये कि जिले के प्रत्येक ग्राम की स्थिति को ध्यान में रखें तथा आवश्यकतानुसार उनकी सहायता के लिये दी गयी धनराशि को उपयोग में लावें ।

४—जिले में प्रयोग कार्य (Test work) आरम्भ कर दिये गये तथा अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के निर्धन विद्यार्थियों को ६ माह की फीस की मुक्ति भी दी गई है ।

*६०—श्री अबदुल रऊफ लारी—क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर जिला की फरेन्दा तहसील के खलिकगढ़ ग्राम, थाना महाराजगंज में १३-८-५७ को एक हफ्ते के अन्दर चार आदमी भूख से मरे हैं ? यदि हां, तो सरकार वहां के निवासियों को भुखमरी से बचाने के लिये क्या कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह भी सही है कि उसी तहसील के खलिकगढ़ ग्राम में एक सप्ताह के अन्दर चार आदमी मरे परन्तु उनकी मृत्यु भी भुखमरी के कारण नहीं हुई । शेष प्रश्न का उत्तर वही है जो प्रश्न ५९ के दूसरे भाग का है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मौतें कैसे हुई, किन कारणों से हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक श्रीमती सम्पराजी का ताल्लुक है वह रामहरख की बेवा थीं। २१ जुलाई को उनकी मौत हुई, उनको कई दिन से खांसी जुकाम की बीमारी थी। उनका खानदान है। ३ बच्चे थे और इन के कुछ, दो एक जानवर थे। लेकिन जब इनको जुकाम हुआ और इनकी तकलीफ बढ़ी तो उन्होंने आखिर में आम की गुठली का आटा बना करके खा लिया। यह सही है कि जिस वक्त यह मरी हैं, इनके घर में अनाज नहीं था। लेकिन उसकी वजह यह थी कि वहां के ऊपर कुछ पानी जमा हो गया था। आमदरफ्त बन्द हो गयी थी। गांव वालों को कुछ पता नहीं था कि इनकी हालत इस दौरान में यह हो गयी है। उसकी वजह से इन की बीमारी बढ़ गयी और इनकी मृत्यु हो गयी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार को यह पता है कि इसके लिये जिस वक्त कामरोको प्रस्ताव हमने दिया था उसमें पटवारी की रिपोर्ट थी, वहां के सभापति की रिपोर्ट थी कि हां, भुखमरी से यह औरत मरी है और जिस जगह यह रहती है वहां उसके घर के आगे और पीछे हर तरफ आदमियों की आबादी है?

श्री सैयद अली जहीर—यह जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है यह जिलाधीश की रिपोर्ट है। उन्होंने सब बातों को देख कर रिपोर्ट भेजी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इसने जो आम की गुठली का आटा बना कर खाया वह अन्न के अभाव में खाया या दवा के रूप में खाया?

श्री सैयद अली जहीर—रिपोर्ट से मालूम होता है कि उन्होंने अनाज की जगह पर, खाने की जगह पर, खाया।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो जांच की रिपोर्ट है यह जिलाधीश ने स्वयं उस स्थान पर की है या किसी दूसरे के जरिये से करायी है?

श्री सैयद अली जहीर—यह रिपोर्ट उन्होंने सब-डिवीजनल आफिसर और तहसीलदार तहकसीकात करा के, तब की है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—जब माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि अन्न के अभाव में आम की गुठली का आटा बना कर खाया तो क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस मक्षेत्र भुखमरी है?

श्री सैयद अली जहीर—भुखमरी तो इस वजह से नहीं है कि इसी औरत का शौहर था, इसी के बच्चे थे और अच्छी हालत में हैं। उनमें कोई भुखमरी नहीं है। लेकिन यह जरूर है, जैसा मैंने कहा पानी घिर जाने की वजह से अनाज कम हो गया। औरत बीमार थी और इसने ऐसी चीज खा ली जिससे एकदम से हालत खराब हो गयी और वह मर गयी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार को यह पता है कि वहां के गांव के सभी लोग और सभापति ने लिख दिया कि इस गांव में भुखमरी है, अनाज बिल्कुल नहीं है, इसकी रिपोर्ट सरकार के पास है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। इसकी रिपोर्ट है और इसकी भी रिपोर्ट है कि वहां पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जब कोई तहकीकात करने आये तो यही कहो कि भुखमरी है, किसी के पास अनाज नहीं है और लोग जान से जा रहे हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो यह रपट पेश की है क्या वह किसी प्रोपेगेंडा के आधार पर नहीं है और जब वह हरिजन स्त्री अन्न की कमी से मरी और उसके घर में अन्न नहीं है, आम की गुठली खा कर मरी तो जो उसके बेटे हैं उनके जीवन के पालन-पोषण के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री सैयद अली जहीर—जो प्रबन्ध किये गये हैं वह सब आप को बयान कर दिये गये और उसी के साथ जैसे ही उसकी मृत्यु की इत्तला गांव वालों को हुई, तो उन्होंने अपने पास से बहुत काफी अनाज इन लोगों के खाने पीने के लिये भिजवा दिया।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार ने इस गांव के लिये यह जानकारी करने की कोशिश की कि गुठली के खाने से जो मौत हुई ऐसी मौतें और भी हो सकती हैं और उसके लिये क्या बन्दोबस्त किया?

श्री अध्यक्ष—वह तो जवाब में स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने कोई यह जांच भी की कि जिस महिला की आम की गुठली खाने से मौत हुई उसके परिवार में और लोगों ने उसी दिन या उन दिनों में भी आम की गुठली खायी थी?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, इसकी रिपोर्ट मेरे पास कोई नहीं है। बहरहाल कोई और नहीं मरा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस गांव में या तहसील में सरकार ने कोई सस्ते गल्ले की दूकान या और कोई ऐसी व्यवस्था की?

श्री सैयद अली जहीर—इस मखसूस गांव में है या नहीं यह तो नहीं कह सकता। लेकिन सस्ते गल्ले की दूकानों की जहां-जहां पर मांग हुई है वहां-वहां व्यवस्था की गई?

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि जो गरीब हैं उनको मुफ्त गल्ला दिया जाय?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। वह तो इंतजाम है ही कि जहां पर गरीब हैं, जिनके पास बिल्कुल खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, उनको १ महीने तक मुफ्त राशन दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब कोई जांच उस महिला के परिवार के खाने के संबंध में नहीं हुई तो मंत्री जी के उत्तर का आधार क्या है कि जो औरत मरी उसके परिवार के जो लोग थे वे अच्छे थे, उनका स्वास्थ्य ठीक था?

श्री अध्यक्ष—यह तो उत्तर में उन्होंने जो कउहा है समें तो स्पष्ट दे दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, स्पष्ट है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मंत्री जी ने बताया कि उक्त ग्राम में ४ आदमियों की मौत हुई। तो १ हफ्ते के अन्दर ४ आदमियों की मौत होने के बाद क्या सरकार ने जांच करायी कि किस कारण से उनकी मौतें हुयीं?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। मेरेपास और भी जो आपने सवाल किया है, जिन के मुताल्लिक उनकी भी इत्तला है।

एक है श्रीमती सुलमाना, ७० वर्ष की बूढ़ी औरत थी और केउस कोई वारिस नहीं था। किसी न किसी तरह भीख मांग कर के खाया करती थी और उसकी मृत्यु गई।हो यह समझा जाता है कि उसकी उम्र चूंकि काफी थी तो नैचुरल डेथ हुई है।

एक है प्यारे भर उसके पास १ एकड़ जमीन है और ५ जानवर हैं। वह है, उसकी बीबी है। उसके लड़की है। उसकी मृत्यु हो गई और यह नहीं समझा जाता है कि इसकी मौत अनाज न होने की वजह से हुई या भुखमरी की वजह से हुई।

[श्री सैयद अली जहीर]

तीसरा है छोटे भर। उसके पास २५ एकड़ जमीन है और २ जानवर हैं, दो शादी शुदा लड़कियां हैं, वह ६० वर्ष का बूढ़ा था।

उसी तरह से शुकरुल्ला भांड। उसकी उम्र ७० वर्ष की है। उसके पास १ एकड़ जमीन है, २ बैल हैं, दो लड़के हैं, दो पोते हैं और वह अपना काम कर रहे हैं।

जसई कहार नहीं मिला वह काम पर गया हुआ था। एक पतई कहार है। वह नैपाल चला गया। उनके मुताल्लिक़ कहा गया कि यह भूख से मरा है, यह गलत कहा गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार को पता है कि जो सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हैं वे इन गांवों से ८,८ और १०,१० मील की दूरी पर हैं और क्रयशक्ति न होने के कारण गल्ला नहीं खरीद सकते। यह चार व्यक्ति भी जो मरे थे गुठली खा करके और दस्त और कै कर के मरे थे?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं। ऐसी कोई इत्तला नहीं है। माननीय सदस्य जितनी सस्ते गल्ले की दूकान चाहते वहां पर कलेक्टर से कह करके हो सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि जब किसी की मौत हो चुकती है तब वह ऐलान फरमाते हैं.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं जो फैक्ट्स के बारे में सूचना हो वही आप कहें, राय न दें।

## स्वर्गीय श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल, भूतपूर्व एम० एल० ए० के हत्यारों की फांसी का स्थगन

*६१--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, भूतपूर्व एम० एल० ए० के हत्यारे फक्कड़ सिंह और अभयराज सिंह को सीतापुर जेल में २६-७-५७ को फांसी होने वाली थी? उनको उक्त तिथि को फांसी न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, स्वर्गीय श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल भूतपूर्व एम० एल० ए० के हत्यारे फक्कड़ सिंह तथा अभयराज सिंह को सीतापुर जेल में २६ जुलाई, १९५७ को फांसी दी जाने वाली थी परन्तु वह तिथि स्थगित कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने गवर्नर तथा भारत के राष्ट्रपति को मर्सी पेटीशन (Mercy petition) तथा सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिये स्पेशल लीव पेटीशन (special leave petition) दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है और अब भारत के राष्ट्रपति उनकी मर्सी पेटीशन पर विचार कर रहे हैं।

## बाराबंकी जिले में न्याय पंचायतों का चुनाव

*६२--श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत अभी तक कितनी अदालती पंचायतें नहीं बन पाई हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--बाराबंकी जिले में सभी न्याय पंचायतें बन गई हैं।

*६३--श्री भगौतीप्रसाद वर्मा--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन सी ग्राम सभायें हैं जिनकी अदालती पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस जिले की समस्त गांव सभाओं से न्याय पंचायतों के पंचों का नामांकन कर दिया गया है। केवल न्याय पंचायत इब्राहीमाबाद के सरपंच एवं सहायक सरपंच का निर्वाचन माननीय हाईकोर्ट के आदेश से स्थगित हैं। इस न्याय पंचायत में निम्नलिखित गांव सभायें सम्मिलित हैं:--

इब्राहीमाबाद, अयाजनगर, धौरहरा, मिर्जापुर, चकसार, करीमाबाद, मलौली, सेठमऊ, तीरगांव, टिकराघाट, शेषपुर तथा शाहपुर।

---

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तरांश का उत्तर का समय समाप्त हो गया।

*६४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--[माननीय सदस्य के तीन प्रश्न से अधिक होने के कारण छठवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६४ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

## लखनऊ नगरपालिका में जमादारों की नियुक्ति

*६५--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगरपालिका में १९५६ से अब तक कितने मेहतर जमादार रखे गये हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--लखनऊ नगरपालिका में जनवरी, १९५६ से अब तक कुल ६ सफाई जमादार गये हैं जिनमें से ३ मेहतर जाति के हैं।

## बिलग्राम म्युनिसिपल बोर्ड को निर्माण कार्यों के लिए सहायता

*६६--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५-५६ व १९५६-५७ में बिलग्राम म्युनिसिपल बोर्ड (जिला हरदोई) को नागरिक निर्माण कार्य के लिये सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी गई और उक्त बोर्ड ने उसका किस प्रकार उपयोग किया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगरपालिका बिलग्राम को १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में सड़क निर्माण हेतु क्रमशः ९,६०० तथा ११,१०० रुपयों के अनुदान दिये गये थे।

नगरपालिका ने प्रथम अनुदान से पीपल चौराहा बाजार से मोहल्ला रफ़ैतगंज जाने वाली सड़क का निर्माण करवा लिया तथा द्वितीय अनुदान में ४,२०३ रुपया ११ आना चन्दा स्वरूप मिलाकर १० अन्य ईंटों की सड़कें बनवाने हेतु जिलाधीश से प्लान स्वीकृत करा कर ठेका दे दिया है। इसके अतिरिक्त वह नगरपालिका पार्क से मोहल्ला कासपेट जाने वाली सड़क का भी निर्माण अपने धन से करवा रही है।

## दहेज प्रथा बन्द करने के सम्बन्ध में सिंधी समाज सेवा सम्मेलन, अजमेर का आवेदन-पत्र

*६७--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर की मानव हितकारिणी तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से उनके पास दहेज प्रथा को बन्द कर देने के संबंध में आवेदन-पत्र पहुंचे हैं? यदि हां, तो उसने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है।

श्री सैयद अली जहीर--कानपुर की मानव हितकारिणी तथा वहां की किसी अन्य सार्वजनिक संस्था की ओर से दहेज प्रथा को बन्द कर देने के संबंध में कोई आवेदन-पत्र सरकार के पास नहीं आया है। ऐसा एक प्रस्ताव आल इंडिया सिन्धी समाज सेवा सम्मेलन, अजमेर से प्राप्त हुआ था जिस पर सरकार ने विचार किया। सरकार के विचार में यह प्रथा तभी समाप्त हो सकती है जब उसके विरुद्ध जनता में कड़ी भावना जाग्रत की जाय, और इस विषय पर यदि कोई विधान हो तो वह सारे भारत के लिये होना चाहिये।

*६८--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[२५ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## बलिया जिले की रसड़ा मुन्सिफी में मुकदमे

*६९--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रसड़ा से मुंसफी हटा कर बलिया सदर में कब की गई और उस वर्ष रसड़ा मुन्सिफी में कितने मकदमे दाखिल हुये थे?

श्री सैयद अली जहीर--अगस्त सन् १९४८ में रसड़ा से मुंसफी हटाकर बलिया सदर में की गई और उस वर्ष रसड़ा मुंसफी में ३१४ नियमित मुकदमे दाखिल हुये थे।

*७०--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सन् १९५३ से लेकर सन् १९५६ तक प्रत्येक वर्ष में पृथक्-पृथक् बलिया स्थित रसड़ा मुंसफी में कितने मुकदमे दाखिल हुये हैं?

श्री सैयद अली जहीर--क्रमशः ६४७, ६४७, १,४०० और १,५२८।

## इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मृत्यु दण्डों की स्वीकृति

*७१--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा विगत १९५५, १९५६ एवं १९५७ में पृथक्-पृथक् अब तक मृत्यु दण्ड दिया गया है?

श्री सैयद अली जहीर--इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सन् १९५५ में १२९, सन् १९५६ में १२० तथा १९५७ में ८० व्यक्तियों के मृत्यु दंड की पुष्टि की गई थी।

## नदी घाटी योजनान्तर्गत पुल बनवाने के सम्बन्ध में जानकारी

*७२--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नदी घाटी योजना में प्रदेश की किन-किन नदियों पर पुल बनाये जा रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नदी घाटी योजना में किसी भी नदी पर पुल नहीं बनाये जा रहे हैं।

## सहकारी कृषि फार्मों का ब्योरा

*७३--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक सहकारी कृषि फार्म के बारे में ब्योरेवार यह सूचना देने की कृपा करेगी कि:

(क) क्षेत्रफल,
(ख) कुल पूंजी जो भर्ती में लगी,
(ग) पिछले तीन वर्षों का आय व व्यय,
(घ) पिछले तीन वर्षों में हानि व लाभ,
(ङ) पिछले तीन वर्षों में कृषि आयकर जो दिया गया, तथा
(च) पिछले तीन वर्षों में कितना-कितना रकबा, गल्लई या लगान पर उठाया गया?

श्री मोहनलाल गौतम--प्रदेश के प्रत्येक सहकारी कृषि फार्म के क्षेत्रफल, कुल पूंजी जो भर्ती में लगी, पिछले तीन वर्षों का आय-व्यय, पिछले तीन वर्षों में हानि व लाभ तथा पिछले तीन वर्षों में कृषि आयकर जो दिया गया उसका †विवरण संलग्न सूची में है।

## पंचायत सेक्रेटरियों का वेतन तथा बख्शी के तालाब पर प्रशिक्षण

*७४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत सेक्रेटरियों के वेतन का क्या स्केल है और क्या उनको अपने सर्किल की प्रत्येक ग्राम सभा से भी कुछ मासिक मिलता है? यदि हां, तो कितना?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--पंचायत सेक्रेटरियों का वेतन-क्रम ५०-२-६० (दक्षता रोक) ३-७५ रुपये है। इस वेतन-क्रम में वेतन के अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत सेक्रेटरी को २ रुपये मासिक स्थायी मार्ग-व्यय का भत्ता उसके क्षेत्र के प्रत्येक गांव सभा से मिलता है।

---

†छापी नहीं गई।

*७५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सेक्रेटरियों को बी० एल० डब्ल्यू० बनाया जा रहा है और कुछ लोगों को बख्शी के तालाब पर उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों और कब से?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, कुछ चुने हुये पंचायत सेक्रेटरियों को ट्रेनिंग देने के बाद बी०एल०डब्ल्यू० के पदों पर नियुक्त किया जाता है। बख्शी के तालाब के प्रशिक्षण केंद्र पर माह जुलाई, १९५७ से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में से कुछ पंचायत सेक्रेटरियों को बी०एल०डब्ल्यू० की ट्रेनिंग दी जा रही है।

## उन्नाव जिले में पुलों तथा सड़कों की निर्माण सम्बन्धी योजना

*७६—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले की कौन-कौन सी सड़कें पक्की होने और कौन-कौन से पुल बनने जा रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल—यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी हुई सूची में दी हुई है?

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५७–१५८ पर)

## उन्नाव जिले में बीहार–रायबरेली सड़क का सहिला ग्राम के खेतों से कथित निकास

*७७—श्री भगवती सिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव की बीहार से खिरों हो कर रायबरेली जाने वाली सड़क के उस भाग को जो ग्राम सहिला तथा जालिमगंज (मजरा कुतुबपुर), परगना बीहार, तहसील पुरवा के मध्य पड़ता है, किसी व्यक्ति ने खेत बना लिया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*७८—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क के लिए दूसरा निकास इसी ग्राम के कुछ किसानों के खेतों से हो कर निकाल दिया गया है जिसका उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सड़क का दूसरा निकास किसानों के खेतों से हो कर नहीं गुजरता।

## बांदा डिवीजन में वृक्षारोपण

*७९—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या वन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बांदा डिवीजन में फलदार वृक्षों को लगवाने का किन-किन स्थानों में आयोजन है और सरकार किन-किन स्थानों पर नये उद्यानों का निर्माण करने का विचार कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर—बांदा डिवीजन में वन वृक्षारोपण के अन्तर्गत जबरदस्ता व कुनेठा में फलदार वृक्ष भी लगाये जायेंगे। यह वृक्ष केवल जंगल के क्षेत्र में ही लगाये जायेंगे और इस डिवीजन में फलदार वृक्षों के अलग उद्यान निर्माण की कोई योजना नहीं है।

## गोंडा जिला बोर्ड को सड़कों के निर्माण के लिए अनुदान

*८०—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड गोंडा की सड़कों के निर्माण हेतु कितना अनुदान १९५५–५६ व १९५६–५७ में दिया गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला बोर्ड, गोंडा को १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में प्रति वर्ष १८,८०० रु० का अनुदान उन कच्ची सड़कों के, जो उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा १९५२ में वापस की गई थी, रख रखाव के लिये दी गई थी।

*८१—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड गोंडा के १९५६–५७ के अनुदान में से कितना रुपया १९५६–५७ के अन्दर खर्च न करने के कारण व्यपगत हो गया? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अनुदान एकमुश्त दिया गया। अतः किसी राशि के व्यपगत होने का प्रश्न नहीं उठता।

## जिला पंचायत पत्रिका आजमगढ़ के प्रकाशन-व्यय का भुगतान

*८२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री जिला पंचायत पत्रिका, आजमगढ़ के प्रकाशन के सम्बन्ध में ३०–७–५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत पत्रिका के प्रकाशन का बिल सुपरिन्टेन्डेन्ट स्टेशनरी, इलाहाबाद की स्वीकृति के बाद प्रेस को भुगतान किया गया है अथवा बिना स्वीकृति के?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला पंचायत पत्रिका आजमगढ़ के प्रकाशन के बिलों का भुगतान बिना अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय की स्वीकृति के किया गया है।

## मनाघेर–ओखलकांडा सड़क व ओखलढूंगा–विजयपुर सड़क के सम्बन्ध में जानकारी

*८३—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में मनाघेर-ओखलकांड़ा रोड, जिला नैनीताल का निर्माण होने जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—इस समय इस सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*८४—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ओखलाढूंगा–विजयपुर रोड पर पिछले तीन वर्षों से कितना खर्च सरकार ने किया और उससे कितने मील सड़क बनी है?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क पर वार्षिक रख रखाव के अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों में १६,७०० रुपये का व्यय हुआ जिससे विजयपुर की तरफ से ४ मील चौड़े किये जा चुके हैं तथा इन मीलों का कुछ भाग रीग्रेड (Regrade) भी किया जा चुका है।

## पीलीभीत जिले में जहानाबाद–अमरियारिछा सड़क के निर्माण का आश्वासन

*८५—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जहानाबाद (जिला पीलीभीत) अमरियारिछा रोड को सरकार कब तक बनाने का विचार कर रही है?

श्री गिरधारीलाल—जहानाबाद से अमरिया तक ९ मील लम्बी पक्की सड़क पर कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायगा।

## फर्रुखाबाद जिले में समस्त पुलिस स्टेशनों को पक्की सड़क से मिलाने की मांग

*८६—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितने पुलिस स्टेशनों तक अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है? क्या सरकार उन पुलिस स्टेशनों तक पक्की सड़क बनाने का आयोजन कर रही है?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—इस जिले में केवल निम्नलिखित ३ पुलिस स्टेशनों तक अभी तक पक्की सड़क नहीं है :—

१—ठठिया पुलिस स्टेशन

२—नवाबगंज पुलिस स्टेशन

३—इन्दरगढ़ पुलिस स्टेशन

द्वितीय भाग—जी नहीं।

## कानपुर जिले की सहयोग समितियां तथा नौरंगा समिति को ऋण

*८७—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में कितनी सहयोगी समितियां सहकारिता के आधार पर कार्य करती हैं? उन्हें पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा पूंजीरूप में अथवा कर्जरूप में क्या आर्थिक सहायता प्रदान की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—१३५५।

सरकार ने नौरंगा क्रय विक्रय समिति में १०,००० रु० के हिस्से खरीदे और २१,८७५ रु० का कर्ज इसे गोदाम बनाने के लिये दिया।

## प्रतापगढ़ जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का आदेश

*८८—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—क्या जिला मैजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ ने सस्ती गल्ले की दूकानें पट्टी तहसील, जिला प्रतापगढ़ में खोलने के लिये कोई पत्र सरकार को लिखा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। पत्र में जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की सिफारिश की गई थी पर पट्टी तहसील का विशेष जिक्र नहीं था।

*८९—श्री हरकेशबहादुर—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जिले की आवश्यकतानुसार ३० सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के आदेश दे दिये गये हैं। उनमें से २० दूकानें देहाती क्षेत्रों के लिये दी गई हैं।

## जौनपुर जिले में नवीन पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

*९०—श्री मातांप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर जिले में मछली शहर–जंघई रोड पर बसुही नदी के पुल के पास तथा मछलीशहर–जौनपुर रोड पर दूधनारी (अरसी नदी) के पुल के पास और पुलों के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

## आजमगढ़ जिले में सस्ते गल्ले की अनाज की दूकानें

*९१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कितनी-कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं और दुकानें खोलने में आबादी का खयाल रखा जाता है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में खुली हुई सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या निम्नलिखित है :

| तहसील का नाम | दूकानों की संख्या |
|---|---|
| सदर .. .. .. .. .. | ३६ |
| सगरी .. .. . .. .. | ३९ |
| घोसी .. .. .. .. .. | ४३ |
| फूलपुर .. .. .. .. .. | ३९ |
| मोहमदाबाद .. .. .. .. .. | ३६ |
| लालगंज .. .. .. .. .. | ४२ |
| गाव में .. | २३५ |
| शहरों में .. | ४५ |
| कुल जिले में .. | २८० |

दूकानें खोलने में अवश्य ही आबादी का खयाल रखा जाता है।

## पीलीभीत जिले में बीसलपुर-बिलसंडा सड़क पर कटना के पुल का ठेका

*९२---श्री मुनीन्द्रपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बीसलपुर-बिलसंडा, जिला पीलीभीत सड़क पर नदी कटना का पुल किस वर्ष बनाया गया तथा कितनी लागत में बना ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह पुल १९४०-४१ में बनाया गया तथा इसके निर्माण में ३८,००० रु० व्यय हुआ।

*९३---श्री मुनीन्द्रपालसिंह---क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त पुल का ठेका कितने वर्षों से दिया जा रहा है और अब तक ठेके द्वारा कितना धन प्राप्त हो चुका है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस पुल का ठेका १-१०-१९४० से २३ वर्षों के लिए दिया गया था। अब तक ठेके द्वारा ४८,५०० रु० प्राप्त हो चुका है।

*९४---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## बलिया नगरपालिका का अनुमानित आय-व्यय

*९५---श्री गौरीशंकरराय---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया नगरपालिका की १९५७-५८ की अनुमानित आय और व्यय क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---प्रारम्भिक रोकड़ बाकी (Opening Balance) को छोड़ कर नगरपालिका बलिया की १९५७-५८ की अनुमानित आय ४,२७,५०० रुपये तथा व्यय ४,९१,१८५ रुपये है।

*९६--श्री गौरीशंकरराय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष में ददरी बलिया से नगरपालिका ने कितनी आय की थी और इस वर्ष प्रशासक ने कितनी आय की है ? क्या इन दो वर्षों की आय में विशेष अन्तर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगरपालिका बलिया को वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में ददरी से ५३,२८८ रुपये तथा १९५७-५८ में ६१,५१७ रुपये की आय हुई। इस प्रकार इन दो वर्षों की आय में ८,२२९ रुपये का अन्तर रहा है जिसका कारण दूकानों से आय का बढ़ना है।

*९७-९९--श्री उग्रसेन--[बारहवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या २०-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## कानपुर-झांसी सड़क को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करना

*१००--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर से झांसी जाने वाली सड़क जिसे कालपी रोड भी कहते हैं राष्ट्रीय मार्ग (नेशनल हाईवे) घोषित कर दी गई है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*१०१--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की ओर से ७५ फीट सड़क के बीच से दोनों ओर जमीन छोड़ने की नोटिस पुखरांया टाउन एरिया के लोगों को दी गई थी और उसके बाद २२० फीट समानान्तर भूमि दोनों ओर छोड़ने की नोटिस दी गई ?

श्री गिरधारीलाल--नोटिस केवल अवैधानिक अधिकारों को रोकने के लिये दी गई है।

*१०२--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस प्रकार सड़क का क्षेत्र बढ़ाने से पुखरांया टाउन एरिया के कितने मकान गिराने पड़ेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--एक भी नहीं।

## मिर्जापुर जिले के जंगलों की तेन्दूपत्ती, लाख आदि का नीलाम

*१०३--श्री रामलखन (जिला वाराणसी)-- क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंग कि जिला मिर्जापुर के जंगलों की तेन्दूपत्ती, लाख तथा अन्य वन सामग्रियों का नीलाम प्रत्येक वर्ष किस माह में किया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--नीलाम निम्न समयों से होता है :--

| | | | |
|---|---|---|---|
| (१) तेन्दूपत्ती | .. | .. | दिसम्बर से मार्च तक। |
| (२) लाख .. | .. | .. | दिसम्बर तथा अप्रैल। |
| (३) अन्य वन सामग्री | .. | .. | जुलाई तथा अगस्त। |

*१०४--श्री रामलखन--क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर का फारेस्ट एरिया तेन्दू की पत्तियों के नीलाम के वास्ते कितने लाटों में विभक्त किया गया है तथा उसका नीलाम सन् १९५२ से अप्रैल, सन् १९५७ तक अलग-अलग कितने रुपयों में किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—

| क्र०सं० | सन् | सोन वन खण्ड | | | दुद्धी वन खण्ड | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लाटों की संख्या | कीमत नीलाम | अवधि जिसके लिये नीलाम की गई | लाटों की संख्या | कीमत नीलाम | अवधि जिसके लिये नीलाम की गयी |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| | | | रु० | | | रु० | |
| १ | १९५२ | .. | .. | .. | १ | ३२,००० | ३ वर्ष के लिये । |
| २ | १९५३ | ७३ | ६३,४४३ | १ वर्ष | १ | ३२,००० | उक्त ठेका चालू रहा । |
| ३ | १९५४ | ४८ | ३१,६४० | ४० लाट १ वर्ष के लिये । ८ लाट ४ वर्ष के लिये । | ३ | ३४,३६५ | उक्त ठेका चालू रहा तथा २ नये ठेके ४ वर्ष के लिये दिये गये । |
| ४ | १९५५ | .. | १,११,५७० | ३ वर्ष के लिये पट्टे पर जो हर वर्ष उसी रकम पर दिये जायेंगे । | ७ | ६९,२०९ | २ ठेके १९५४ से चालू रहे, तथा ५ नये ठेके ४ वर्ष के लिये दिये गये । |
| ५ | १९५६ | ५४ | १,११,५७० | | ८ | ७२,५८४ | उक्त ७ ठेके चालू रहे, तथा १ नवीन ठेका ४ वर्ष के लिये दिया गया । |
| ६ | १९५७ | .. | १,११,५७० | | ८ | ७२,५८४ | .. |

## वाटर वर्क्स वाले स्थानों में जल-कर की दर

*१०५—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जिन जगहों पर वाटर-वर्क्स लगे हुये हैं वहां जल-कर की दर क्या है ?

उत्तर प्रदेश सभा सचिवालय

श्री विचित्रनारायण शर्मा--एक-तालिका जिसमें प्रदेश के वाटर वर्क्स की जल कर दरें दी हुई हैं संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५९-१६२ पर)

*१०६--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त वाटर-वर्क्स किन-किन सालों में लगे और क्या उनके जल-कर की दर में लगने से अब तक कोई अन्तर किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह सूचना उक्त तालिका में दी गई है ।

## कर नीति के विरोध में जिलाधीश आजमगढ़ तथा कमिश्नर गोरखपुर डिवीजन से शिकायत

*१०७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ जून, १९५७ को जिलाधीश, आजमगढ़ से जिला परिषद्, आजमगढ़ की कर-नीति एवं व्यवस्था के विरोध में डेपुटेशन मिला था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा-- जी हां ।

*१०८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डेपुटेशन ने जो प्रस्ताव तथा मांग लिखित दिया था उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रस्तावकों को सम्बन्धित नियम से अवगत करा दिया गया था ।

*१०९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर कमिश्नरी के कमिश्नर के यहां जून मास, सन् १९५७ में कितनी-कितनी दरख्वास्तें जिला परिषद्, आजमगढ़ के कर-नीति एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में आईं और कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--कमिश्नर के कार्यालय में एक शिकायती पत्र जो गुमनाम तथा दिनांक रहित था २९ जून, १९५७ को प्राप्त हुआ । उसमें जिला बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की कमिश्नर ने जिलाधीश द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कराई । उन आरोपों में कोई सत्यता न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

## अतारांकित प्रश्न

## वन विभाग में परिगणित तथा बैकवर्ड जातियों के फारेस्ट गार्ड व कैटिल गार्ड की भर्ती

१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, सन् १९५५ से जून, सन् १९५७ तक कितनी भर्ती फारेस्ट विभाग में फारेस्ट गार्ड व कैटिल गार्ड की हुई ? उसमें कितने परिगणित जातियों के थे और कितने बैकवर्ड क्लास के ?

श्री सैयद अली जहीर--फारेस्ट विभाग में जून, सन् ५५ से जून, ५७ तक फारेस्ट गार्ड व कैटिल गार्ड की भर्ती का ब्योरा निम्नलिखित है :--

| | |
|---|---|
| फारेस्ट गार्ड .. .. .. .. | २९० |
| कैटिल गार्ड .. .. .. .. | १३१ |

इनमें ६० परिगणित जाति के और ६८ बैकवर्ड क्लास के थे ।

## इटावा जिले की औरैया तहसील में नजूल की भूमि पर बसने वाले पथरकटों के पास मकान न होना

२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा की औरैया तहसील की नजूल की भूमि में पथरकाट लोग १८ या २० साल से रह रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन्हें मकान बनाने की इजाजत दी या नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, किन्तु, केवल ६ या ७ वर्ष से । शासन ने उन्हें मकान बनाने की इजाजत नहीं दी है ।

## इटावा जिले में निर्माण विभाग के क्लर्क

३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी पी० डब्लू० डी० विभाग, इटावा में कुल कितने क्लर्क व वर्क सुपरवाइजर हैं ? उनमें कितने-कितने परिगणित व बैकवर्ड हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जिला अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग इटावा के कार्यालय में कुल चार क्लर्क हैं और उनमें कोई परिगणित व बैकवर्ड क्लास का नहीं है । वहां कोई भी वर्क सुपरवाइजर नहीं है ।

---

## प्रवर समिति के लिये उपाध्यक्ष के नाम-प्रस्थापन पर स्वशासन मंत्री द्वारा आपत्ति किये जाने के विषय में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री नारायणदत्त तिवारी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का नोटिस भेजा है । उसमें कंटेम्प्ट आफ दी हाउस का प्रश्न उठाया है । वह नियम ४५ के अनुसार नहीं है । वह सेक्रेटरी को देना चाहिये था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—लिख दिया है श्रीमन्, मैंने उसको सेक्रेटरी को भेज दिया है ।

श्री अध्यक्ष—वह सेक्रेटरी को बाद में भेजा आपने । खैर, उस चीज को मैं सामने नहीं रखता हूं । मैं समझता हूं कि संबंधित माननीय सदस्य के पास भी आपने इसे भेज दिया होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, भेज दिया ।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह लिखा हुआ है—

"मुझे खेद है कि इस पत्र द्वारा मुझे सदन के अवमान (contempt) न होने संबंधी सुरक्षा हेतु माननीय श्री विचित्रनारायण शर्मा, स्वशासन मंत्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध सदन के अवमान करने का प्रश्न उठाने को कर्त्तव्य-बाधित होना पड़ रहा है ।

उनके द्वारा यह अवमान तारीख ७ फरवरी, १९५८ को किया गया जब कि उन्होंने यू० पी० डिस्टिक्ट बोर्ड (अमेण्डमेण्ट) बिल, १९५८ को सेलेक्ट कमेटी में इसीलिए भेजने से इन्कार किया, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी के हेतु प्रस्तावित नामों में से सोशलिस्ट पार्टी की ओर से प्रस्तावित श्री रामनारायण त्रिपाठी, डिप्टी स्पीकर, के नाम पर उन्हें एतराज था । उनके नाम के प्रस्तावित होने पर उन्हें आबजेक्शन था । यह तथ्य श्री राजनारायण जी द्वारा आज ता० १० फरवरी को सदन को दी गई सूचना तथा स्वयं माननीय डिप्टी स्पीकर द्वारा दिए गए वक्तव्य से भी स्पष्ट होता है ।

मेरे विचार से किसी भी समिति हेतु स्पीकर अथवा डिप्टी स्पीकर का नाम प्रस्तावित होने पर, कोई आपत्ति करना उनकी इम्पार्शियालिटी और कन्डक्ट पर आक्षेप है जो कि सदन का अवमान तथा विशेषाधिकार की अवहेलना है । इस प्रकार श्री रामनारायण त्रिपाठी, डिप्टी

स्पीकर का नाम उक्त सेलेक्ट कमेटी में रखे जाने पर आपत्ति करना उनके कानडक्ट पर आक्षेप है, जिसके कारण श्री विचित्रनारायण शर्मा जी स्वशासन मंत्री सदन के अवमान के दोषी हैं। अतएव यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय।"

इसमें प्राथमिक दर्शन से स्पष्ट है कि कोई भी विशेषाधिकार की अवहेलना या कंटेम्प्ट का प्रश्न नहीं उठता है। यहां तक माननीय सदस्यों को अधिकार है कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का नाम किसी कमेटी के लिये प्रस्तावित हो जाय तो वह उसका विरोध खड़े होकर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर या स्पीकर इस कमेटी के अध्यक्ष न बनें। यहां तक माननीय सदस्यों का अधिकार है। स्वतंत्रता विचारों की और अपनी राय रखकर उसको प्रकट करने की इस सदन में इस तरह की है। इसलिए इसमें कोई अपमान करने का प्रश्न नहीं उठता। कोई चुनाव होता है किसी कमेटी का या प्रवर समिति का चुनाव होता है और उसके लिये अगर अध्यक्ष का नाम किसी ने प्रस्तावित कर दिया तो इस सदन का कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि अध्यक्ष इसमें न हों। इसमें अपमान की कोई बात नहीं है और न अविश्वास की कोई बात है। अगर चुनाव का प्रश्न न होता तो दूसरा दृष्टिकोण हो सकता था। फिर इस प्रश्न में यह घटना सदन में नहीं हुई। प्रवर समिति के सदस्यों का चुनाव होने के सम्बन्ध में आपस में चर्चा सदस्य करते हैं और ऐसी गुप्त बातें होती रहती हैं उनके ऊपर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठ भी नहीं सकता। नहीं तो राजनैतिक दलों में आपसी बातें करना और एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ बातें करना असंभव हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह तो ठीक बात नहीं हुई कि किसी अखबार ने दलों के बीच की ऐसी आपसी बातों को छाप दिया। मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी सी गलती माननीय सदस्यों की भी है जो आपस में बातचीत और चर्चा पत्रकारों के सामने इस तरह करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत गुप्त रीति से ऐसी बातों की चर्चा होनी चाहिये।

इस विषय के सिद्धान्तों के बारे में कल माननीय उपाध्यक्ष ने एक वक्तव्य भी दिया और मेरे और उनके दोनों के ही द्वारा विचार होकर वह वक्तव्य दिया गया था। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि उनका नाम भी अगर किसी को देना है, किसी कमेटी में, तो उनसे पहले पूछ लिया जाय क्योंकि वह इस बात को पसन्द नहीं करते कि उनका नाम आये और फिर उसका विरोध हो। ऐसे ही स्पीकर भी ऐसी बात पसन्द नहीं करेगा कि उसका नाम किसी कमेटी में दिया जाय और फिर विरोध हो। अगर चुनाव के लिए उनका नाम आता है तो विरोध करने का अधिकार मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य को सदन में है क्योंकि चुनाव की पद्धति ऐसी है। इसलिये उनके नाम पर विरोध करने से कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है। मैं इस कारण उसे उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--एक निवेदन इस संबंध में यह करना चाहता हूं कि मैंने आपको एक पत्र भेजा था, कुछ ऐसा मालूम होता है कि वह पत्र आपकी सेवा में पहुंचा नहीं या विलम्ब से पहुंचा।

श्री अध्यक्ष--अभी तक पहुंचा नहीं था। अभी आया है ११-२० पर।

श्री राजनारायण--ठीक है। उसकी गलती मालूम हुई। जो चपरासी आपकी ओर से मिला है उसे ९ १/२ बजे टाइप करके भेज दिया था, वह कहां भ्रमण करता रहा इसकी जांच बाद में की जायगी। तमाम बातों व तथ्यों का जिक्र उसमें किया गया है जिनको इस सदन में कहा गया। माननीय विचित्रनारायण शर्मा के ही खिलाफ अवहेलना का प्रश्न नहीं था, बल्कि शान्तिप्रपन्न शर्मा जी भी उसमें थे। लिहाजा कल इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैंने यह एक सिद्धान्त बतला दिया कि यदि चुनाव होता है और चुनाव में डिप्टी स्पीकर का नाम प्रस्ताव में आ जाता तो हर सदस्य को विरोध करने का पूर्ण अधिकार होता और उसमें कोई अपमान डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का नहीं होता है।

## हाउस आफ कामन्स की स्थायी समितियों के सभापति के निर्वाचन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद किस प्रश्न पर आप विचार करेंगे । आपकी आज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल माननीय उपाध्यक्ष जी ने यहां इस सदन में यह बयान दिया था कि हाउस आफ कामन्स की यह परम्परा है कि सदन की प्रवर समितियों की अध्यक्षता चेयरमैन, वेज एंड मीन्स, जो उपाध्यक्ष होते हैं वही करते हैं । मेरी जानकारी में वहां यह परम्परा नहीं है । जहां तक सेलेक्ट कमेटीज का सवाल है सेलेक्ट कमेटीज स्वयं अपने चेयरमैन को इलेक्ट कर लेती हैं । जब पूरा हाउस कन्वर्ट होता है वेज एंड मीन्स या कमेटी आफ सप्लाई में तो इन दोनों में चेयरमैन डिप्टी स्पीकर होते हैं । स्टैंडिंग आर्डर और प्रथा भी हाउस आफ कामन्स की यही है कमेटियां स्वयं चेयरमैन का चुनाव करती हैं इस संबंध में मेरी जानकारी में कोई त्रुटि हो तो मैं आपका आभार मानूंगा कि मैं सही कर दिया जाऊं ।

श्री अध्यक्ष---जो प्रश्न आपने उठाया उसके विषय में विस्तार से देख कर कल मैं फिर यहां बतलाऊंगा कि वहां की क्या प्रथा है । मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में यह बातें दी हैं परन्तु यदि उसका एक आध सफा किसी ने पढ़ लिया और उसी के ऊपर राय कायम कर ली तो उचित न होगा । उसमें जिक्र हो सकता है कि वेज एंड मीन्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वही सेलेक्ट कमेटीज को भी प्रेसाइड करता है । लेकिन किस अवस्था में करता है, हमेशा करता है या नहीं करता है यह देखना होगा । इसलिये मैं अध्ययन करके कल बतलाऊंगा ।

## प्रवर समिति के लिये उपाध्यक्ष के नाम-प्रस्थापन पर स्वशासन मन्त्री द्वारा आपत्ति किये जाने के विषय में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं अत्यन्त संक्षेप में जो आपने मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न को अस्वीकृत किया उसके सम्बन्ध में थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

मेरा जो विशेषाधिकार का प्रश्न है, आप देखेंगे कि मैंने इसे पहले प्रातःकाल नहीं उठाया था । तभी उठाया जब इस घटना को माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय ने इतना महत्व का समझा और बिना किसी के कहे हुए उन्होंने स्वयं सदन के नोटिस में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य द्वारा इस घटना की प्रतिक्रिया को प्रकट करना उचित समझा और जब डिप्टी स्पीकर महोदय ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि यदि कोई स्थिति ऐसी पैदा हो जाय जिससे ऐसा आभास हो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष केवल सदन के कुछ ही व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको सदन की ओर से बोलने का पूर्ण अधिकार नहीं है, ऐसा आभास होना भी सदन की मर्यादा के अनुकूल न होगा । तो यह भी स्पष्ट है कि यह घटना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं हुई है, ऐसी ध्वनि इससे पैदा होती है । उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं पहले भी जानकारी थी, यही नहीं कि "स्वतंत्र भारत" में निकलने के बाद ही जानकारी हुई । आप पहला पैराग्राफ देखें ।

श्री अध्यक्ष---वक्तव्य बहस का विषय नहीं है । वक्तव्य को लेकर आप उसके ऊपर टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते । उन्होंने एक सिद्धान्त बता दिया । उसे अमल में लाना है या नहीं, यह दूसरी बात है । मैंने कहा है कि अगर यहां खड़े होकर आप कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर किसी कमेटी के अध्यक्ष नहीं होना चाहिये या स्पीकर नहीं होना चाहिये किसी कमेटी का अध्यक्ष तो इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है । बात तो देखने की यह है कि यह कहने वाले का क्या इरादा है । कोई अपमान अगर करना चाहें तो एक इशारे से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर सकते हैं और न अपमान करना चाहें तो यह कहते हुए भी कि फलां आदमी इस कमेटी में न हो, अपमान नहीं होता। यह तो प्रत्यक्ष की और परिस्थिति की बात है।

डिप्टी स्पीकर ने तो एक सिद्धान्त यह बताया कि उनका नाम प्रस्तावित होने के पूर्व उनसे पूछ लेना चाहिये क्योंकि विरोध करने से ऐसा आभास हो सकता है कि उनके ऊपर सदन का विश्वास नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उनके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। सबका उन पर विश्वास है यह मुझे पूर्ण विश्वास है। किसी ने अविश्वास की दृष्टि से कोई बात कही नहीं थी। लेकिन उन्होंने सजग होकर, चूंकि अखबार में बात छपी इस कारण आगे के लिए सदस्यों को सचेत कर दिया कि कहीं ऐसा आभास न हो जाय कि उन पर सदन का विश्वास नहीं है। उन्होंने जो सिद्धान्त रखा उसे मैंने भी सोचा कि ऐसा सिद्धान्त सदन के सामने आ जाना चाहिये कि जब उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव कोई सदस्य लावें तो इसका पहिले विचार कर लें कि डिप्टी स्पीकर की स्वतः क्या इच्छा होगी। फिर भी अन्य सदस्यों को अधिकार होगा कि ऐसे प्रस्ताव का विरोध करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यहां पर मेरा निवेदन यह है कि बात तो आपने स्पष्ट कही, उसमें मैं आपसे सहमत हूं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नाम आवे तो सदन के किसी माननीय सदस्य को विरोध करने का अधिकार है और आपने स्पष्ट किया, यह बड़ी कृपा की, मगर यहां यह प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यह है कि सेलेक्ट कमेटी बनी थी और एक मंत्री...

श्री अध्यक्ष—आप उनकी तरफ से वकालत न करें। उन्होंने प्रश्न उठाया था, जब आपका प्रश्न आयेगा तो देख लिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं दूसरी बात नहीं कह पाया। मेरा सवाल यह था कि नियम १०० के अनुसार डिप्टी स्पीकर किसी भी कमेटी का स्वयं चेयरमैन हो जाता है, अगर वह उस कमेटी में आ जाय, यह रूल बना हुआ है और सबको मालूम है। मेरा कहना यह है कि यह जानते हुए कि डिप्टी स्पीकर का नाम अगर आ जायगा तो वह आटोमेटिकली चेयरमैन हो जायंगे, वे चेयरमैन न हो सकें इसलिए उनके नाम का विरोध किया जाय...

श्री अध्यक्ष—जब प्रत्यक्ष कहा जाय कि डिप्टी स्पीकर चेयरमैन होने चाहिये तब भी माननीय सदस्य विरोध कर सकते हैं। यदि डिप्टी स्पीकर नियम के हिसाब से अध्यक्ष अवश्य होंगे तो यह सदस्य कह सकते हैं कि वह मेम्बर भी किसी विशेष कमेटी में न हों। मेम्बर होंगे तो चेयरमैन हो जायेंगे लिहाजा मेम्बर न हों, यह भी कह सकते हैं। इसमें कोई मानहानि का प्रश्न नहीं है, कंटेम्प्ट का कोई प्रश्न इसमें उठता नहीं है।

## सरैया चीनी मिल सरदारनगर (गोरखपुर) में किसान सत्याग्रहियों पर मिल के सिपाहियों तथा गुन्डों द्वारा मारपीट के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है जो इस प्रकार है :—

"सरैया चीनी मिल, सरदारनगर (गोरखपुर) के गन्ना किसानों ने गत ३० जनवरी, ५८ को गन्ना उत्पादकों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा अपनी मांगों को मिल के समक्ष रखा। प्रदेश की सरकार को सूचना दी और ९ फरवरी, १९५८ तक मांग देने की मांग की। कल १० फरवरी, ५८ को गन्ना किसानों के शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर मिल के सिपाहियों तथा गुंडों ने लाठी से हमला किया और सत्याग्रहियों को संगीन चोटें लगी। इससे वहां की जनता में क्षोभ व्याप्त है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

[श्री अध्यक्ष]

इसके साथ आपने जो मेरे पास तार भेजा है, जो श्री राजनारायण सिंह के पास आया है, वह इस प्रकार है कि:—

"RAJ NARAIN SINGH, M.L.A.,
VIDHAN SABHA, LUCKNOW

Saraya Sugar Mill Employers' Sepoys *Gundas* attacked with *lathis* on peaceful picketers. Details follow.

DIGHE,
*Joint Secretary,*
*U. P. Socialist Party.*"

सरकार से इसका क्या संबंध है, यह स्पष्ट इस तार से नहीं होता। विषय अस्पष्ट है, अनिश्चित है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, अगर आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—जिस वक्त मैं फैसला दे देता हूं उस समय आप टोकते हैं, यह सदन की कंटेम्प्ट जरूर है लेकिन मैं इसको उठाता नहीं हूं। बार-बार टोकना अवश्य ठीक नहीं है। मेरे सामने ४-५ प्रस्ताव हैं उन सब पर फैसला दूंगा।

## सरकार द्वारा कतिपय उद्योगपतियों को ऋण देने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी का इस प्रकार है कि:—

"उत्तर प्रदेशीय सरकार ने करीब ३ करोड़ रुपया प्रदेश के कुछ उद्योगपतियों जैसे सिहानियां ब्रदर्स, जुग्गीलाल कमलापति, साहू जैन तथा काशी नरेश (वाराणसी) को सन् ५६ में ऋण दिया था। करीब ६ फीसदी सूद लिया जायगा इसकी घोषणा सरकार ने की थी। जिस उद्योग विकास के लिये यह ऋण जिस शर्त पर दिया गया उसकी पूर्ति अब तक उपर्युक्त उद्योगपतियों ने नहीं की।

बिना सदन की अनुमति से इतनी बड़ी रकम जिस प्रकार मनमाने ढंग से सरकार ने दी और आज तक निश्चित शर्त के मुताबिक उस पर काम भी नहीं हुआ, उससे आम जनता में व्यापक असंतोष है और एक विषम आर्थिक संकट की परिस्थिति पैदा हो गई है। अतः यह सदन उपर्युक्त विषम तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

१९५६ में कोई बात हुई और परिणाम अब आप निकाल रहे हैं कि अमुक बात हो गई और कोई सरकार की ओर से कार्यवाही नहीं की गयी। यह सब किस तरह से वाकयात सिद्ध हो गये, यह समझ में बात नहीं आई।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं जानकारी करा दूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। यह प्रस्ताव अनिश्चित और गोलमोल है और १९५६ में यदि कोई घटना हुई हो तो उसके बाद दो-एक बजट सदन के सामने आ चुके हैं और यदि इस विषय पर चर्चा नहीं हुई तो अचानक आज कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं बन सकता है।

श्री राजनारायण—मैं परसों से मंत्री जी से संबंध स्थापित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—जब बजट सामने आये तब आप कह दीजियेगा।

# कानपुर की कतिपय मिलों से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के संचित देय भू-राजस्व के ढंग से वसूल न किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब इसके बाद माननीय नारायणदत्त जी का यह प्रस्ताव है:--

"यह सदन ता० १० फरवरी, १९५८ को सायं ४ बजे सदन में निम्नलिखित हुये रहस्योद्घाटन पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट, १९५२ की धारा ७ के अनुसार एथर्टन वेस्ट मिल्स, कानपुर, कानपुर काटन मिल्स, कानपुर, जुग्गीलाल कमलापति फर्म्स, कानपुर, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर, म्योर मिल कम्पनी, लि० कानपुर, न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर व स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हेतु लगभग ६,६०,००० रुपये को एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू के बतौर वसूल न किया जाना।"

इसके ऊपर विचार करने के लिये वे चाहते हैं कि सदन का काम रोक दिया जाय। माननीय नारायणदत्त जी, यह आप बतायें कि यह निश्चित कैसे हैं और दूसरे अरजेंट कैसे है।

* श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, कल जब एलेक्ट्रिसिटी ड्यूज के संबंध में एक विधेयक पर यहां वाद-विवाद हो रहा था तो उस समय सरकार की ओर से कुछ आंकड़े सदन की मेज पर रखे गये जिनसे यह मालूम हुआ कि करीब साढ़े ६ लाख रुपये की रकम कानपुर की ९ मिलों के ऊपर बाकी है बिजली के ड्यूज के संबंध में और उसी के ऊपर एक कोने में लिखा हुआ था कि उन ड्यूज में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी शामिल है। तो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के संबंध में सन् ५२ में ही सदन एक ऐक्ट पास कर चुका है, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट, १९५२, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई फर्म, व्यक्ति या कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे न करे तो एक तो उसका कनेक्शन फौरन काट दिया जायगा और दूसरे उसमें यह भी लिखा है कि ऐज एरियर आफ लैन्ड रेवेन्यू प्रेस्क्राइब्ड मैनर में वसूल कर लिया जायगा। तो जिस समय सदन में यह चीज आयी तो मैंने, माननीय राजनारायण जी ने और माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने स्वयं हमारी ओर से सरकार से यह साफ-साफ पूछा कि ऐज एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू यह करीब ७ लाख रुपये की रकम क्यों नहीं वसूल की गयी लेकिन तीनों बार जो माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुये थे वे बिल्कुल चुप रहे। अब यह महत्व का विषय इसलिये है कि इतनी बड़ी, साढ़े ६ लाख रुपये से अधिक की रकम है और जिसे राज्य कोष में आना चाहिये था और इस सदन ने ऐक्ट पास किया हुआ है तो राज्य सरकार का जो पहला फर्ज था उस रकम को वसूल करना वह नहीं किया। यह एक महत्व का प्रश्न है।

दूसरे यह अर्जेंट इसलिये है कि कल ही यह चीज सदन के सामने आयी है और अगर इस बात को प्रोत्साहित किया गया तो जिस प्रकार से कानपुर की मिलें बिला कर दिये बची चली जा रही हैं उससे प्रदेश की और फर्मों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य कोष को बड़ी हानि होने की संभावना है और यह प्रवृत्ति बढ़ सकती है इसलिये अर्जेंट भी है।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मैं अर्ज करूं, हुजूरवाला, कि जो कुछ मैंने सुना है वह बात है तो मेरी अदम मौजूदगी की लेकिन अगर वह इस तरीके से हुई भी तो भी वह सही नहीं है। लेकिन पहली बात तो मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर जो कुछ भी फरमाया है वह बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने किसी जगह कुछ अपने एरियर्स वसूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

करने में कोई देरी भी की हो तो क्या वह इस हाउस में एडजर्नमेंट मोशन का फिट सबजेक्ट हो सकता है ?

अब रही यह बात जो यहां पर कही गई। यह सही है कि चन्द मिलों के ऊपर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रुपया बाकी है। जो रकम यहां पर बतलाई गई उसमें एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की रकम कितनी है, उसको मैं अलग निकालकर नहीं बतला सकता हूं। यहां पर जो पढ़ी गई उसमें वह रकम शामिल थी या नहीं यह भी मैं कह नहीं सकता। यह सही है कि एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बतौर लैन्ड रेवेन्यू के वसूल हो सकती है। इसका प्राविजन इस ऐक्ट के अन्दर दिया हुआ है। लेकिन जो बिजली की कीमत है खुद की वह वसूल नहीं हो सकती है। चूंकि वह वसूल नहीं हो सकी और वह एरियर में थी इसकी बिना पर यह बिल लाया गया। इस वक्त जो अख्तियार सरकार को है उसके मुताबिक अगर वह वसूल नहीं होती है तो उसकी बिजली काट देने का गवर्नमेंट को अख्तियार है। अगर हम उस मिल की बिजली काट दें तो यहां पर फौरन ऐडर्नमेंट मोशन आ जाय और वह एक महत्वपूर्ण क्वैश्चन हो जाय। इसलिये उसकी बिजली काटने की मैंने जुर्रत नहीं की। यह कानून ले आया हूं कि लैन्ड रेवेन्यू के तरीके पर गवर्नमेंट को उसके वसूल करने का अख्तियार हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि कल यह बात हुई। यह सही है कि यह कबूल किया गया कि ६ लाख ६० हजार रुपया इन लोगों से वसूल नहीं किया गया और वह एरियर में पड़ा रहा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने अर्ज किया कि एरियर में है। वह रकम कितनी है यह मैं इस वक्त नहीं बतला सकता। जो बिल जाता है उसमें वह रकम लिखी होती है और जो बिजली खर्च होती है वह उसके ऊपर अलग लिखी होती है। जो रकम यहां पर कही गयी उसकी निस्बत मैं अर्ज नहीं कर सकता कि उसमें बिजली की ड्यूटी की रकम शामिल थी या नहीं। हो सकता है वह दोनों की रकम हो। अलग-अलग करने पर मालूम हो कि इतनी रकम ड्यूटी की है और इतनी बिजली की कीमत की है। उनके खिलाफ ऐक्शन इसलिये नहीं लिया गया कि हम बिजली काट सकते हैं और ड्यूटी को लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल कर सकते हैं लेकिन वह बिजली की कीमत वसूल नहीं हो सकती है। हमको साल भर के अन्दर वसूल कर लेना है तो उसको तो हम वसूल कर सकते हैं और अगर वह कुछ दिनों तक वसूल न हो तो उससे इतना बड़ा हर्ज भी नहीं है लेकिन हमको बिजली की कीमत के मुताल्लिक यह हक नहीं था। लिहाजा उसके लिये कानून बनाया गया और उस कानून की रूह से हम अब उसको वसूल करेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट है कि कल जो रकम २०,२५ लाख की बतलाई गई उसमें कुछ ड्यूटी की रकम थी और कुछ बिजली की कीमत की थी जो कि अधिक कीमत है। उस रकम को वसूल करने में माननीय वित्त मंत्री को दिक्कत मालूम हुई। उसके लिये वह यह विधेयक सामने लाये और अब उसे भी वह लैन्ड रेवेन्यू के तरीके पर वसूल कर सकेंगे। तो ऐसी अवस्था में यह कामरोको प्रस्ताव का विषय निश्चित नहीं हो जाता कि इतनी जो यह रकम रह गई है उसमें गवर्नमेंट ने किसी तरह से लापरवाही की है या कोई गवर्नमेंट की नेग्लीजेंस रही यह उस वक्तव्य से स्पष्ट नहीं होता है। इसलिये विषय निश्चित न होने से मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

## बाराबंकी जिले में केन कमिश्नर द्वारा कुछ विशेष व्यक्तियों का गन्ना रिजर्व में लिये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुरसिंह का है। उन्होंने लिखा है कि—

"बाराबंकी जिले में केन कमिश्नर ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर कुछ विशेष व्यक्तियों का गन्ना रिजर्व में ले लिया है जिससे मिल द्वारा पहले से रिजर्व में लिये गये गन्ना उत्पादकों में घोर असंतोष और रोष का वातावरण व्याप्त हो गया है।"

यह प्रस्ताव बिल्कुल गोलमोल है। किसी विशेष परिस्थिति का इसमें जिक्र नहीं है। कोई बात स्पष्ट नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

## सरकारी उच्चाधिकारियों को जमीन, सीमेंट, लोहा आदि देने के बारे में मुख्य-मंत्री द्वारा स्वयं जांच न करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री जरगाम हैदर का एक कामरोको प्रस्ताव है कि—

"गत अगस्त सन् ५७ में ऊंचे सरकारी अधिकारियों को मकान बनाने के लिये जमीन, सीमेंट, लोहा आदि देने के प्रश्नों पर उत्तर देते समय मुख्य मंत्री ने इस सदन को यह आश्वासन दिलाया था कि वह स्वयं इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच करेंगे, अस्तु मुख्य मंत्री ने स्वयं जांच न करके माननीय वित्त मंत्री को जांच सुपुर्द कर दिया और वित्त मंत्री ने अपने किसी सचिव द्वारा जांच कराई है। चूंकि यह सार्वजनिक, महत्वपूर्ण और ऊंचे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध है और मुख्य मंत्री ने सदन में दिये गये आश्वासन का पालन नहीं किया है इसलिये सदन आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं यह उचित समझता हूं कि सदन की जो आश्वासन समिति बनी है उसके सामने इसे मैं भेज दूं। लेकिन यह बात कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकती कि जो आश्वासन दिये गये उन पर अमल हुआ या नहीं हुआ इसका निश्चय वह कमेटी ही करेगी और उसके बाद ही कोई बात इस संबंध में उठायी जा सकती है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

## महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देता हूं कि महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के ३ सदस्यों, जिनमें एक महिला भी होंगी, के निर्वाचन के लिये नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय १०-२-५८ के सायंकाल ५ बजे तक नियत थी। उस समय तक जिन ११ अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हुये हैं वे निम्नलिखित हैं :—

| महिला | पुरुष |
|---|---|
| १—श्रीमती चन्द्रावती, | १—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह, |
| २—श्रीमती शकुन्तला देवी, | २—श्री रामप्रसाद देशमुख, |
| ३—श्रीमती प्रभावती मिश्र, | ३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, |
| ४—कुमारी श्रद्धादेवी, | ४—श्री नन्दराम गुप्त, |
| | ५—श्री माताप्रसाद, |
| | ६—श्री रामलखन, |
| | ७—श्री गयाबख्श सिंह। |

[श्री अध्यक्ष]

इसके लिये नाम वापसी की अंतिम तिथि १३-२-५८ के सायंकाल २ बजे तक का समय नियत है। यदि उस समय तक नाम वापस न लिये गये तो निर्वाचन विधान वाचनालय में १४-२-५८ को ११ बजे से ३ बजे सायंकाल तक होगा।

## उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८†

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ [U. P. Storage Requisition Continuance of Powers) (Amendment) Bill, 1958.] पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने की सिर्फ यह आवश्यकता है कि इसकी मियाद खत्म हो रही है और जिस जरूरत के लिये यह बना था वह अब भी बाकी है और सिर्फ बाकी नहीं है बल्कि बहुत बढ़ गई है। माननीय सदस्य जानते हैं कि कई बार इस असेम्बली में इसका जिक्र भी आ चुका है और अब तक प्रांतीय सरकार के ऊपर कई बार यह एतराज किया गया कि हम ने काफी गल्ला केंद्रीय सरकार से नहीं लिया। अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाती, गल्ले की जरूरत पड़ जाती तो हम उसको मीट नहीं कर सकते थे। बहरहाल इस जरूरत को पूरा करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। क्योंकि अगर हम अनाज लेंगे तो जरूरी है कि गोडाउन्स हमारे पास हों और उनके एक्वीजीशन के लिये यह बिल लाया गया है।

एक बात और बताने की है कि इस कानून के जरिये से कुछ अधिकार सरकार ने ले लिये हैं। अगर यह अधिकार हमारे पास न हों तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाय और कोई खास सूरत कहीं पैदा हो जाय तो वहां पर अनाज भेजने के लिये अगर हमारे पास कोई इमारत न हो तो हम वहां अनाज ले जा कर वहीं जमा नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे पास इस सूबे में तकरीबन ३२ लाख मन के करीब गेहूं और मोटा अनाज है और वह मुख्तलिफ जगहों पर जमा है। इस समय हमारे चार रीजन हैं वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। वाराणसी में ७ लाख के करीब, कानपुर में डेढ़ लाख के करीब, लखनऊ में पौने पांच लाख के करीब और मेरठ में कोई सवा तीन लाख के करीब गेहूं है। कोई साढ़े ६ लाख मन मोटा अनाज वाराणसी में, कोई साढ़े ३ लाख मन कानपुर में, डेढ़ लाख मन लखनऊ में और पौने ४ लाख मन मेरठ में जमा है। तो इस प्रकार से ये अनाज जो जमा हैं उनके लिये इन गोदामों की जरूरत होती है। ये जो अनाज इस वक्त तक जमा है इनके लिये वाराणसी रीजन में २८ सेंटर हैं, कानपुर रीजन में १७ हैं, २५ हैं लखनऊ रीजन में और २६ हैं मेरठ रीजन में और हर सेंटर में कई-कई गोदाम हैं और इस वक्त तक जहां तक अंदाजा लगा है, कोई तकरीबन साढ़े ४ और ५ लाख मन के बीच में इन गोदामों के पास मुख्तलिफ जगहों पर अनाज जमा है। अब कितना अनाज किस जगह जमा है, यह तो अलग-अलग नहीं बतला सकता हूं क्योंकि मुख्तलिफ गोदामों से अनाज निकाले जाते हैं, दूकानों को दिये जाते हैं जब जैसी मांग होती है उसके हिसाब से मिकदार बदलती रहती है। कहीं से मांग होने पर दूकान से अनाज निकलता है फिर वहां पर कहीं से लाकर जमा किया जाता है तो इस तरह से हिसाब में घट बढ़ हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो गल्ला जमा है वह जैसा कि मैंने बतलाया करीब ३१ लाख मन अनाज मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जब तक कि इस किस्म का कोई कानून न हो, उस वक्त तक जाहिर है कि हम अपनी जरूरियात के लिये गोदामों को काफी तौर पर हासिल नहीं कर सकेंगे। इसमें जो अख्तियारात दिये गये हैं, वे अख्तियारात हैं जरूर और उनकी जरूरत है लेकिन वाकई ऐक्चुअल प्रैक्टिस में कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि इसका इस्तेमाल करें। इसकी वजह यह है कि अक्सर यह होता है कि हम मामले को तय कर लेते हैं और जहां जरूरत होती है, इमारत को

†३ फरवरी १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

राजी खुशी से ही ले लेते हैं और इस तरह से उनको गोदाम बना लेते हैं । बहरहाल, इस तरह से काम चल रहा है और हम समझते हैं कि अभी यह समस्या गालिबन ३ वर्ष तक और रहेगी। पहले यह कानून एक साल के लिये बना था, उसके बाद दो साल के लिये एक्सटेंशन हुआ और इस दफा आपके सामने दरख्वास्त है कि ३ वर्ष के लिये एक्सटेंशन और दे दिया जाय। यानी ३० जून, सन् १९५८ को इसकी मियाद खत्म हो रही है, तो ३०, जून सन् १९६१ तक के लिये दरख्वास्त है कि एक्सटेंशन कर दीजिये । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इसकी जरूरत को समझ कर इस विधेयक को मंजूर करेंगे।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से अपना संशोधन निम्न प्रकार से सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५८ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, जहां तक इस बिल की मंशा है इसके सिद्धांत से मैं सहमत हूं क्योंकि पूर्वी जिलों और पर्वतीय जिलों के अन्न संकट की समस्या को देखते हुये इस बात की आवश्यकता अवश्य है कि अधिक अनाज वहां भेजा जाय। जब अनाज भेजा जायगा तो गोदामों की जरूरत रहेगी, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने एक अनुमानित आंकड़ा हमारे सामने रख दिया कि इतने गोदाम हमारे पास हैं, कोई डेफिनिट आंकड़ा उसका नहीं दिया है ।

दूसरी बात यह श्रीमन्, कि इसकी अवधि पहले भी कई बार बढ़ चुकी है जिसको मैं आपके सम्मुख बतलाना चाहता हूं। सर्वप्रथम सन् ४७ में एक टेम्पोरेरी ऐक्ट बनाया गया और सन् ४९ में इसको फिर से पुनर्जीवन दिया गया। सन् ५१ में फिर इसकी अवधि बढ़ायी गयी और सन् ५५ में मान्यवर, इसको एक टेम्पोरेरी ऐक्ट न कह कर, एक परमानेंट ऐक्ट का रूप दिया गया। उसके बाद सन् ५६ में फिर सन् ५८ तक के लिये अवधि बढ़ायी गयी। इस से प्रत्यक्ष है कि हमारी सरकार लेजिस्लेशन के मामले में डेफिनिट नहीं है कि किस कानून की कब तक जरूरत रहेगी। इस बात का आज भी माननीय मंत्री जी को अन्दाजा नहीं है। मैं यह मानता हूं कि हमें गोदामों की जरूरत रहती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन दस सालों के अन्दर सरकार इस काबिल नहीं हुई कि वह सही तरीके के अपने गोदाम स्थापित कर सके। मंत्री जी जवाब दे सकते हैं कि जब दूसरों के गोदाम हमें आसानी से मिल जाते हैं तो हम अपने गोदाम क्यों बनायें। यह ऐक्ट जो चल रहा है आज तक यह सन् ४५ का ऐक्ट है जब कि डी०आई०आर० चलते थे। उसी के मातहत यह ऐक्ट उस जमाने में बना था। उस समय जब उन लोगों ने यह ऐक्ट बनाया था उनके देश में, उनके सिर पर बम के गोले मंडरा रहे थे और उनका दिमाग अप-सेट था उसी अप-सेट दिमाग से यह ऐक्ट बनाया गया था और वही यहां आज तक चला आता है। हम चाहते हैं कि इस ऐक्ट को समाप्त कर के गोदामों की एक सीधी व्यवस्था की जाय। हमें स्वर्गीय किदवई साहब की याद आती है कि जब कंट्रोल का जमाना था और रोज रेडियो पर आता था कि खुराक कम करो, अनाज नहीं है परन्तु स्वर्गीय किदवई साहब ने उस कंट्रोल को खत्म किया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आफत आ गई कि जब कंट्रोल तोड़ दिये गये तब भी इस तरह के स्पेशल पावर्स ऐक्ट जारी रखे जायं ? यह कोई अच्छे लेजिस्लेचर की मिसाल नहीं है ।

दूसरी चीज मैं यह कहूंगा कि गोदामों के रिक्वीजीशन के लिये जब वह ३ साल की मियाद मांगते हैं तो वह यह भी देखें कि उन गोदामों में अनाज ठीक तरह से रखा जाता है या नहीं। अच्छा तो यह हो कि उत्तम सरकारी गोदाम हों। सन् ५०-५२ में एक कंट्रोल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रतापसिंह]

इन्क्वायरी कमेटी बिठाई गई थी । अगर इजाजत हो तो जो सिफारिश उसने गोदामों के विषय में की थी वह अंग्रेजी में मैं पढ़ कर सुना दूं ।"

"*Construction of storage by Government recommended*—The godowns are built unscientifically and at several outlying centres where the purchases are made by the Government have to occupy residential buildings. At the small purchasing centres adequate storage facilities are not available and the foodgrains are exposed to risk and damage."

ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, अन्त में उन्होंने सिफारिश की है कि:—

"It is, therefore, recommended that a long range scheme of government-owned godowns at the headquarters of the district and, if possible, in each consuming centre should be undertaken. The construction of such godowns will be economical in the long run."

में शब्द "एक्नामिकल इन दि लांग रन" पर जोर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप हिन्दी में इसका थोड़ा सा खुलासा कह दें ।

श्री प्रतापसिंह—सन् १९५०-५२ में जो कंट्रोल एन्क्वायरी कमेटी बैठी थी उसने यह सिफारिश की है कि हमारे अनाज को रखने के लिये वर्तमान गोदाम सही तरीके के नहीं बने हैं । उन में जब बीज रखा जाता है तो वह खराब हो जाता है और जहां पर हम बीज खरीदते हैं वहां पर साइन्टिफिकली बीज रखने के लिये गोदाम नहीं मिल रहे हैं । इसलिये कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर पर अपने गोदाम बनाये ताकि वहां साइन्टिफिकली और सही तरीके पर गल्ला स्टोर किया जा सके और उस में कीड़ा वगैरह न लगे । तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस सिफारिश की ओर विशेष ध्यान दें । मैं यह भी जानता हूं कि अगर मैं यह कहूं कि सरकार आज अपने इन्तजाम को ठीक कर ले, वह नहीं कर सकती । इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि १९४५ के दिमाग से बने हुए जो हमारे ऐक्ट हैं उनको स्थायी रूप न दें । मैं, मान्यवर, आपके द्वारा यह मांग करता हूं और कोई जरूरत इस बात की मैं महसूस नहीं करता कि इस ऐक्ट को ६१ तक बढ़ायें । एक साल के लिये हम इस बात को मानने के लिये तैयार हैं । एक साल जरूर बढ़ाया जाय इसलिये कि जहां हम फेयर प्राइस शाप्स की मांग करते हैं, वहां हम यह कहें कि गोदामों की जरूरत नहीं है यह सिद्धांततः गलत बात होगी । अगर सरकार अपने को जिम्मेदार सरकार कहती है तो उसके दिमाग में लेजिस्लेशन का एक सही माप दंड होना चाहिये कि हमारे प्रदेश को कब तक इस बात की जरूरत रहेगी । जहां तक माननीय मंत्री जी ने गोदामों के आंकड़े दिये वह उनके अनुमानित आंकड़े थे । मैं सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आप की इजाजत से रखना चाहूंगा । यह खाद्य तथा रसद विभाग की रिपोर्ट है ।

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में कहिये क्योंकि विधेयक के लिये केवल घंटा भर ही है ।

श्री प्रतापसिंह—१९५० में २६० भंडार थे और १९५६-५७ में १२३ थे । यह इस बात का द्योतक है..... ..... श्रीमन्, माननीय मंत्री जी सुनते ही नहीं हैं तो बोल कर फायदा ही क्या होगा ?

मान्यवर, १९५० में २६० भंडार थे और १९५६-५७ में १२३ रह गये । इस बात से साफ जाहिर है कि सरकार को ज्यादा भंडारों की जरूरत नहीं है । खाद्य तथा रसद विभाग के वार्षिक कार्य विवरण से मालूम होता है कि १९५३-५४ से सरकार ने गोदाम बनाने शुरू कर दिये । मेरे पास नौ लाख रुपये की लागत के कानपुर के गोदाम की मिसाल है । इस तरह से कई जगह बन रहे हैं । मेरी सरकार से यह दरख्वास्त है कि सरकार अपने गोदाम बनाए जैसी आचार्य जुगलकिशोर की कंट्रोल एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी भी सिफारिश

है, जिसको इसी सदन ने चुना था। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव को मान लें और इस ऐक्ट की पारधि केवल १९५८ तक रखी जाय तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा, जो मैंने प्रवर समिति में भेजने का सुझाव रखा है ताकि सदन का समय भी बचे और पब्लिक का पैसा भी बचे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह मेरी बात को मानें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों के बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन दस दिन के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे।)"

श्री अध्यक्ष—श्री प्रतापसिंह सात रोज चाहते हैं और आप दस रोज चाहते हैं। इतना ही अन्तर है ?

श्री शिवप्रसाद नागर—जी।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १९४२ का जमाना था जब कि अंग्रेज सरकार थी और प्रोक्योरमेंट जारी किया गया था। उस प्रोक्योरमेंट के वक्त पर हजारों मन नहीं बल्कि लाखों मन गल्ला प्रदेश में जा बजा इकट्ठा किया गया और उसको रखने के लिये उस समय कोई कानून नहीं बनाया था जिससे भांडार अधिग्रहण का अधिकार प्राप्त होता। परन्तु मुझे याद है कि १९४३ में डेढ़ लाख बोरी धान तिकुनिया स्टेशन से उठायी गयी और लखीमपुर में स्टोर की गयी। तो जितनी भी सरकारी इमारतें थीं, कोआपरेटिव बैंक की इमारत, यहां तक कि डिप्टी कमिश्नर और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के बंगलों में जो बड़े-बड़े हाल थे उनमें स्टोरेज किया गया। अगर ऐसी कोई आपत्ति किसी समय राज्य पर आ सकती है तो हमें इस बात के लिये तैयार रहना चाहिये कि हम पंच बंगलिया में से भी बंगले खाली कर दें और देश को ऐसी परिस्थिति के गर्त में जाने से बचा लें। कोई आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती कि इस वक्त भांडार अधिग्रहण का अधिकार सरकार प्राप्त करे। मुझे याद है, और प्रत्यक्ष है कि सन् १९४७ में जब अंग्रेज सरकार चलने को थी उस वक्त भी उसने देश में हर जिले के केन्द्र में खत्तियों का निर्माण किया था। हजारों, लाखों बोरी सीमेंट, कांक्रीट और सरियों का उपयोग किया गया। एक-एक जिले में ४०० खत्तियां बनायी गयीं और गल्ला भरा गया। मैं उस वक्त रीजनल फूड कन्ट्रोलर का कांट्रेक्टर था, ट्रांसपोर्ट हैंडिल करता था, बहुत सा गल्ला उन खत्तियों में भरा जाता था। अगर आज कोई परिस्थिति है तो केवल पूरब के १५ जिलों में है जिसके लिये इस अधिकार के प्रयोग की आवश्यकता है। सारे प्रान्त में इसकी आवश्यकता नहीं है। सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स से अगर गल्ला परचेज किया जायगा तो जो डेफिसिट एरियाज हैं वहां गोदाम बनाने की जरूरत है उसको स्टोर करने के लिए। वहीं के लिये ऐसा अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है। जितने भांडार हमारे पास थे वे तो नष्ट भ्रष्ट किये जा रहे हैं, परन्तु जनता के जो गोदाम हैं और जनता के जो आसाइश के सामान हैं उन पर दृष्टि पड़ती चली जा रही है।

कैम्प जेल, सीतापुर में, जो सन् १९४२ में बनी थी जब अंग्रेज सरकार चली गयी तो जितनी उस में बैरक्स थीं बड़ी-बड़ी उनको गोडाउन में परिवर्तित कर दिया गया और लाखों मन गल्ला भरा गया, बहुत बड़ी जगह थी। मगर आज, मेरा खयाल है वह बैरक्स उस जगह पर नहीं रह गई हैं।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

अब एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर यह अधिकार सरकार ने प्राप्त भी कर लिया और गल्ला भर दिया तो जैसा १९४४-४५ में और १९४७-४८ में भी हुआ, हमने देखा कि और जिलों से लखनऊ में गल्ला लाया गया और फिर यहां से उन्हीं जिलों को वापस किया गया, और १ बार नहीं ५ बार। मैंने खुद एक बोरी पर लखीमपुर में इसीलिये निशान लगाया था कि देखें यह कितनी दफा लौट कर आती है और वह बोरी ५ मर्तबा लखीमपुर से लखनऊ और लखनऊ से लखीमपुर ट्रांस्पोर्ट हुई। इसलिये आप निश्चित स्थान के लिये यह अधिकार ले लें ताकि ऐसी शंटिन्ग न हो और इस तरह की शंटिन्ग से रीजनल फूड कंट्रोलर के कर्मचारियों और अधिकारियों को भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मौका मिलता है, जो बोरी की कीमत होती है उससे ज्यादा उसकी शंटिन्ग में खर्च हो जाता है।

अव्वल तो इसकी आवश्यकता नहीं है कि यह अधिकार तीन वर्ष के लिये बढ़ाया जाय और अगर सरकार इसको बढ़ाना ही चाहती है तो जरूरत इस बात की है कि केवल १५ जिलों के लिये ही, जो पूरब के हैं, इस अधिकार की आवश्यकता है कि सरप्लस जिलों से गल्ला खरीद कर वहां स्टोरेज करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि सारे प्रान्त में जहां जरूरत नहीं है वहां भी और जहां जरूरत है वहां भी आप इसको रखें। इससे कुछ लोगों को परेशान करने का मौका मिलेगा। जिन लोगों ने अपने रहने के लिये या अपनी गृहस्थी के लिये घर बनवा रखे हैं उनको भांडार अधिग्रहण कानून के मातहत परेशान करना मुनासिब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---जो प्रस्ताव नागर जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं जिला बदायूं का रहने वाला हूं और ऐसी जगह का रहने वाला हूं जहां पर कि २० हाथ पर पानी निकलता है। वहां पर भांडार की इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी कि मंत्री जी को इधर पड़ती है। पुराने जमाने में जबकि लाखों मन गल्ला इस मुल्क में होता था और तीन तीन साल तक के लिये एक एक साल का गल्ला रखा रहता था, एक साल की पैदावार तीन तीन साल तक चलती थी, उस वक्त हर गांव में हर घर में यह गल्ला रहता था और एक एक साहब के यहां चार चार हजार मन गल्ला रहता था। वह सब अपनी अपनी खत्तियां खोलकर वहां गल्ला रखते थे। अब आप उसके लिये करोड़ों रुपया मांगने बैठे हैं। क्यों नहीं वहां पर खत्तियां खोद लेते? जेलों में भी खत्तियों में गल्ला रखा जाता है। ऐसी सूरत में आप हमसे रुपया मांगने बैठे हैं, तो हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना अच्छा मुल्क जिसमें आज तक यह रिवाज चला आया और आप कहते हैं कि भांडार बनाने को रुपया चाहिये। मेरे पड़ोस में बीज गोदाम हैं---कछरुआ और निजामाबाद गोदाम। उन्हें देखने का मुझे भी मौका मिला है। निजामाबाद में ऐसा अच्छा इन्तजाम है कि सुपरवाइजर कागज लेकर चला गया और दो हजार मन गल्ले का कहीं पता ही नहीं है। यह वहां की हालत है। कच्चे मकानों में रखते हैं। किराये पर किसी से ले लिया। कछरुआ का बीज गोदाम इसी तरह से है। उसको लेस लगा करके बन्द करते हैं। उसमें फिर चाहे पाई लग जाय, चाहे घुन लग जाय। उससे अच्छी खत्ती खोदकर उसमें भूसा लगाकर रख दो न पई है, न घुन है। पुराने तजुर्बे का इस्तेमाल करो। उसमें नीम की पत्ती डालो और उसमें फिनायल दो वहां पर यह क्यों नहीं करते। मैं तो चाहता हूं कि यह रुपया बरबाद मत करो और इसके लिए खत्तियां खोदो। पक्की बनवाकर उसमें भरवाओ। इस तरीके से न करो। वैसे करने को तो आप जो कहेंगे संख्यासुर के बल पर आप सब कुछ पास कर लेंगे। कल ही हमने देखा कि पता बताया नहीं और लाखों रुपया मांग लिया। हम तो हार गये। तो भाई, हम तो आपको यह मशविरा दे रहे हैं कि यह नाजायज गोदाम मत बनवाओ। आबपाशी वालों ने कुछ गोदाम बनवाये। सालभर भी नहीं हुआ उनको बने हुए, वह गिर गये। म्युनिसिपैलिटी ने शरणार्थियों के लिए बनवाये वह तीसरे साल गिर गये। तो हमें तो इसमें बरबादी के सिवाय और कुछ नहीं दीखता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---प्वाइंट आफ आर्डर, माननीय सदस्य किस चीज पर भाषण कर रहे हैं, यह हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कोई रुपया तो मांगा नहीं गया है और माननीय सदस्य रुपये की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अपने ढंग से वह असंगत नहीं हैं।

श्री टीकाराम---मुझे तो यह ताज्जुब है कि मेरे साथी जिला बदायूं के ही बोले जिनके हलके में निजामाबाद है। मैंने तो इसलिये कहा था कि पैसे का सवाल है और पैसे की बात है इसलिये मुझे सोचना पड़ता है क्योंकि यह पैसा तो हमारे ही घरों से आता है। इसलिये मुझे कलक लगती है नाजायज तरीके से इसको खर्च करने में। मैं तो यही मशविरा दूंगा कि यह नाहक का झगड़ा क्यों सेलक्ट कमेटी में जाय, हमारी समझ में तो यह आता है कि जमीन खोदकर खत्ती बनाओ और उसमें रखो।

*श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---श्रीमन्, जो बिल कि इस वक्त हमारे आपके सबके जेरेगौर है वह यों तो बहुत सादा है और गवर्नमेंट हस्बमामूल हमारे सामने यह कह करके बिल पेश कर रही है कि हमको चन्द दिनों के लिये यह अख्तियार चाहिये।

मैं सब से पहले जो चीज काबिले एतराज है उसे गवर्नमेंट के सामने पेश करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का यह तरीका कानून बनाने का बहुत ही गलत है। जिस वक्त गवर्नमेंट कानून बनाने लगती है तो इस सदन के सामने व इस देश के रहने वालों के सामने वह यह चीज पेश करती है कि जो अख्तियारात वह ले रही है वह एमरजेंट सिचुएशन के कारण है। सख्त दुश्वारियां उनके सामने दरपेश हैं इस कारण उनको ये अख्तियारात मिलने चाहिये। लेकिन रफ्ता-रफ्ता यह गवर्नमेंट की पालिसी होती जा रही है कि जिन अख्तियारात को वह चन्द दिनों के लिये लेती है बाद को उनका एक्सटेंशन मांगा जाता है और वे अख्तियारात मुस्तकिल कर लिये जाते हैं। मिसाल के तौर पर रेंट कंट्रोल एंड एविक्शन (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट---टेम्पोरेरी का लफ्ज हमारी गवर्नमेंट को बहुत पसन्द है। जब वह कोई कानून बनाने लगती है तो ब्रेकेट में टेम्पोरेरी पावर्स रख देती है लेकिन बाद में रोजाना उस बिल के एक्सटेंशन के प्रस्ताव इस सदन में आते रहते हैं और रफ्ता-रफ्ता वे बिल परमानेन्ट नेचर अख्तियार कर लेते हैं। यही बिल १९४७ में यहां लाया गया। मैं अंग्रेजी में उसे आपकी इजाजत से पढ़ कर सुनाये देता हूं :---

"With the gradual decontrol and disposal of stocks held by the State Government the need for storage accommodation for food-grains was reduced and the U. P. (Temporary) Storage Requisition Act, 1947, was allowed to lapse on December 31, 1954. But with the progress of purchase of *juar* and wheat under the Central Government's 'price support scheme' the need for acquiring more storage accommodation is being felt and it is proposed to assume the powers for requisitioning such storage accommodation again. The Uttar Pradesh Storage Requisition Bill, 1955 is accordingly introduced."

आप देखेंगे कि सन् १९४७ में यह बिल हमारे सामने पेश था। उस वक्त मुल्क में जो फूड क्राइसिस था उसमें और आज की सिचुएशन में बहुत फर्क हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट को अख्तियारात वही चाहिये जो पहले वह चाहती थी। सन् १९४७ में जो अख्तियारात दिये गये थे बहुत मुकामात पर उनको एब्यूज किया गया था। एक अख्तियार तो इसमें यह है कि फूडग्रेन्स के लिये गोडाउन्स को एक्वायर करने के लिये कलक्टर को आर्बिट्रेरी पावर्स दी हुई हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

और उसका ऐब्यूज बाज मुकामात पर होता रहा है। आगे देखिये पावर आफ रिक्वीजीशन इस तरह है :—

"*Power of requisition*—If in the opinion of the Collector it is necessary to requisition any storage accommodation for storing food-grains and food-stuffs he may, by order in writing, requisition such storage accommodation and may further order that the possession thereof shall be delivered to him within such time."

बाद में लिखा हुआ है कि कलेक्टर का डिस्क्रीशन फाइनल होगा। ये आर्बिट्रेरी पावर्स जो आप एक्जिक्यूटिव ऐथारिटीज को देते हैं इससे बसाओकात पब्लिक के साथ बड़ी ज्यादती हो जाती है। कलेक्टर का ऐटिट्यूड बड़ा डिक्टेटोरियल हो जाता है और वह अपनी ऐथारिटी को जरा भी क्वेश्चन करना बरदाश्त नहीं कर सकता है। इस वजह से अगर हमारी गवर्नमेंट यह चाहती है कि इस किस्म की कोई पावर्स दी जायं तो कोई चेक कलेक्टर की पावर्स पर फौरन होना चाहिये।

एक दुशवारी और है। गवर्नमेंट खुद ही सिचुएशन को बंगिल करती है। फूड प्रोक्योरमेंट और ग्रो मोर फूड कैम्पेन स्कीम्स के बारे में बेशतर मर्तबा यह कहा गया है कि आपकी ये स्कीम्स ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं। इर्रीगेशन का ठीक इन्तजाम नहीं होता, नहरों का इन्तजाम नहीं होता, तब आप हमारी बात मानते नहीं। आप कहते हैं कि आपका इन्तजाम बिल्कुल ठीक है। बदइन्तजामी खुद कीजिये, फूड की सिचुएशन को दुरुस्त न करने में गफलत खुद कीजिये और हमसे कहिये कि आपके अख्तियारात वसीअ कर दें—इसलिये कि चूंकि आप इन्तजाम करने के अहल नहीं हैं। आपको गिजाई हालत को बेहतर बनाने का सलीका नहीं आता इसलिए आप चाहते हैं कि हम आप को अख्तियार दे दें ताकि इसी तरह से इन्तजाम करते रहें। आप अपनी कमजोरियों को अपने फायदे के लिये तबदील करना चाहते हैं और यह किसी तरीके से उसूली ऐतबार से दुरुस्त नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि हमारे प्रतापसिंह जी ने अपना प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा कि गलत या सही ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी हालत पैदा हो गयी है, इसलिये ३ साल के लिये पावर्स इस किस्म की देना किसी तौर पर मुनासिब नहीं मालूम होता है। इसके माने यह हैं कि तीन साल तक सूबे की गिजाई हालत सुधारना आपके बस के बाहर है। अगर कोई एक्सट्राआर्डिनरी इमरजेंसी है तो साल भर के लिये आप को पावर्स दी जा सकती है और अगर आप की ना-अहली या बदइन्तजामी परमानेंट फीचर है तो परमानेंटली अपने हाथ में अख्तियारात ले लीजिये। रोजाना इस तरह से सदन में बिल लाकर सदन का समय जाया न कीजिये।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आवश्यक समझता हूं कि आपके द्वारा इस विधेयक के सिलसिले में माननीय सदन का ध्यान बहुत जरूरी मसले की तरफ ले जाऊं। बहुत जरूरी है कि सरकार इस तरह का अख्तियार अपने हाथ में ले, लेकिन मैं यह जरूर सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे का जो परमानेंट फीचर है, जो एक स्थायी स्वरूप है वह यह है कि अनाज की पैदावार में कुछ हिस्से इसके डेफिसिट रहेंगे और कुछ हिस्से इसके सरप्लस रहेंगे। सच्ची बात तो यह है कि सरकार को इन बातों की जानकारी समुचित नहीं है। या तो जानकारी समुचित नहीं है और अगर जानकारी है तो सरकार हिम्मत के साथ इस मसले को हल नहीं करना चाहती है। दोनों में से कोई बात सही है।

अभी अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इस सदन में सब से पहले विवश होकर अन्न मंत्री जी को यह कहना पड़ा कि एक औरत की मृत्यु जो हुई वह गुठली खाकर हुई। भुखमरी उसको वह नहीं मानते हैं। मालूम नहीं आखिर भुखमरी की परिभाषा क्या है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बंगाल फैमिन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ डालें,उसमें उनको अंग्रेजों की भुखमरी की डेफिनीशन मिल जायगी । उससे मैं समझता हूं हिन्दुस्तान की डेफिनीशन कुछ उदार होनी चाहिये । और उन्होंने आज यह स्वीकार किया तो मैं समझता हूं कि इस स्टेट की गवर्नमेंट को अब आज से बैठकर गम्भीरता से इस अन्न की समस्या पर विचार करना चहिये । आज तक तो इस तरह की स्वीकृति कभी हुई नहीं थी । आज यह स्वीकृति हुई तो मैं समझता हूं कि अन्न मंत्री जी अपनी कैबिनेट को यह सलाह देंगे कि अब शाम को बैठकर विचार कीजिये । राष्ट्रपति रोज हमसे कहते हैं कि हमारे राज में कोई भूख से नहीं मरेगा । हमारे सदन में घोषणा हुई कि अगर किसी की भूख से मृत्यु हुई तो समूचे राज्य के सम्मान के विरुद्ध होगा । तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के सम्मान के विरुद्ध है और इधर और उधर के सभी बैठने वालों के सम्मान के विरुद्ध है । इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक स्थायी रूप इस सूबे का कुछ दिन तकर हेगा ।

यदि मुझे इजाजत दी जाय तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ये १५ जिले जो डेफिसिट कहे जाते हैं और वर्षों से, सदियों से डेफिसिट माने गये हैं---सरकारी आंकड़ों में माने गये हैं, उनके लिए आगे भी कोई सरकार का ऐसा प्रोग्राम या कार्यक्रम नहीं है कि वे डेफिसिट से सेल्फ सफिशियेंट हो जायं । अगर नहीं हो सकते तो एक स्थायी ढंग हो गया कि वे डेफिसिट रहेंगे । फिर क्यों इस तरह का विधेयक लाया जाय । चंद रोजा यानी १९६१ तक के लिये मांग रहे हैं, फिर क्या कोई अलादीन का चिराग आ जायगा कि यह डेफिसिट जिले सेल्फ सफीशियेंट हो जायंगे । वेयर-हाउसेज की जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है ? इस सिलसिले में मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहूंगा कि जो सरप्लस जिले हैं वहां भी गोदामों की जरूरत है और डेफिसिट जिलों में भी जरूरत है । सरप्लस जिलों में जो किसान अपना गल्ला सस्ते दामों पर बनिये के यहां फेंकता है उसके लिये गोदामों की जरूरत है कि उसका गल्ला खरीदा जाय जिससे उसे रेमूनरेटिव प्राइस मिल सके । सरकार एक कीमत दे दे और वह यदि ज्यादा कीमत पर बिक सके तो बोनस के रूप में किसान को दिया जाय ।

अब डेफिसिट जिलों के लिये कहता हूं कि अभी थोड़े दिन हुए मैं हमीरपुर गया था । वहां मैंने लाल गेहूं का भाव पूछा तो साढ़े बारह रुपये मन था और हमारे यहां उसी का भाव १९ रुपये मन था । इसलिये इस हिसाब से दोनों जगह वेयर-हाउसेज की जरूरत है । तो सरकार इस तरह का विधेयक क्यों लाती है ? जितने रुपये की भी आवश्यकता सरकार को हो हम देने के लिये तैयार हैं । एक तरफ तो पश्चिम के किसान लूटे जाते हैं और दूसरी तरफ पूरब के उपभोक्ता लूटे जाते हैं, इसलिये कि हमारे पास कोई योजना नहीं है, इस तरह का प्रबन्ध नहीं है, जिससे हम दोनों तरफ के लोगों की मदद कर सकें ।

मैं यह कहता हूं , जैसा कि प्रतापसिंह जी ने कहा कि सरकार एक वर्ष के लिये मान जाय । यह बड़ी उचित बात है अगर आवश्यकता होगी तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं । लेकिन आदरणीय सदन को इस पर विचार करने का अवसर मिल सकेगा । इसलिये माननीय मंत्री जी इन बातों की रोशनी में इस प्रस्ताव को मान लें तो मैं समझता हूं कि मामला तुरंत फैसल हो जाय ।

**श्री सैयद अली जहीर**---अध्यक्ष महोदय, जितनी उस तरफ से तकरीरें हुईं उनसे मुझे यह अंदाजा हुआ कि इस कानून की जरूरत के मुताल्लिक लोगों को ज्यादा एतराज नहीं है । कुछ एतराज इस किस्म के जरूर हुये हैं कि इसकी मियाद कम है । अभी माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि तीन साल के बाद भी क्या उम्मीद करते हैं ? यानी तीन साल की मियाद कम है । कुछ लोगों ने कहा कि इस कानून की जरूरत नहीं है बल्कि गवर्नमेंट को खुद वेयर-हाउसेज बनाने चाहिये । बहरहाल मेरी गुजारिश यह है कि जहां तक इसका ताल्लुक है, चाहे हमारी स्थिति अच्छी हो, चाहे ज्यादा पैदा हो या कम हो लेकिन गोडाउन्स की बहुत जरूरत पड़ेगी और यह कभी नहीं हो सकता है कि सारा काम गवर्नमेंट के गोदामों से चल जाय । क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुख्तलिफ जगहों पर और सरकारी गोदाम, जाहिर है कि हर जगह,

[श्री सैयद अली जहीर]
हर जरूरत के लिये बन जायं, यह गैरमुमकिन है। यह तो जैसी सिचुयेशन जिस एरिया में डेवलप होगी वहीं करना होगा।

जहां तक कि बड़े सवाल का ताल्लुक है, वेयर हाउसेज का, तो यह खयाल करना कि गवर्नमेंट ने अबतक बिल्कुल गोडाउन्स बनाये ही नहीं हैं यह सही नहीं है। इस वक्त उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि हमारे गोडाउन्स देहरादून में हैं, हलद्वानी में हैं, कानपुर, चन्दौसी, हापुड़, गाजियाबाद, गोरखपुर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और नानपारा में हैं। लेकिन बावजूद इनके हमको और जगहों पर भी जरूरत होती है और फिर यह तो सिचुएशन के ऊपर है, बाज वक्त ये काफी हो जाते हैं और बाज वक्त नहीं काफी होते हैं।

श्री अध्यक्ष---अभी तो आप और बोलेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---थोड़ा सा।

श्री अध्यक्ष---तो आप सवा २ बजे अपना भाषण जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

## उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६३-१६५ पर)

## उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १६६-१६८ पर)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह जो विधेयक अभी मंत्री जी ने पुरःस्थापित किये हैं यह हमारी टेबिल पर या पीजन होल में विद्यमान नहीं हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मेरा भी प्वाइन्ट आफ आर्डर है। जो यह दो बिल यहां पर मंत्री जी ने इन्ट्रोड्यूस किये हैं न तो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में इन बिलों के बारे में चर्चा हुई और न इनकी और कहीं चर्चा हुई। यह पहले प्रोग्राम में भी शामिल नहीं थे जो कि एजेन्डा पर है।

श्री उपाध्यक्ष---यह पहले पहल इन्ट्रोडक्शन है। यह प्रश्न बाद को उठेगा। यह विचार के लिये नहीं ला रहे हैं।

एक बात का मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। पिजन होल्स और हाउस की टेबिल के बारे में माननीय सदस्यों को काफी गलतफहमी है। असल में सेक्रेटरी की टेबिल ही हाउस की टेबिल है। यह प्रश्न हम लोगों के सामने था। बहुत से सदस्यों की शिकायत थी कि जब वे गैरहाजिर होते हैं तो उनको एजेन्डा मिलता नहीं है और बाद को वे मांगते हैं। इसलिये सिर्फ वितरण के लिये पिजन होल्स की व्यवस्था कर दी गयी है ताकि देर से आने पर भी माननीय सदस्यों को कागजात मिल जांय और गैरहाजिर होने पर भी वे तमाम कागज उनको मिल जायं। किसी विधेयक की कापी अगर सेक्रेटरी की टेबिल पर रख दी गई है तो वह सदन

में समुचित रूप से रखी हुई और पुरःस्थापित समझी जायगी। इसको माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ लें। तो उन्होंने चूंकि एक कापी बिल की भेज दी है और वह हमारे पास आ गई है इसलिये वह बिल पुरःस्थापित हो गया। आपकी सहूलियत के लिये आपको कापी मिल जावेगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इन्ट्रोडक्शन आफ बिल का कोई मकसद होता है। हमारी नियमायली में जो ३ या २ दिन का समय रखा गया है तो इतना समय तो हमें मिलना ही चाहिये तब विचार उस पर हो सकता है। अगर आज यह पुरःस्थापित हो गया तो ३ दिन के बाद इस पर विचार हो सकता है। यह पुरःस्थापित किया जाना भी प्रोसीजर का एक अंग है, तो आज के कार्यक्रम में यह आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---कार्यक्रम में छापने की आवश्यकता नहीं है। अब यह पुरःस्थापित हो गया तो इसके बाद यह विचार के लिये आयेगा। ३ दिन के भीतर यदि इस पर विचार तब आप आपत्ति उठा सकते हैं।

श्री राजनारायण---आपने श्रीमन्, इसको पुरःस्थापित करने की आज्ञा दे दी। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि मंत्री जी जब चाहें तब उनको पुरःस्थापित करने की आज्ञा न दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---इस बात पर विचार किया जायगा जब यह प्रश्न उठेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---एक विषय चल रहा था और उस के बीच में माननीय मंत्री जी ने यह नया विषय रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष---हाउस तो मास्टर है अपने प्रोसीजर का, यह कौन सी ऐसी आपत्ति है कि जो उठायी जाय।

## उत्तर प्रदेश भांडार-अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक इस तजवीज का ताल्लुक है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, वह तो बिल्कुल गैरजरूरी है। हर एक शख्स जानता है कि स्टैट्यूट बुक पर यह ऐक्ट एक मियाद से चला आ रहा है और इस वक्त यह तजवीज है कि बजाय जून, ५८ में यह खत्म हो जाय, इसकी मियाद ३ साल के लिये और बढ़ा दी जाय। इसके लिये सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजने का प्रश्न किसी तरह से भी नहीं उठता।

जहां तक आम सवाल का ताल्लुक है उसके तो बहुत से पहलू हैं, फूड ग्रेन्स की हालत, वेयर हाउसेज की हालत, सब पर हम को गौर करना होगा। सरकार का मंशा यह है कि खाली यही नहीं कि हम वेयर हाउसेज बनायें, क्योंकि यह ऐसी चीज है कि हम कितने ही बनावें वे काफी नहीं होंगे। लोग अपनी तरफ से भी छोटे और बड़े वेयर हाउसेज बनावें और उनको एक बिजनेस की तरह से चलावें, क्योंकि आगे चल कर इनसे बड़ी सहूलियत मिल सकती है। जैसा कि बहुत से लोगों ने और खासतौर से गेंदासिंह जी ने कहा कि एक जगह गेंहू १२ रुपये मन बिकता है और दूसरी जगह १७ रुपये मन। इस तरह से काफी दामों में फर्क हो जाता है और यह इस वजह से होता है कि स्टोरेज का पूरा इंतजाम नहीं हो पाता। बहरहाल, जहां तक सरकार का ताल्लुक है सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक वेयर हाउसेज कार्पोरेशन बनाने की स्कीम बनायी है और वह उस के जेरे गौर है। उस के मातहत बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज, जो तकरीबन १० हजार टन की कैपेसिटी के होंगे, बनाये जायंगे। वे थोड़े दिनों के लिये रहेंगे। आमतौर से यह खयाल है कि प्राइवेट कंसर्न्स या कोआपरेटिव बाडीज इस तरह के वेयर हाउसेज बनावें। चुनांचे, इसी सदन में एक वेयर हाउसेज का बिल कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ

[श्री सैयद अली जहीर]

से जल्द ही आयेगा जिसमें जो लोग वेयर हाउसेज बनावेंगे उनके लिये क्या नियम होंगे और कैसे सरकार उनकी निगरानी करेगी, वगैरह चीजें रहेंगी, ताकि उससे लोग बेजा फायदा न उठा सकें। इस तरह से वेयर हाउसेज का अलग से इंतजाम हो रहा है, लेकिन वह एक दूसरा सवाल है। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। चाहे वह जितना भी इन्तजाम हो जाय, लेकिन यह पावर तो सरकार के पास इमरजेंसी के लिये रहनी ही चाहिये ताकि अगर जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे अब की दफा सूखा पड़ गया या बहिया आ गई। उस के लिये हम को अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा और जमा करना पड़ा। इसके लिये हमको यह अधिकार होना चाहिये कि अगर किसी इमारत की वहां सरकारी काम के लिये या पब्लिक के फायदे के लिये जरूरत है तो हम उसको ले सकें। उसके लिये ही यह कानून है और इसको रखना, मेरे खयाल में बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं माननीय सदस्यों से उम्मीद करूंगा कि वह इसे मंजूर करेंगे। जहां तक सेलेक्ट कमेटी में भेजने का ताल्लुक है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, गेंदासिंह जी ने अपील की कि यह १ साल के लिये ही मांगें।

श्री उपाध्यक्ष---मेरी दिक्कत यह है कि वह अन्त में बोल रहे हैं।

श्री राजनारायण---अन्त में नहीं, श्रीमन्। हमने कहा था कि यह प्रेलिमिनरी हो रहा है, बाद में फाइनल करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---जब उन्होंने मूव किया था तो भाषण नहीं दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर---दिया था।

श्री उपाध्यक्ष---अगर कुछ भी उन्होंने भाषण दिया तो एक तो वह हो गया और यह एक अन्त में उत्तर हो गया। अगर वह कहते कि बाद में ही कहूंगा तो दूसरी बात थी। फिर, सदन का फैसला है कि १ घंटे में यह पारित होगा।

श्री राजनारायण---१ घंटा कब होता है, श्रीमन् ?

श्री उपाध्यक्ष---२ बज कर ४० मिनट पर वह हो जायगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रह (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८, एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों के बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८, एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन दस दिन के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ [U. P. Storage Requisition (continuance of power) (Amendments) Bill, 1958] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १ व २

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को बनाये रखने की व्यवस्था करने का

उ० प्र० अधिनियम संख्या २१, १९५५।

## विधेयक

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५, ३० जून, १९५८ को समाप्त हो जायगा ;

उ० प्र० अधिनियम संख्या २१, १९५५।

और यह इष्टकर है कि उक्त अधिनियम को बनाये रखा जाय; अतएव, भारतीय गणतंत्र के नौवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों को बनाये रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५८" के स्थान पर संख्या "१९६१" रख दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २१, १९५५ को बनाये रखना ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, प्रस्तावना, शीर्षक और खंड १ इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों के बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और उसके कारण गिनाये देता हूं। सन् ५२ व ५५ में यहां जब यह बात आयी कि सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि इस अधिनियम को कायम रखें तब बराबर सरकार की ओर से यह गया कि वह १ साल के लिए यह अधिकार ले रही है, २ साल के लिए ले रही है और उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने विवादों को देख लिया जाय। यदि सरकार चाहती है कि उसे अन्न संकट से बचाने के लिए अन्न को सुरक्षित रखने की जरूरत है तो अभी बजट आवेगा, उसमें सरकार निश्चित रूप से प्राविजन कर ले। टीकाराम जी ने कहा था, जब माननीय अध्यक्ष थे, कि सरकार स्थायी रूप से खत्तियां बनवा दे। आज सुबह एक सवाल के जवाब में आया था कि इसी अधिनियम के अन्दर एक मकान लिया गया जिसमें अब कोई गल्ला नहीं है बल्कि सरकारी कर्मचारी रह

[श्री राजनारायण]

रहे हैं और कह दिया गया कि वह किराया देते हैं। आज तो यह विधेयक आने की जरूरत थी कि प्राइस कंट्रोल की स्कीम क्या होगी। अभी मैं कुछ सस्ते गल्ले की दुकान देखने के लिए गया था। सरकारी दुकान पर साढ़े १२ पाव का अन्न बिक रहा है और प्राइवेट पर साढ़े १४ पाव का। सरकारी दुकानदार बेचारे रो रहे थे कि हमारा रुपया ले लिया गया और गल्ला बिक नहीं रहा है, हम क्या करें। इसके उद्देश्य और कारणों मे लिखा है कि खाद्य स्थिति कुल मिलाकर इतनी दृढ़ नहीं हो सकी। जब तक सरकार की यह गतिविधि रहेगी तब तक प्रदेश की खाद्य-स्थिति दृढ़ हो नहीं सकती। इसके लिए नई जमीन तोड़ना और अन्न, सेना की भर्ती आदि उपाय होने चाहियें। सरकार यह न कहे कि हमारे दिमाग में कोई नकशा नहीं था। बजट आ रहा है, उसमें सरकार को इसका प्राविजन करने का पूरा अधिकार है।

एक आशंका यह भी है, अखबारों में चर्चा है और मंत्री जी के पास बैठने वालों में काना-फूंसी है कि निकट भविष्य में कम्पलसरी अनाज प्रोक्योरमेंट की स्कीम सरकार चलाने जा रही है और जबरदस्ती गल्ला लेगी। सेंटर का भी इशारा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अभी से सचेत हो जाय। अगर कहीं वह योजना चली जो सन् १९४८, ४९ और ५० में चली थी तो फिर अन्याय होगा और इससे सारा प्रदेश बचे। मैं चाहता हूं कि आने वाले बजट में पूरा प्रावीजन करके आवश्यकतानुसार खत्तियां बना ली जावें। पूर्वी जिलों में भांडारों की कतई जरूरत नहीं है, वहां जरूरत है सस्ते गल्ले की न कि खत्तियों की। गोदामों में अनाज सड़ जाता है लेकिन लोगों को खाने को नहीं मिलता है। इसलिये मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—यह समझ में नहीं आया कि बगैर गोदामों में जाये गल्ला लोगों के पेट में कैसे पहले ही पहुंच जावेगा। इसका तरीका राजनारायणजी को ही मालूम होगा। पहले तो गोडाउन की जरूरत होगी। जहां तक सरकारी कर्मचारियों के इन मकानों में रहने की बात है, यह उनका खयाल गलत है। मकान की अनाज के लिए आवश्यकता नहीं रही। वह डिरिक्वीजीशन कर दिया गया था और वह उस कर्मचारी के नाम जो उसमें रह रहा है बहैसियत एक किरायदार के एलाट हो गया है जैसे कि सैकड़ों मकान एलाट किये गये हैं और उनमें किरायेदार रहते हैं। खाली उस वक्त तक के लिए रिक्वीजीशन किया गया था जब तक कि सरकार उसको बहैसियत गोदाम के इस्तेमाल करती थी।

उसके बाद एक और बात उन्होंने कही कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ले का भाव साढ़े १२ पाव है, जब कि और दुकानों पर साढ़े १४ पाव है, इसलिये माननीय सदस्य समझते हैं कि कोई जरूरत इस किस्म के गोदामों की नहीं है। मैं उनसे यह कहूंगा कि निर्ख जो इतना सस्ता हुआ है उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हमने इतना काफी अनाज मंगा कर जमा किया और इसीलिये उनको अपने माल की कीमत को घटाना पड़ा है। अगर आज सरकार के पास गोदामों में इतना अनाज नहीं होता तो मुझे यकीन है कि आमतौर से यह जमाना ऐसा होता है जब कि निर्ख बहुत ऊंचा चला जाता है और इन चीजों का दाम आगे बढ़ जाता है लेकिन आज हमारे पास तकरीबन ३०, ३२ लाख मन अनाज गोदामों में मौजूद है तभी यह सूरत पैदा हुई है कि अनाज बाजार में सस्ता हुआ है। मेरे खयाल में यह खुशी की बात है और हम समझते हैं कि हमारी स्कीम कामयाब हुई है। तो इन वजूहात पर मैं अर्ज करूंगा कि यह एक बहुत जरूरी और आवश्यक बिल है और इसको मंजूर करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (अधिकारों के बनाये रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५८ [U. P. Storage Requisition (Continuance of Powers) (Amendment) Bill, 1958] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड, स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---मुझे दो एक सूचनायें देनी हैं।

महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के निर्वाचन के लिये १४ फरवरी, १९५८ को विधान वाचनालय में ११ बजे दिन से ३ बजे तक का समय नियत था किन्तु अब यह निर्वाचन कांग्रेस सचेतक के सुझाव पर श्री अध्यक्ष की आज्ञा से १७ फरवरी, १९५८ को ११ बजे दिन से ३ बजे तक होगा, यदि १३ फरवरी, ५८ के सायंकाल २ बजे तक नाम वापस न ले लिये गये।

स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली के निर्वाचन के लिये १४ फरवरी, १९५८ को विधान वाचनालय में श्री अध्यक्ष की आज्ञा से ११ बजे दिन से ३ बजे तक का समय नियत था, किन्तु अब वह निर्वाचन कांग्रेस सचेतक के सुझाव पर श्री अध्यक्ष की आज्ञा से १७ फरवरी, १९५८ को ११ बजे दिन से ३ बजे तक होगा।

## उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८†

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मेरे विचार से जिस प्रकार से यह विधेयक ड्राफ्ट किया गया है, इसमें दो एक क्लाज ऐसे हैं, जो मेरे विचार से संविधान की मर्यादा के विरुद्ध जाते हैं। उदाहरण के लिये खंड १० है जिसके द्वारा हाईकोर्ट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर किया गया है। उसमें यह है कि हाईकोर्ट में कितने जजेज होंगे, कितने जज की मेजारिटी से यह तय होगा, या ऐसे जजों के बहुमत से यदि कोई हो तो निर्णीत होगा।

"When any case has been referred to the High Court under section 11, it shall be heard by a Bench of not less than two Judges of the High Court and shall be decided in accordance with the opinion of such Judges or of the majority, if any, of such Judges :

Provided that where there is no such majority, the Judges shall state the point of law upon which they differ and the case shall then be heard upon that point only by one or more of the other Judges of the High Court"....

यानी हाईकोर्ट के इंटरनल मामले में इस सेल्स टैक्स विधेयक द्वारा सरकार दखल देने जा रही है। इंडियन कांस्टीटयूशन में साफ-साफ यह कहा गया है कि आर्गेनाइजेशन आफ हाईकोर्ट के सम्बन्ध में अगर कानून बनाने की आवश्यकता होगी, तो वह संसद् बनायेगी। यूनियन लिस्ट के आइटम ७८ में लिखा है कि जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर हाईकोर्ट के कांस्टीटयूशन के बारे में संसद् एनैक्टमेंट करेगी और हाईकोर्ट का जो इन्टरनल प्रोसीजर है वह हाईकोर्ट अपने रूल्स के द्वारा तय करेगा और उसको करने का इस स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार नहीं है। यह हमारे जूरिस्डिक्शन के बाहर है, हम हाईकोर्ट के इंटरनल स्फियर में दखल नहीं दे सकते कि कितने जजों की बेंच होगी, कौन से जजेज की, कितने की रूलिंग मानी जायगी या नहीं मानी जायगी। यह सब हाईकोर्ट का इन्टरनल मैटर है जिसमें हम दखल नहीं दे सकते।

†४ फरवरी, १९५८ को कार्यवाही में छपा।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दूसरी बात यह है कि खंड १३ के मातहत धारा २७ डिलीट की जा रही है। इस धारा को ऐक्ट में सन् १९५० में जोड़ा गया था और यह ऐडाप्टेशन आर्डर प्रेसीडेंट आफ इंडिया के द्वारा हुआ था। इसमें यह है कि:—

"(i) Where such sale or purchase takes place outside the State of Uttar Pradesh; or

(ii) where such sale or purchase takes place in the course of import of the goods into, or export of the goods out of the territories of India";

इसका दूसरा सब-सेक्शन है कि—

"The Explanation to clause (1) of Article 286 of the Constitution shall apply for the interpretation of sub-clause (i) of clause (*a*) of sub-section (1)."

यह प्रेसीडेंट आफ इंडिया के ऐडाप्टेशन आर्डर से जोड़ी गई थी और इस धारा के प्राविजन्स ऐसे हैं जिनको हम अपने से संशोधित नहीं कर सकते। इसलिये मेरे विचार से या तो इस बिल पर विचार स्थगित किया जाय या जितना हिस्सा ऐसा है उसे छोड़ कर बाकी पर विचार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आप का व्यवस्था का प्रश्न सुना। आपने स्वयं अभी माना है कि इसके लिये अभी उपयुक्त अवसर नहीं है क्योंकि जिस समय यह बिल पुरःस्थापित हुआ था उस वक्त आपत्ति उठाते तो पूरे बिल पर एतराज हो सकता था। खंडों पर विवाद के समय यह आये तो ठीक है उस समय इस पर विचार हो जायगा। मंत्री जी को इसका नोटिस मिल गया, खंडों के विचार के समय मंत्री जी इस आपत्ति का उत्तर देंगे उसी समय इस पर व्यवस्था हो जायगी।

*श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसके द्वारा सरकार किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रही है बल्कि इसमें कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें आईं.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस विधेयक के अनुसार सेल्स टैक्स वैरी करेगा। यह मनी बिल है या नहीं? कांस्टीटयूशन के अनुसार मनी बिल के सम्बन्ध में जो प्रोसीजर होना चाहिये उसका अनुसरण सरकार ने इस विधेयक के लाने के पहले किया है या नहीं। इसकी व्यवस्था मैं चाहता हूं क्योंकि मनी बिल के सम्बन्ध में जो आर्टिकिल संविधान में है.....

श्री उपाध्यक्ष—इसके इन्ट्रोडक्शन के लिये और विचार के लिये माननीय राज्यपाल ने अनुमति दे रखी है, उसके बाद अगर कोई बात कहनी हो तो आप कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरे विचार से यदि कोई विधेयक मनी बिल हो तो स्पष्ट होना चाहिये कि आया वह मनी बिल है या नहीं और अगर वह मनी बिल है तो उसके सम्बन्ध में वह प्रोसीजर ऐडाप्ट होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो अध्यक्ष का काम है, उन्होंने राज्यपाल की अनुमति मांग ली और उसके बाद सदन इस पर विचार करेगा।

श्री धर्मसिंह—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है सरकार इसके द्वारा कोई नया कर नहीं लगाने जा रही है। अब तक लक्जूरियस गुड्स के बारे में सरकार ने अधिकार ले रखा था वह केवल सवा ६ प्रतिशत का था लेकिन अब उसको हम ७ प्रतिशत करने जा रहे हैं और इस तरह से केवल पौन प्रतिशत का इजाफा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जा रहा है। यह भी सरकार अपनी ओर से नहीं बढ़ा रही है बल्कि भारत सरकार ने हमें लिखा कि लक्जूरियस गुड्स के बारे में बिक्री कर की एक ही पद्धति सब स्टेट्स में होनी चाहिये और उसके अनुसार हमें ७ प्रतिशत करना पड़ रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये हम यह पौन प्रतिशत का इजाफा कर रहे हैं। पहले ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज थीं, जिनके कारण यह विधेयक यहां पर लाया गया है। उदाहरण के तौर पर पहली जुलाई, १९५७ को सेंट्रल सेल्स टैक्स लागू हुआ। उसके बाद उसके अनुसार जैसी भारतीय सरकार की हिदायतें होती गयीं, और सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट के अनुसार, हम इसमें कुछ संशोधन ला रहे हैं।

मैं इसके सिद्धान्तों की तरफ न जाते हुए इसमें जो क्लाज आये हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर धारा २ में कुछ परिभाषाएं की गयी हैं। हमारे यहां अब तक व्यापारी की जो परिभाषा थी वह उतनी व्यापक नहीं थी। उस को इस विधेयक के द्वारा व्यापक बनाया जा रहा है। इसमें इस तरह से है, "राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग जो ऐसा व्यापार करता हो, तथा कोई व्यवसाय संस्था जो बिजली-शक्ति अथवा अन्य किसी प्रकार की चालक शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण का कार्य करती हो, भी सम्मिलित है।" मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि डीलर की परिभाषा में इस तरह की कोई बात नहीं थी। उसको अब व्यापक बनाया गया है। उसके साथ ही साथ गुड्स की डेफनीशन को भी व्यापक बनाया गया है जिसमें जो कुछ भी पुराने विधेयक में है उसके अतिरिक्त, प्रत्येक सामान, वस्तु तथा व्यापारिक माल सम्मिलित है, जो चल अथवा अचल सम्पत्ति के निर्माण, फिटिंग, सुधार या मरम्मत के काम में आता है।

आगे चल कर लाइसेंस की डेफिनीशन को बताया गया है कि किन-किन व्यक्तियों को लाइसेंस दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त अब तक हमारे यहां परचेज टैक्स या प्राइस टैक्स की कोई परिभाषा नहीं थी। हम इसमें उसको बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक हम टर्न ओवर सेल पर लेते थे। लेकिन अब इसकी परिभाषा के अनुसार परचेज पर लेंगे।

यह मैंने सदन के सम्मुख कुछ थोड़ी सी परिभाषाओं का जिक्र किया जो इस विधेयक में आयी हैं। लक्जरी गुड्स के बारे में पहले अर्ज कर चुका हूं।

उसके आगे फूडग्रेन्स के मामले में अगर उसके पहले के इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स था। उसे हम बिल्कुल बदल कर सिर्फ परचेज टैक्स लगाने जा रहे हैं और उसमें केवल एक ही स्थान पर होगा, सिंगिल प्वाइंट होगा। एक आदमी किसी स्थान पर अपना अनाज बेंचने लायेगा। केवल वहीं पर टैक्स ले लिया जायगा। उसके आगे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है क्योंकि अब तक उसमें छोटे-छोटे दूकानदारों को या व्यापारियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जहां तक इसके टर्न ओवर का सम्बन्ध है ३० हजार या इससे अधिक है। अब तक हमारे यहां १२ हजार या इससे अधिक था। तो परचेज टैक्स के मामले में जैसा कि मैंने निवेदन किया ३० हजार या इससे अधिक है। उसके साथ ही साथ सरकार चार नये पैसे से अधिक कर नहीं ले रही है जिसके द्वारा परचेज टैक्स लगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया सरकार का टैक्स बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है।

यदि सेल्स टैक्स को हम परचेज टैक्स में बदल करके सदन के सम्मुख लाते हैं तो यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कोई माल खरीदता है और पहले व्यापारी के पास ३ (ई) के मुताबिक अगर लाइसेंस है तो जरूरी नहीं है कि जिसने, पहले व्यापारी ने, सामान खरीदा था उसको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि लाइसेंस के द्वारा उससे उम्मीद की जाती है कि परचेज टैक्स के रूप में टैक्स ले लिया गया होगा।

[श्री धर्मसिंह]

आगे चल कर उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसकी धाराओं का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने जिक्र किया लाइसेंस लेने की एक धारा है। उस धारा के अनुसार यदि किसी व्यापारी का अनुमानित टर्न ओवर ३० हजार से कम न हो तो उसको लाइसेंस इत्यादि लेना पड़ेगा। यदि बीच में वह किसी व्यापार को आरम्भ करता है, जहां तक लाइसेंस का सम्बन्ध है, तो उसके प्रति मास का टर्न ओवर ३० हजार रुपये के बारहवें भाग से कम न हो तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा।

जहां तक लाइसेंस का सम्बन्ध है, उसको रद्द करने या संशोधन करने का अधिकार नहीं था। अब ऐसेसिंग ऐथारिटी को रद्द करने का या संशोधन करने का अधिकार दिया जा रहा है।

जहां तक रजिस्ट्रेशन की पद्धति है उसमें वही पद्धति है जो अब तक रजिस्ट्रेशन के लिये चली आती है। लेकिन अब खास बात हो गयी है। यदि कोई व्यापारी का जहां जहां पेशा है या जहां उसके उत्पादन का सम्बन्ध है यदि वह बीच में बन्द कर देता है तो रजिस्ट्रेशन में रद्दोबदल या संशोधन किया जा सकता है।

आगे चल कर उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसकी और धाराओं का सम्बन्ध है अब तक हमारे यहां हाईकोर्ट जाने का कोई नियम नहीं था। व्यापारियों को और महकमे के लोगों की दिक्कतें सामने आती थीं। इस बात के लिये व्यवस्था की गई है कि अगर वह आदमी हाईकोर्ट जाना चाहता है तो वह इस तरह से जा सकता है। हाईकोर्ट के लिये एक प्रोसीजर बना दिया गया है कि दो जजेज के सामने मामला जायगा। यदि वे दोनों सेल्स टैक्स के मामले में एक ही तरह की राय दे देते हैं तो मान्य होगा और यदि इत्तफ़ाक नहीं है तो अपनी-अपनी बात कह देंगे। फिर वह मामला एक या एक से अधिक जजेज के सामने पेश होगा और जो बहुमत का निर्णय होगा, पहले वाले जजेज को मिला करके, वही माना जायागा। इसके साथ-साथ अगर हाईकोर्ट इजाजत दे देगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकेगा। तो जैसा मैंने कहा इस तरह का कोई प्रावीजन नहीं था और व्यापारियों के सामने दिक्कतें आती थीं। महकमे के सामने भी दिक्कतें आती थीं।

जहां तक इसके और खंडों का सम्बन्ध है वह इसलिये किया गया है कि इस सदन के सदस्यों ने हमेशा इस बात को कहा है कि हमारे प्रदेश में इवेजन होता है। उसको रोकने के लिये समय-समय पर विधेयक लाये गये हैं, हर तरह के नियम बने हैं। पहले विधेयक में जो अब तक अधिकार दे रखा था वह यह था कि यदि कोई ऐसेसिंग ऐथोरिटी यह महसूस करता है कि कहीं पर इवेजन हो रहा है, किसी की दूकान पर रेड करना है, किसी के ऐकाउन्ट्स को जमा कराना है तो पहले उसे सेल्स टैक्स कमिश्नर की इजाजत लेनी पड़ती थी और जब इजाजत मिल जाती तब इस तरह की कार्यवाही कर सकता था। लेकिन इस विधेयक के द्वारा जिन जिलों में सेल्स टैक्स आफिसर होगा इस तरह के नियम बनाने के लिये हम उसको अधिकार देते हैं यदि उसको यह शक है कि कहीं पर माल इस तरीके से जा रहा है, या जहां रेड होने की आवश्यकता है इवेजन हो रहा है। कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। एक आदमी व्यापार यहां कर रहा है, वही आदमी दूसरे स्थान पर कर रहा है। तो सेल्स टैक्स आफिसर को इस बात के लिए आवश्यकता नहीं होगी कि वह सेल्स टैक्स कमिश्नर को ऐप्लाई करे और उसकी इजाजत मिलने पर तब रेड कर सके। इस विधेयक के द्वारा वही किया जा रहा है जो सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट के अनुसार पिछले सात आठ महीनों से लागू है। अब इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने निवेदन किया इसमें हम कोई नया टैक्स लगाने नहीं जा रहे हैं। छोटी-छोटी बातें हैं जिनके लिए मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इन पर विचार करे। इसके बाद क्लाजेज का जहां तक सवाल है छोटे-छोटे क्लाजेज हैं। उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा खयाल है सदन उन्हें स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--मेरे सामने काफी संख्या संशोधनों की है। ११ संशोधन हैं। इनमें से केवल तीन संशोधन मैं लूंगा। पहला संशोधन माननीय गोविन्द सिंह जी का नम्बर १ पर

समिति के सुपुर्द करने का है। दूसरा श्री भगवतीसिंह विशारद का है संयुक्त प्रवर समिति के लिए और तीसरा नम्बर ६ पर श्री नारायणदास पासी का जनमत के लिए घुमाने का है। इन तीनों संशोधनों में सबके संशोधनों का समावेश हो जाता है। तो पहले मैं इन तीन संशोधनों को पेश करने की इजाजत दूंगा और बाकी सदस्यों को इन पर बोलने की इजाजत दूंगा। कोई और संशोधन नहीं लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ [U. P. Sales Tax (Amendment) Bill, 1958] पर अपना संशोधन इस प्रकार रख रहा हूं—

"उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो २ महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख उपस्थित करे। प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।"

(प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्रीमन्, यह सेल्स टैक्स काफी विवाद का विषय शुरू से रहा है और इसमें बहुत से तरमीमात आज तक आये हैं। अगर इनकी तादाद गिनायी जाय तो ४८ में एक ५० में एक ५२ में एक ५३ में एक ५४ में एक ५६ में चार और ५७ में तीन यानी एक-एक साल में तीन-तीन और चार-चार संशोधन बराबर इस सेल्स टैक्स बिल पर आये हैं। इसमें शक नहीं कि हमारे यह ड्रफ्टिंग आफिसर्स होशियार हैं बल्कि दुःख तो इस बात का है कि हम हर बात में उतावली करते हैं। माननीय मंत्री जी के सामने जब हम अपनी नाचीज राय पेश करते हैं तो वह ठुकरा दी जाती है। साहब, एक बार ठंडे दिल से हमारी भी तुच्छ बुद्धि का कुछ फायदा उठा लीजिए। अगर आप उससे नाइत्तफाक करेंगे तो बहुमत तो आपका है ही। जो बात आप यहां नहीं मान सकते वह अगर आप नहीं चाहते तो वहां भी हम आपसे मनवा थोड़े ही सकते हैं। जैसा कि पालीवाल जी कहते हैं कि संख्या के असुर, संख्यासुर, के बल पर आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर थोड़ी ही हमारी भी सुन ली जाय तो कोई फर्क नहीं हो जायगा। लेकिन उस समय तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह तो डिलेइंग टैक्टिक्स है।

श्री उपाध्यक्ष—आपकी इस खाकसारी का जरूर सरकार पर असर पड़ना चाहिए।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

हमारी राय ठुकरा दी जाती है। खैर, यह उनका हक है। लेकिन जम्हूरियत या डेमोक्रेसी जो है श्रीमन्, वह सिर्फ बहुमत का राज्य नहीं है। बल्कि it is a government of discussion। हम यहां इसलिए हैं कि कुछ दो तरफा रायें हों। अपनी-अपनी रायें सब दें और छानबीन अच्छी तरह से हो। फिर जो चीज उससे निकल आये उसे ले लें। अगर ऐसी बात नहीं होतीं तो लेजिस्लेशन कोई मानी नहीं रखता। डेमोक्रेसी के कोई मानी नहीं रहते क्योंकि यह ऐक्ट्स जिस तरह से फ्रेम होते हैं, एग्जीक्यूटिव फ्रेम करती है और अगर वह जैसे फ्रेम होते हैं वैसे ही रहते हैं तो क्या जरूरत है सदन में उनको लाने की, वैसे ही उठाकर पास कर दिये जावें। लेकिन जरूरत है इसकी खामियां दूर करने की। एक दिमाग से दो दिमाग हमेशा बेहतर होते हैं, यह उसूल है। तो, श्रीमन्, इतने ज्यादा तरमीमात लाने की जरूरत न पड़े इसी मद्देनजर को रखते हुए मेरा यह संशोधन है। लेकिन जब कभी प्रवर समिति की बात की जाती है तो कहा जाता है कि यह तो डिलेइंग टैक्टिक्स है। मगर १९४८ से अब तक १४ संशोधन इस ऐक्ट में आ गये।

तो यह तो ऐसा अवसर है जिसमें हम सोचते हैं कि इस सदन में उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य भी चाहे जोर से न कह सकें लेकिन वे भी मन में विश्वास रखते हैं कि इसको जरूर सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

यह बिल आया कैसे ? जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी। उसके अलावा सन् १९५० में संविधान का अनुच्छेद २८६ बना जिसे में अंग्रेजी में आपकी इजाजत से पढ़ देता हूं :—

"No law of a State shall impose, or authorize the imposition of, a tax on the sale for purchase of goods where such a sale or purchase takes place—
(*a*) outside the State."

"कोई भी राज्य ऐसी चीज पर टैक्स नहीं लगायेगा जहां उसकी खरीद उस स्टेट की सीमा के बाहर हो।" तो यह अड़चन सरकार के सामने आयी, उसके बाद सेल्स टैक्स का इतिहास यह बताता है कि सारी स्टेट्स ने यह कोशिश की कि अगर कोई बाहर से माल दूसरी स्टेट में भेजता है, जहां पर वह रहता नहीं है तो उस डीलर को जो कि नान रेजाडेंट हो उस दूसरी स्टेट में अपने को रजिस्टर करा लेना होगा। इस पर दिल्ली में वित्त विभागों की मीटिंग्ज हुईं। एक बड़ा कमीशन बैठा। यह पर्चेज टैक्स की बात यहां से शुरू हुई।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के आदेश पर, पर्चेज टैक्स लगाने की जरूरत पड़ी, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह डबल टैक्सेशन नहीं होगा ? केन्द्रीय सरकार ने अपने सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ में साफ हिदायत दी है। उसके सेक्शन ६ को मैं पढ़े देता हूं :—

"A dealer shall be liable to pay tax under this Act on all sales effected by him in the course of inter-State trade or commerce during any year on and from the date so notified."

हर आदमी को जो इंटर स्टेट ट्रेड करे, जिसकी वजह से मौजूदा बिल आया है, उसे उस पर हमारे यहां टैक्स देना पड़ेगा। तो एक टैक्स तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट को दे और उसके बाद दूसरा टैक्स प्रान्तीय सरकार को दे। डबल टैक्सेशन की यह पालिसी गलत है। क्या लोगों पर यह अत्याचार नहीं होगा ? श्रीमन्, इसमें आगे चल कर रेट्स के बारे में कहा गया है। दफा ८ इस प्रकार है :—

"Every dealer who, in the course of inter-State trade or commerce sells to a registered dealer goods of the description referred to in sub-section (3) shall be liable to pay tax under this Act, which shall be one per cent of his turnover."

फिर ऐसी बात नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इस सारे टैक्स को खुद हड़प लेगी। दफा ९ की उपधारा (३) इस प्रकार है :—

"The proceeds (reduced by the cost of collection) in any financial year of any tax levied and collected under this Act in any State on behalf of the Government of India, shall except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to Union territories, be assigned to that State and shall be retained by it ;"

अखराजात को काटने के बाद वह सारा टैक्स केन्द्रीय सरकार हमको दे रही है। एक प्रान्त के साथ जो ट्रेड दूसरा प्रान्त करता है और उसमें जो सेल्स टैक्स वसूल होता है और जिसमें हम दूसरी स्टेट को सुप्रीम कोर्ट की इस नजीर के बाद, ऐसेस नहीं कर सकते थे आज केन्द्रीय सरकार हमारी जगह पर उसे जमा करके हमारी जेब में डाल रही है। तब क्या जरूरत है कि उसी बहाने से हम एक और नया टैक्स लगायें, और किस चीज पर ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम फूड-ग्रेन्स पर सिंगिल पाइंट टैक्स लगाते हैं। एक हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जिसमें रोटी पर टैक्स है। रूस में नहीं, चीन में नहीं, पोलैंड में नहीं अमेरीका में नहीं, लेकिन यहां रोटी पर टैक्स है। हमारी सरकार जो कि हमें समाजवाद की ओर ले जाने की बातें करती है और डींगे मारा करती है वह रोटी और अन्न, खाने, पर टैक्स लगाती

है और दूसरी तरफ कहती है कि हम डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों का पालन करते हैं और यह कहा जाता है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बना रहे हैं। उसका ज्वलन्त नमूना यह है कि एक-एक ग्रास और कौर पर, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, उसके कौर पर आपका टैक्स है। यह रोटी का टैक्स कहां तक जाता है ? साइंटिस्ट्स ने सिद्ध कर दिया है कि ४० सेर भोजन पचने के बाद उससे एक सेर खून बनता है। रावण के राज्य में सुनते थे कि खून का टैक्स लगता था। लेकिन आज रोटी मंहगी हो गयी है और लोग आधी रोटी इसलिये नहीं खा पाते क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार उस पर टैक्स लगा रही है, यानी आधी रोटी जितने दिनों में, २० सेर अन्न लोग खाते अब उतने दिनों में १० सेर ही खा पाते हैं और पाव भर खून को टैक्स के रूप में हमारी कांग्रेस सरकार ले लेती है। क्या यह उसकी सफेद टोपी को लाल बनाने को काफी नहीं ? मैं एक दम सिद्धान्ततः इसके खिलाफ हूं कि रोटी पर, अन्न पर, सरकार कोई टैक्स लगाये। जब कि देश में इतनी भुखमरी फैल रही है उस समय अन्न पर टैक्स लगाना प्रजातंत्र और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के तथाकथित सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है।

अब मैं आगे की दफाओं पर आऊं। इस बिल में दूसरी चीज यह कही गयी है कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स ३/४ परसेंट हम लक्जरी गुड्स पर बढ़ा रहे हैं, कहा गया है। मगर दरअसल जहां एक आना आज तक था आज उसे बदल कर ७ नये पैसे कर दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से रेट्स दिये हुये हैं कि ४ पुराने पैसे बराबर हैं ६ नये पैसे, लेकिन हमारी सरकार तो हर चीज और हर तरमीम को टैक्स के एनहान्स करने के लिए एक बहाना बना लेती है। मैं दिखाऊंगा कि जो कमीशन केन्द्रीय सरकार का बैठा था, उसने जो सिफारिशें की हैं कि टैक्स को घटाना चाहिये उन को तो हमारी सरकार लेती नहीं, उन पर तो अमल करती नहीं, लेकिन जब केन्द्र में कहीं कह दिया कि कुछ बढ़ा लो तो फौरन् उस पर अमल शुरू कर दिया यानी "कड़ुआ-कड़ुआ थू और मीठा-मीठा गप"। श्रीमन्, पेज ६१ कमीशन की रिपोर्ट का, इस प्रकार है:—

"The rate of tax to be prescribed under the Central Legislation should be given—

(*a*) for inter-State trade between registered dealers—
(i) One-fourth anna in the rupee for 'specified goods', and
(ii) one percent in regard to all other goods.

(*b*) for inter-State trade between registered dealers and an unregistered dealer or consumer in another:—
the same rates as are levied by the State from where the goods are despatched on sales or purchases of similar goods within its territory."

आगे जा कर उन्होंने तफसील से कहा है। श्रीमन्, मैं इतनी तफसील में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने टैक्स के लिये बताया है कि अगर यह चाहते हो कि लोग टैक्स ठीक से समय पर अदा करें, इवेजन कम हो, तो यह जरूरी है कि टैक्स के रेट्स ऊंचे न हों। इसमें मंत्री जी फरमाते हैं कि हम तो लक्जरी गुड्स के लिये कह रहे हैं। लेकिन इस विधेयक में कहीं यह स्पष्ट नहीं है कि यह कौन-कौन से गुड्स होंगे जिन पर यह टैक्स आयद होगा--ऐसी कोई तफसील नहीं दी गयी है। असल में होना यह चाहिये था कि उनकी लिस्ट प्रोवाइडेड फार होती ताकि हमको मालूम हो पाता कि किस पर किस रेट से टैक्स लग रहा है। लेकिन बिल बनाती बार इसमें हमेशा रखा जाता है "as will be notified in in the extraordinary gazette"। यानी गवर्नमेंट एक्सट्रा आर्डिनरी गजट में निकालेगी तब एक्स्ट्रा आर्डिनरी तरीके पर वह आयद हो जायगा। इसकी तफसील में श्रीमन्, थोड़ा सा जाया जाय तो आप देखेंगे कि इसमें बात यह होती है कि इस तरह से टैक्स लगाने से भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। हमारे यहां का जो सेल्स टैक्स का कानून है वह बड़ा पेचीदा हो गया है और बहुत सा इवेजन होता है और वह इस वजह से नहीं होता है कि सब व्यापारी बेइमान हैं बल्कि इसका कानून, प्रोसीजर और फार्म्स

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

ए०, बी०, सी०, डी०, ई०, एफ० वगैरह इस कदर पेचीदा हैं कि व्यापारी समझ नहीं पाते हैं। अब तो और भी तरमीमें आ गयी हैं और उपखंड ए०, बी०, सी०, डी० वगैरह के आगे और भी कुछ लग गया है और आज यह संशोधन है। पता नहीं कल फिर कौन सा होगा? जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि दफा २७ जोड़ी गयी थी वह आज खत्म कर दी गई है। पहले इसके जोड़ने की बड़ी भारी अहमियत बतायी गयी थी और यह कहा जाता था कि यू० पी० में इसके बिना सैलाब आ जायेगा, सारा बेड़ा गर्क हो जायगा, लेकिन आज उसको खत्म कर दिया गया है। अगर आप पुराने भाषणों को पढ़ें और आज के भाषणों को पढ़ें तो उनमें ३ और ६ का सम्बन्ध मालूम होगा।

मैं अर्ज करूं श्रीमन्, आप के द्वारा कि इस तरह से कंट्राडिक्टरी बातें आती हैं। मैं सरकार से अर्ज करता हूं "Why don't you stoop to conquer?" जरा आप ही झुक जाइये, क्योंकि बात तो आपकी ही चलेगी। लेकिन वह मानेंगे नहीं क्यों कि वह रूठे हुये हैं। श्रीमन्, मैं कमीशन की रिपोर्ट पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। ऐसे प्रावीजन से तो तब तक कानून ठीक नहीं बन सकता है और सरकार का काम नहीं चल सकता है जब तक कि सेल्स टैक्स की रोजमर्रा की समस्याओं को न सुलझाया जाय। मसलन कपड़े के मामले में कपड़े के व्यापारी को और बिसातखाने के मामले में बिसातियों के प्रतिनिधियों को लिया जाय। इस तरह से व्यापार सम्बन्धी लोगों को रखा जाय और उनके मशविरे से कानून बनाया जाय। कानून बनाना उतनी बात नहीं है जितना कि यह जरूरी है कि उसका असर अच्छा हो, रोजमर्रा की दिक्कतें न हों, किस तरह से फार्म्स सरल हों। बहुत से व्यापारी तो इसलिए डरते हैं कि वह इसके फार्म्स वगैर को समझते नहीं हैं और इससे बच निकलने की कोशिश करते हैं।

आप के सिस्टम में एक बड़ी खराबी है कि असेसमेंट में बड़ी देर लगती है और इसका कारण स्टाफ की कमी होना बताया जाता है। सरकार के पास बिक्री कर से बहुत रुपया आता है। थोड़ा सा स्टाफ बढ़ाया जाय या वेतन बढ़ाया जाय तो सरकार को इसमें कुछ गिला नहीं होना चाहिये। सरकार देर में असेस करती है तो उसे बड़ी दिक्कत होती है। कानपुर में नौघड़ा एक जगह है वहां पर कपड़े पर सेल्स टैक्स न लिये जाने का मामला इन्तहा दर्जे को पहुंच गया है। अब तक यह होता रहा है कि बाहर के रजिस्टर्ड व्यापारी से माल मंगाने से सेल्स टैक्स देना पड़ता है और अनरजिस्टर्ड व्यापारी से मंगाने पर नहीं देना पड़ता है। टैक्स से बचने की क्या क्या तरकीबें हैं, मेरी समझ में नहीं पूरी आतीं। उदाहरण के लिये मैं आप के द्वारा सदन को बता दूं कि धोती जोड़ा ४२६३ का बम्बई में ७ रुपये १४ आना का पड़ता है। बम्बई से कानपुर का खर्च ४ आने और बिक्री-कर करीब ८ आने के आता है। इसी तरह से वह ८ रुपये १० आना का होना चाहिये लेकिन बेच दिया ८ रुपये ६ आने में। इसी तरह से एक लम्बी तफसील कानपुर के व्यापारियों ने और अन्य लोगों ने मेरे पास भेजी है। मैं उसको पढ़ कर हाउस का समय खराब नहीं करना चाहता। लेकिन क्या यह करप्शन नहीं है? एक तो होता यह है कि अफसर और व्यापारी मिल जाते हैं और कभी व्यापारी और कंज्यूमर मिल जाते हैं। वे कहते हैं कि पर्ची वगैरह न काटो। आज सरकार शायद इसी चीज को ध्यान से रख कर सेल्स टैक्स अफसर को रेड वगैरह करने के लिये इजाजत देना चाहती है। ठीक है। लेकिन आज तक यह अधिकार सेल्स-टैक्स कमिश्नर को था और अब तरमीम हो जाने के बाद असेसिंग एथारिटी के हाथ में है यह अधिकार आ जायगा। आपकी आज्ञा से मैं उसको पढ़ दूं, जो नई दफा तरमीम होने पर होगी —

"If the Assessing Authority has reasonable grounds for believing that any dealer is trying to evade liability of tax under this Act etc. etc."

इस बारे में जैसी कि भारत सरकार के कमीशन की भी राय है, ऐसेसिंग ऐथारिटी कम तजुर्बेकार होते हैं। पहले जो धारा रखी गयी थी वह इस माने में गलत नहीं थी कि जिस आदमी को जितना ज्यादा तजुर्बा होता है उतना ही अधिक फायदा वह जनता को देता

है। जैसे आप देखते हैं कि जज और मैजिस्ट्रेट ज्यों-ज्यों तजुर्बेकार होते जाते हैं त्यों-त्यों उनका ऐक्विटिंग और लिबरल नेचर होता जाता है और जो नये-नये नौसिखिये लोग जाते हैं उनको अगर दो साल की सजा देने का अधिकार होता है तो पौने दो साल करने में वे हिचकते हैं। इस धारा के अनुसार जो आप किसी के घर में घुसने का और कागजात वगैरह छीनने का बड़ा अधिकार दे रहे हैं ऐसा अधिकार तो भारत सरकार ने इन्कम-टैक्स ऐक्ट के अन्दर भी नहीं दे रखा है। लाइन आप की ठीक है लेकिन इसके लिये इन्सपेक्टोरेट की तरह का स्टाफ होना चाहिये और उसका सम्बन्ध ऐसेसमेंट से बिल्कुल न हो क्योंकि अगर ऐसेसिंग ऐथारिटी किसी के घर में सरप्राइज विजिट करने गयी और किसी ने उस को आब्सट्रैक्ट किया तो वह गुस्सा होकर लौटेगा और ऐसेसमेंट के वक्त फिर वह यह नहीं देखेगा कि कितने माल की व्यापारी के यहां खपत है और कितना ऐसेसमेंट उसका होना चाहिये। इसलिये यह इंसपेक्शन स्टाफ अलग होना चाहिये। मेरी राय में तो इंटर-स्टेट से भी वह इन्स्पेक्टर सम्बन्ध रक्खें आक्ट्राय से भी उसका सम्बन्ध हो, और एक्साइज डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है उसके साथ भी सम्बन्ध रहे। इससे क्या होगा। इन चीजों के होने से मुकम्मल पिक्चर आप के सामने आ जायगी। जो सरकार के टैक्स का इवेज़न होता है उन पर सरकार ज्यादा कंट्रोल कर सकेगी। इस तरह से ऐसेसिंग ऐथारिटी को अगर आप अधिकार देते हैं तो उससे नाजायज इस्तेमाल होगा और अधिकारों का जायज इस्तेमाल कम होगा।

आगे इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जब तक आप अपनी स्पेशल सी० आई० डी० न रखें और उसके जरिये से यह मालूम न करें कि इन बड़े सेन्टरों में माल कहां से आता है और कहां जाता है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, कौन भ्रष्टाचार करता है और पता लगाने पर उनको पकड़ा नहीं जाता है तब तक आप को इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर इस तरह से किया जायगा तो उनको दोबारा जुर्रत भी नहीं होगी कि इस तरह का वह जुर्म फिर कर सकें। इसके लिये एक परामर्शदात्री-समिति होना जरूरी है। रोजबरोज के काम को चलाने के लिये बड़े व्यापार के सेन्टर में एक ऐडवाइजरी कमेटी होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि इन चीजों के रेट आप को मालूम हों। आप कोटेशन मंगायें। अहमदाबाद, कोयम्बटूर या बम्बई से जहां पर बड़े-बड़े मिल हैं उनसे कोटेशन मंगाने की व्यवस्था करें। आप उनको वेरीफाई करें और यह देखें कि माल किस भाव पर बिक रहा है। खर्चा निकाल कर देखें कि वह कम भाव पर तो नहीं बेच रहे हैं। इसकी गहराई में जाने की चेष्टा की जाय। बिना मुनाफे के कोई व्यापारी बेचा नहीं करता है। इस तरह से मैं यह समझता हूं कि इवेज़न आफ टैक्स कम होगा।

अन्त में, मैं परचेज टैक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। परचेज टैक्स के लिये यह जरूरी होता है कि जो इम्पोर्टिंग स्टेट होती हैं उनको तो इससे दिलचस्पी रहती है लेकिन जो एक्सपोर्टिंग स्टेट होती हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। आप जो बाहर से खरीदते हैं आप उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। मान लीजिये शोलापुर से कानपुर में १०० बेल्स आयी। तो वह परचेज हो गयी। कानपुर में अगर डिलीवरी हो सकती है तो जैसा कि सेल की डेफिनिशन में माना गया है कि जहां पर डिलीवरी गुड्स की होगी वहीं पर आप सेल मानेंगे। तब आप परचेज टैक्स लगाना चाहते हैं अपने व्यापारी पर, आपने यह क्लेरिफाई नहीं कर रखा है कि परचेज की डेफिनिशन इन्टर स्टेट परचेज के रूप में जो ले लेते हैं वह नहीं होगी। कानून का वाइंडर इन्टरप्रिटेशन होता है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---इन्टर-स्टेट टैक्स अलग है। केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ ऐक्ट अलग है। जो इन्टर-स्टेट ट्रान्जैक्शन्स होते हैं वह उससे गवर्न होते हैं। जो हमारा टैक्स होता है उसस हमारे यहां के ट्रान्जैक्शन्स गवर्न होते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं, लेकिन जनाब ने जो अपने मुखारबिन्द से फरमाया वह इस ऐक्ट में कहीं नजर नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष--वह अलग है। इसमें कहां से नजर आयेगा?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--इसका कोई प्राविजो नहीं है जिसमें यह कह दिया जाता कि इन्टरस्टेट मामले इससे गवर्न नहीं होंगे। कानून का साफ तरीके से मतलब होना चाहिये तो चीज यह है कि इसका आप प्राविजो रखें। मन में तो आप के बहुत अच्छी चीजें हैं लेकिन जब तक मुझको कागज पर लिखी हुई नहीं मिलती हैं तब तक कोई उन्हें कैसे पढ़ सकता है? अब श्रीमन्, केन्द्रीय टैक्स की बात मंत्री जी ने कही। यहां पर उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि यह इंटर स्टेट टैक्स में नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, इसकी बुनियाद ही यहां से आयी कि किस तरह से हम स्टेट के बाहर रहने वालों पर टैक्स आयद कर सकें। जो सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग हुई और उसके बाद जो तरमीम हुई उसके बाद यह चीज आयी कि आप उन पर ऐसेस किस तरह से कर सके। इसके लिये यह परचेज टैक्स लगा। बहरहाल, जो भी हो, इंटरस्टेट टैक्स के लिये तो यह बिलकुल बेअसर हो जाता है।

अब जहां तक कानूनी प्रतिबंधों का सवाल है, माननीय नारायणदत्त जी ने दो बातें अर्ज कर ही दीं। उन पर माननीय मंत्री तवज्जह देंगे। मैं आखिर में यह अर्ज करूंगा माननीय मंत्री जी और उनके विभाग से कि यह बड़ा कंट्रोवर्शियल व पेचीदा विषय हो गया है। अगर उधर अपनी तरफ के बैठने वालों के दिल की गहराई में जा कर भी आप देखें तो पायेंगे कि उनको हमारी इस बात से इत्तफाक है। तो इसलिये आवश्यक है कि इस पर एक बार अच्छी तरह से विचार हो जाय और आप इस तरह से रोज-रोज दुमछल्ले लगा कर कानून न लायें। जैसे पुरानी फटी फुटबाल में पैबन्द चढ़ाते चले जाते हैं उसी तरह का अब यह कानून हो गया है। एक बार आप नयी गेंद निकालिये ताकि ठीक खेल हो और इसके चीथड़े हटाइये, यही मेरी गुजारिश है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ३ मास के अन्दर प्रस्तुत करे। प्रवर समिति को प्रस्तुत विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है और जो उसके उद्देश्य और कारण बताये हैं, मैं उन से अपने को पूर्णतया सहमत नहीं कर पाता हूं और इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मान्यवर, जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, सभी लोगों की और इस प्रदेश की जनता की यह राय है कि खाद्य-सामग्री पर किसी तरह का भी टैक्स नहीं होना चाहिये। लेकिन इस प्रदेश की सरकार इस बात के लिये दृढ़ संकल्प है कि चाहे देश में, प्रदेश में कितनी ही गरीबी, बेरोजगारी फैले और चाहे कितने ही लोग बेकार रहें लेकिन वह इसके लिये मुस्तहक रहना चाहती है कि वह भूखे मरने वालों, बेरोजगारों आदि से किसी न किसी रूप में टैक्स वसूल करती जाय और इसीलिये इस तरह के संशोधन विधेयक इस सदन में बराबर आते रहे हैं। जब से यह सदन इस नये चुनाव के बाद संगठित हुआ और मैं यहां पर आया हूं, तीन चार संशोधन विधेयक यहां पर आये और उन सबके सम्बन्ध में समय-समय पर सभी लोगों ने अपनी राय दी और अब यह आशा थी कि माननीय मंत्री जी अब शांत बैठेंगे और सेल्स टैक्स के सिलसिले में कोई विशेष कष्ट उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे दुःख है कि उनको जहां कहीं जरा सा भी बहाना मिला, चाहे वह केन्द्रीय सरकार का हो, चाहे सेल्स के बजाय परचेजिंग टैक्स जो सरकार करने जा रही है, जहां जरा सहारा मिला उन्होंने कोई अमेंडमेंट पेश कर दिया। मान्यवर, कोई कारण नहीं दिया गया है कि जब इस, प्रदेश में प्रदेशीय सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी बैठी हुई थी, बनायी गयी थी, तो क्या माननीय मंत्री जी मुझे यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस संशोधन विधेयक को उन्होंने उस ऐडवाइजरी

कमेटी के सामने भी प्रस्तुत किया था ? उसका फंक्शन क्या है ? यही तो फंक्शन है कि सेल्स टैक्स के सिलसिले में आम जनता की क्या कठिनाइयां हैं, व्यापारियों की क्या कठिनाइयां हैं, प्रशासन सम्बन्धी क्या कठिनाइयां हैं, उन पर वह विचार करे और विचार कर के कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे आम जनता की भी कठिनाइयां दूर हो सकें। व्यापारियों की भी कठिनाइयां दूर हो सकें और सरकार को भी सेल्स टैक्स के वसूल करने में कोई खास परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन सरकार ने आज से लगभग ६ महीने पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि हमने इस प्रदेश की जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये, व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये, उनकी कठिनाइयों को जानने और समझने के लिये एक सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी बना दी। उस ऐडवाइजरी कमेटी ने अब तक क्या किया है ? मेरी जहां तक जानकारी है केवल नाम के लिये उसकी घोषणा की गयी थी और आज तक उस सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं उठाया गया। मुझे तो जिस तरह से वह सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी बनी है, उसी से एतराज है। लेकिन फिर भी जैसी भी कमेटी थी, यदि माननीय मंत्री जी इस तरह का संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत करने के पहले उस कमेटी में विचार करते कि अब तक व्यापारियों को क्या कठिनाइयां रही हैं, और साधारण जनता की कठिनाइयों का भी उसमें विचार होता और फिर यहां संशोधन विधेयक लाया गया होता तो उस समय शायद हम लोगों को विचार करने में और उन विचारों से अपने को सहमत बनाने में कोई विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता।

मैं सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी के सिलसिले में बतलाऊं, क्या माननीय मंत्री जी हमको यह बतलायेंगे कि उस ऐडवाइजरी कमेटी में साथी राजनारायण जैसे आदमी को क्यों नहीं रखा गया। उस कमेटी में साथी नारायणदत्त तिवारी जैसे आदमी क्यों नहीं रखा गया जो जानते हैं कि आम जनता की परेशानी क्या है, जो जानते हैं कि इस प्रदेश के व्यापारियों की परेशानियां क्या हैं, और उन परेशानियों को जानते हुए कानून बनवा सकते हैं ? वे इस दृष्टिकोण से कानून बनवा सकते हैं जिससे व्यापार भी नष्ट न हो और किसी को किसी तरह की भी कठिनाई न हो। ऐसे साथियों का सहयोग नहीं प्राप्त किया जाता है, इसीलिये मैं विवश हूं कि इस तरह के जो संशोधन विधेयक आवें उनका विरोध करूं और उनमें संशोधन उपस्थित करूं।

मान्यवर, खाद्यान्न के सिलसिले में जिस दिन १ अप्रैल, १९५७ को सरकार का आर्डिनेंस लागू हुआ, उस दिन से प्रदेश के तमाम गल्ला व्यापारियों ने लगातार सात आठ दिन तक पूरे प्रदेश में हड़ताल रखी थी। हिन्दुस्तान की आजादी प्राप्त होने के बाद आज तक इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था। लेकिन सरकार ने उन सब बातों को जानते और समझते हुये भी उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की और उस समय से यह क्रम सारे व्यापारियों का आज भी चल रहा है कि वे हर पहली तारीख को हड़ताल करते हैं क्योंकि वे जानते हैं और सही समझते हैं कि खाद्यान्न पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं होना चाहिये। खाद्यान्न सामग्री पर यदि टैक्स लगता है तो उससे परेशानी किसको होती है ? उससे परेशानी आम जनता को, मिल मजदूरों को, मध्यम श्रेणी के लोगों को और नौकरी पेशा लोगों को होती है। ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं होती जिनके पास अधिक पैसे इकट्ठे हैं। इससे आम जनता को ही अधिक परेशानी होती है। तो मान्यवर, कितना ही अच्छा होता कि कोई भी संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी यहां लाते उसके पहले यह घोषणा कर देते कि खाद्यान्न पर कोई भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब सेल्स टैक्स के बजाय परचेजिंग टैक्स लग रहा है। यह बतलाया गया कि इसमें यह सुविधा है कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स होगा। बड़ी खुशी है थोड़ी सी राहत मिलेगी लेकिन कितना अच्छा होता कि जो अपाहिज या कोढ़ी आदि अपंग हैं या विकलांग हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है उनको मुक्त करने के लिये खाद्यान्नों पर से बिक्री कर हटा दिया जाता। मैंने अपने संशोधन में हवाला दिया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसकी परिधि को भी बढ़ाया जाय। वह इसलिये कि अभी इससे पहले इसी सदन में एक संशोधन विधेयक आया था और वह इसलिये आया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने कपड़े के टैक्स को एक्साइज

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

में शामिल कर दिया है इसलिये एकरूपता लाने के लिये जरूरी हुआ कि जिनके पास कपड़े का स्टाक है उस पर लेवी लगाई जाय लेकिन इस तरह की लेवी का लगाया जाना कपड़े के व्यापारियों के लिये और साधारण जनता के लिये अहितकर है, क्योंकि जब एक्साइज में सेल्स टैक्स जुड़ जायगा तो इस समय जो कपड़ा आयेगा वह सस्ता होगा और स्टाक पर लेवी लगने के बाद वह मंहगा हो जायगा और घूम-फिर कर उसका असर अन्त में उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अभी पिछली २५ तारीख को कानपुर कपड़ा कमेटी के तत्वावधान में कपड़े के दूकानदारों ने हड़ताल की थी और सरकार के सामने अपना एक मांग पत्र रखा था। उनके पदाधिकारी यहां आते हैं, मंत्री जी से मिलते हैं और उनके सामने अपनी दिक्कतें रखते हैं परन्तु मंत्री जी कोई उत्तर नहीं देते सिवाय इसके कि कमिश्नर साहब से मिलिये। जब वहां जाकर उनसे वह अपनी कठिनाइयां बताते हैं तो वह अपने उसी पुराने ढर्रे के अनुसार रुआब में रहते हैं और वैसे ही बात करते हैं, उनकी कठिनाइयों को नहीं समझते और न उनको दूर करने का कोई तरीका बताते हैं, न सरकार को ही कोई हल बताते हैं कि किस तरह से वह दिक्कतें दूर हों।

यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है इसमें बताया गया है कि जो लिमिट पहले १२,००० की थी उसको बढ़ाकर अब ३०,००० किया गया है। अगर इसको जोड़ा जाय तो ढाई हजार रुपया मासिक हुआ और उसका हिसाब लगाते हैं तो वह ८४ रुपया रोज का हिसाब होता है। इस हिसाब से आप देखें कि जो दूकानदार ८४ रुपया रोज की बिक्री करेगा उसको कितनी आय होगी? इस तरह से मैं समझता हूं कि इस लिमिट को अभी और ऊपर उठाने की जरूरत है। हमें देखना चाहिये कि कम से कम कितना गल्ला बेचने से एक छोटे दूकानदार की जीविका चल सकती है। आप सस्ते गल्ले के दूकानदारों से उनकी समानता करते हैं और कहते हैं कि आम तौर से लोग सेल्स टैक्स देने के आदी हैं। अगर आप इन सस्ते गल्ले की दुकानों के साल भर के टर्न-ओवर का हिसाब लगायें कि कितना टर्न-ओवर उनका होता है तो आप को मालूम हो जायगा कि असलियत क्या है। बेचारे गल्ले के छोटे दुकानदार एक दो बोरा गल्ला लेकर बैठते हैं और उनको दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से दो तीन रुपया मिलता है और फिर उस पर भी आप उनसे टैक्स लेना चाहते हैं यह बड़ी ज्यादती है। हम चाहते हैं कि खाद्यान्नों पर टैक्स बिलकुल न रहे।

एक सदस्य—फिर टैक्स किससे लेना चाहिये?

श्री भगवती सिंह विशारद—आप लोगों से जिनके पास पैसा भरा पड़ा है उनसे लेना चाहिये। जो भूखे मर रहे हैं उनको राहत मिलनी चाहिये। यह दूकानदारों की रोजी का सवाल है, इस तरीके से तो वह जिन्दा तक नहीं रह सकेंगे।

इसके अलावा किस तरह से टैक्स वसूल किया जाता है उसकी भी प्रसंगवश मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। ऐसा बुरा तरीका शायद जजिया टैक्स वसूल करने में भी नहीं अपनाया जाता रहा होगा जैसा बुरा तरीका सेल्स टैक्स के वसूल करने में अपनाया जाता है। गांवों की बाजारों में इंस्पेक्टर जाता है जहां हफ्ते में एक या दो दिन बाजार लगता है। जाकर एक दूकानदार को पकड़ लेता है। वह दूकानदार है या गांव का किसान है इससे इंस्पेक्टर साहब से कोई वास्ता नहीं। अगर वह कहता है कि हम अपना गल्ला बेचने आये हैं, घर में जो गल्ला खेती से पैदा होता है और जो खाने से बचा है वह बेचने आये हैं, कुछ नहीं सुनता। एक सादे कागज पर दस्तखत कराता है और साल भर का उसके ऊपर हिसाब लगाकर भेज देता है। अगर एक घोड़ा बेचने आया था तो ३६५ घोड़े साल भर में हुए। उसके ऊपर टैक्स लगा कर भेज देता है। अगर सरकार इस बात को गलत मानती है तो मैं चुनौती देता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भगवन्तनगर की एक बाजार है। वहां पर यहां का कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी मेरे साथ चले मैं दिखाऊंगा वहां पर इंस्पेक्टर्स किस तरह से ज्यादती करते हैं। एक छः साल का बच्चा है। स्कूल में पढ़ता

है। उसके जिम्मे तीन हजार रुपये की वसूली का वारंट पहुंच चुका है। उसके मां बाप कानपुर में रहते हैं। लड़का स्कूल में पढ़ता है। दूसरे के साथ रहता है। जिनके साथ वह रहता है गल्ले का व्यापार नहीं करते हैं। लेकिन टैक्स का वारंट उसके पास पहुंच चुका है कि अगर फलां तारीख तक टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी कुर्की होगी, तुम जलखान भेज जाओगे। इस प्रकार का कानून है, जिसके सिलसिले में इस बात की आवश्यकता है कि हम पूरी तौर से इस बात पर विचार करें कि कौन-कौन सी खामियां हैं और कैसे उनको दुरुस्त किया जा सकता है।

मान्यवर, एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार की तरफ से जितने भी यहां पर विधेयक प्रस्तुत होते हैं वह जब ऐक्ट का रूप ग्रहण करते हैं, जब उनका प्रचलन शुरू होता है तो जहां वह हाईकोर्ट में पहुंचा, किसी ने उनके खिलाफ अपील दायर की तो सारे के सारे ऐक्ट अवैध करार दे दिये जाते हैं और यही कारण है कि १९४८ से लेकर अब तक यह बारहवां मामला है जबकि इस तरह के संशोधन पर हम विचार कर रहे हैं। आज सरकार अपने माननीय जजों के ऊपर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात जिस समय भले लोग सुनेंगे कि अब सरकार हाईकोर्ट के जजों के ऊपर भी विश्वास नहीं करती तो क्या हाल होगा मैं नहीं जानता। उसका नतीजा यह है कि एक जज सही सही फैसला करे तो चूंकि अब एक जज के ऊपर विश्वास नहीं रहा जहां एक जज के सामने मामला पहुंचा, सरकार के खिलाफ फैसला हुआ तो उन्होंने दूसरा तरीका निकाला है कि बजाय एक जज के सामने, दो जजों के सामने मामला पेश होगा। अगर उनमें किसी तरह की डिफरेंस आफ ओपीनियन हो गयी तो तीसरी, चौथी बेंच के पास जायगा। इस तरह से अब यह सरकार इस प्रदेश के हाईकोर्ट के जजों क ऊपर भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। इसीलिए धारा १० में इस तरह का संशोधन किया गया है। मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें ११-क तथा ११-ख के रूप में बढ़ा दी जायं। क्यों बढ़ा दी जायं? इसलिए कि एक जज का फैसला आपके खिलाफ पड़ता है। एक जज की अक्ल पर मंत्री जी भरोसा नहीं करते। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि दो जजों के सामने मामला जायगा। मंत्री जी स्वयं कहते हैं "जब धारा ११ के अधीन हाईकोर्ट को कोई मामला समाधान के लिए भेजा जाय तो वह हाईकोर्ट के कम से कम दो जजों के बेंच द्वारा सुना जायगा तथा ऐसे जजों के मत से अथवा ऐसे जजों के बहुमत से, यदि कोई हो, तो निर्णीत होगा"। एक जज के द्वारा नहीं सुना जायगा क्योंकि उसका फैसला मंत्री जी के खिलाफ होगा। लिहाजा दो जजों के सामने मामला प्रस्तुत किया जाय। इस तरह से मैं समझता हूं कि यह हाईकोर्ट के सम्मान के भी विरुद्ध है। उनके इंटरनल मामले में भी मंत्री जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**—यह व्यवस्था का प्रश्न है। इस पर ज्यादा तफसील के साथ न जायं। पता नहीं उस पर क्या निर्णय हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि यह जजों के अपमान का प्रश्न बन ही गया हो।

**श्री भगवती सिंह विशारद**—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि इस सरकार का अब एक जज पर विश्वास नहीं रहा है। वह अब दो जजों से काम लेना चाहती है। इसीलिए इस तरह का प्राविजन करने जा रही है।

मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने इस सदन में यह घोषणा की थी कि हम बहुत जल्दी ही एक काम्प्रीहेंसिव बिल सेल्स टैक्स के सिलसिले में लाने वाले हैं। वह काम्प्रीहेंसिव बिल कब आयेगा या नहीं आयेगा मैं नहीं जानता। लेकिन अमेंडमेंट्स जरूर आते रहेंगे और इस तरह के जो अमेंडमेंट्स आयेंगे उससे यह हालत सुधरने वाली नहीं है कि सरकार का खुद इस सिलसिले में न तो दिमाग साफ है, और मैं समझता हूं कि दिल भी साफ नहीं है। साथी नारायणदत्त जी का कहना सही है। तो जब दिमाग न साफ हो, दिल न साफ हो तो एक काम्प्रीहेंसिव बिल तो आ नहीं सकता। इसी तरह अमेंडमेंट आते रहेंगे और वादविवाद

[श्री भगवती सिंह विशारद]

चलता रहेगा तथा प्रदेश की ७ करोड़ जनता बराबर इसी तरह से सतायी जाती रहेगी। तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करें। इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय वहां पर इस पर हर तरह से विचार हो। हम बड़ी उदारता के साथ उनकी भी कठिनाइयों पर विचार करेंगे और उनसे भी आशा करते हैं कि वे आम जनता और व्यापारियों की तथा साधारण जनता की कठिनाइयों पर भी विचार करेंगे। फिर प्रशासन सम्बन्धी क्या कठिनाइयां हैं उन पर भी विचार करेंगे और उसके बाद कोई संशोधन विधेयक अगर स्वीकार किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदन को मालूम है कि यह विधेयक कल शाम ५ बजे तक पारित होना है। तो यों तो अभी वाद-विवाद चल रहा है। अगर आप लोग कोई सुझाव वाद-विवाद के लिये या खंडों पर बहस के लिये समय बांधने के दें तो मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, क्या इसके लिये भी टाइम लिमिट हो गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—कल शाम तक पारित होना तय हो गया है। आप इसके बारे में कोई सुझाव देना चाहें कि आम विवाद कल तक चले तो मैं इसको ले लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं प्रस्ताव करूंगा कि परामर्शदात्री-समिति इस पर पुनर्विचार करे और इस पर कल तक तो आम विवाद होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—जिस समय परामर्शदात्री-समिति में प्रस्ताव पेश था आपको उस समय यह सुझाव पेश करना चाहिये था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—हमारी तरफ से कोई नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष—तो उसी समय आपको रखना चाहिये था कि समिति के पास पुनर्विचार के लिये रख दिया जाय। अब प्रथा तो यही है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के अनुसार काम हम लोग करते हैं। ऐसी सूरत में अब सिर्फ यह तय करना है कि कल ५ बजे शाम तक के समय का किस तरह से सदुपयोग किया जाय। कोई सुझाव आप लोग देना चाहेंगे तो उस पर मैं विचार करूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, कल यह सुझाव आ जायगा कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी भंग कर दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर आप उचित समझें तो मेरा प्रस्ताव है कि कल शाम तक तो इस पर आम-विवाद हो।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं तो आपकी तवज्जह सिर्फ इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी फैसला बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में हुआ हो यहां पर रिजोल्यूशन उसकी बिना पर हाउस में पास हुआ है। अब तो वह फैसला हाउस का है।

श्री राजनारायण—हाउस अपना फैसला चेंज कर सकता है या नहीं, आप श्रीमन्, हाफिज साहब को बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग आपस में विचार करके पुनः बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी को भेजने का प्रस्ताव करें, तो दोनों की सम्मति से हो सकता है। लेकिन इस समय यह तय करना है कि आज कोई समय की सीमा लगायी जाय या नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जो बातें एक दफा कही जा चुकी हैं, वह दोहरायी न जायं। अभी माननीय सदस्य भाषण कर चुके हैं और उनकी बातों को अगर तीसरे सदस्य दोहरायेंगे तो मैं रोकूंगा और यह अच्छी डिबेट का चिन्ह भी नहीं है।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं :—

"उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ को जनमत-संग्रह के हेतु दो मास तक घुमाया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विधेयक के लाने के पहले उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इस प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगेगा। साथ ही साथ मैं वित्त मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारी कठिनाइयों को देखते हुए खाद्यान्न पर से बिक्री-कर उठा लिया। अब यह मजबूरी की बात है कि केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से यह परचेज टैक्स या खरीद कर जो आया हुआ है उस पर अभी विचार करना है।

जहां तक संशोधनों का सवाल है श्रीमन्, विरोधी दलों की ओर से जो संशोधन आये हुए हैं और जो भाषण उनके हुए हैं मैंने उनको गौर से सुना। उन संशोधनों में यह मांगें की गई है कि प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति में यह विधेयक भेज दिया जाय और उसकी परिधि बढ़ा दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन संशोधनों का सवाल है मैं इनका विरोध करता हूं। वह इसलिए करता हूं कि जब इस विधेयक के औचित्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया तब परिधि बढ़ाने का जहां तक सवाल है वे इस विधेयक की व्यापारी और माल की व्याख्या को देखें तो उसमें चल-अचल सम्पत्ति, खेतों की फसलें, वृक्षों के फल फूल, हर तरह की चीजें उसमें जो जमीन से उत्पन्न या जुड़ी हुई हैं, सम्मिलित हैं। अब इसकी क्या परिधि बढ़ेगी, मेरी समझ में बात नहीं आती। इसलिए उनका विरोध केवल विरोध के लिए है और उनका विरोध खत्म हो जाता है।

जहां तक मेरा अपना ख्याल इस विधेयक के बारे में है मैं उसके औचित्य पर जाना चाहता हूं। जिस वक्त यह बिक्री-कर सन् ५४ में आया जिसमें कि खाद्यान्नों पर भी बिक्रीकर लगने की बात थी उस वक्त मैंने अपने विचार उस पर व्यक्त किये थे। इस दृष्टि से श्रीमन्, मैं इस विधेयक को धार्मिक, आर्थिक और व्यावहारिक इन सभी दृष्टियों से लेना चाहता हूं।

जहां तक हमारे धर्म ग्रन्थों का सवाल है, वेदों शास्त्रों का सवाल है, उनमें खाद्यान्नों के सम्बन्ध में क्या कहा गया है, वह मैं आपके सामने रखता हूं। उपनिषद् में आया हुआ है:—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्।
दिवंच पृथ्वीचान्तरिक्षमथो स्वः। १

जिस वक्त यह संसार सृजित हुआ उसके बारे में वह कहते हैं:—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन्, आकाशः सम्भूतः
आकाशद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः अद्भ्यः
पृथ्वी, पृथिव्याओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम्।
अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुष
सवाएव पुरुषो अन्नं रसमयः।।

इस तरीके से जब हम इस पर विचार करते हैं तो मालूम होता है कि खाद्यान्न जो हैं वह हमारे मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध रखते हैं, हमारे प्राण से सम्बन्ध रखते हैं, हमारी जीवनी शक्ति से सम्बन्ध रखते हैं। तो इस दृष्टि से क्या हमें इन पर कर लगाना चाहिए?

आपको श्रीमन्, एक स्मरण दिलाना चाहता हूं। सन् १९४८ में यह विधेयक इस सदन में पहले पहल आया। यह बिक्री-कर विधेयक जो है वह ऐसे समय के लिए होता है जिसका औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि जिस वक्त प्रदेश पर एक संकट काल आ जाय तो वैसी

[श्री नारायणदास पासी]

दशा में प्रदेश की जनता रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं से जो कि खाने पीने की चीजें हैं, उनसे पेट काट कर गवर्नमेंट को दे। यह संकटकाल के लिए होता है। इस आधार पर सन् ४८ में यह विधेयक आया था और जब वह विधेयक आया तो उस वक्त हमारे वित्त मन्त्री माननीय पालीवाल जी थे। उस समय भी बिक्रीकर खाद्यान्न के ऊपर नहीं लगा। सन् ५२ और ५३ में भी यह नहीं लगा था। लेकिन ५४ में जब यह खाद्यान्नों पर लगा तो उसका असर क्या पड़ा? मैंने उस समय भी उस पर अपने विचार प्रकट किये थे। इसका असर यह पड़ा कि सारे खाद्यान्न कंट्रोल के समय से भी मंहगे हो गए। आपको मालूम होगा श्रीमन्, हम उस वक्त को नहीं भूले हैं, जबकि आठ आने सेर चना, आठ आने सेर गेहूं, आठ आने सेर सब्जी, चावल, दूध आठ आने सेर दाल सभी चीजें मिलने लगी थीं। इस तरीके से इतनी मंहगाई बढ़ गयी। जिसका नतीजा यह हुआ कि जहां पहले हमारा प्रदेश खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर था, खाद्यान्न को निर्यात करता था वह उसको आयात करने लगा। इसकी वजह यह हुई कि प्राकृतिक प्रकोप हुए और मंहगाई बढ़ी। भुखमरी की स्थिति हमारे प्रदेश के पूर्वी खंड में आ गयी। जिस वक्त १९५४ में यह बिक्री-कर संशोधन विधेयक पेश हुआ था तो मैंने यह प्रार्थना की थी कि मोटे अनाजों पर से बिक्रीकर हटा लिया जाय। उस समय वित्त मंत्री महोदय ने यह कृपा की कि २३-२४ अनाजों पर से बिक्री कर हटा लिया जिसमें छोटी ज्वार भी थी। उसका प्रभाव यह पड़ा कि उसका भाव देख लीजिये क्या रहा है। कभी ३ सेर से नीचे नहीं हुआ। वह गरीबों के लिये बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। गरीबों के बच्चे उसे खाते हैं। उसकी रोटी बनाते हैं। नमक मिर्च से उसे खा लेते हैं। लेकिन आज समय क्या है? मैं उन किसानों को नहीं कहता। बिक्री-कर की वजह से, मंहगाई की वजह से जिनके पास बड़े काफी खेत थे वे किसान सम्पन्न हुए। उन्होंने मंहगाई में अन्न बेचा और उनको पैसा मिला। जो महाजन उस अन्न को खरीदा करते थे उन पर भी बिक्रीकर से कोई असर नहीं हुआ, वे भी सम्पन्न हुये। लेकिन जो श्रम करने वाले थे उन पर इसका प्रभाव हुआ। जितनी योजनायें हैं सब उनके श्रम पर निर्भर करती हैं। लेकिन उनकी क्या दशा हुई? आज चारों तरफ से सामन्तवादी वर्ग उनके खेतों को छीन रहा है। वे मजदूरी करते हैं तो उनको क्या मिलता है? हमारे परिवार की स्थिति यह है कि एक आदमी कमाता है और पांच सात बच्चे व औरत उस पर निर्भर करते हैं। ऐसी दशा में उसकी श्रम शक्ति घट जाती है और हमारे राष्ट्र के लिये वे अयोग्य हो जाते हैं। उनको खाना यदि नहीं मिलेगा तो वे काम किस तरह से करेंगे? मैंने अपने क्षेत्र में अपनी आंखों से देखा है कि लोग आम की गुठली तथा महुए को उबाल कर खा लेते हैं, चना व महुआ भून लेते हैं और उस पर गुजर करते हैं। वहां पर आप देखेंगे कि गरीबी का ताण्डव नृत्य हो रहा है। इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं है। सरकार मजबूर है। लेकिन मैंने जो संशोधन रक्खा है उसकी मंशा यही है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जाय। लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार जिस जनता ने हमको चुन कर भेजा है उसकी राय को हम केन्द्रीय सरकार को लिख कर भेजें कि जो खाद्यान्न और अन्य नित्य की आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर से बिक्री-कर तथा खरीदकर हटा लिया जाय।

अभी मालूम हुआ है कि वस्त्रों के इकठ्ठा हो जाने से बिक्री कर हटा लिया गया और एक्साइज कर में मिला दिया गया। उससे राष्ट्रीय सरकार को नुक्सान हुआ। पूंजीपतियों को क्या नुक्सान हुआ? उनका लाभ बराबर जारी है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कानून नहीं जानता, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूं। सन् ३४-३५ की बात है। मैं जुग्गीलाल कमलापति मिल में एक मजदूर की हैसियत से काम करता था। उस वक्त तकरीबन ६० नम्बर का सूत मुझे चलाने को मिला और जब वह सेर-सेर भर के बाबिन वारपिन मशीन में दिये गये तो मेरी रूह कांप उठी। मैं चला ही नहीं सकता था और मुझे आदेश हुआ कि १२,००० गज सूत ताना करके दे दूं और उस समय श्री सोहन लाल सिहानियां भी आते थे, मिट्ठू बाबू भी आते थे।

श्री उपाध्यक्ष---यह विषय से संबंधित नहीं है।

श्री नारायणदास पासी---मैं इसलिये कह रहा हूं श्रीमन्, कि वस्त्रों के संबंध में हमारी सरकार को क्या लाभ पहुंचा और उनको क्या नुक्सान पहुंचा। मैंने उसको देखा और देख करके मैंने वारपिन मशीन के पिछले रोलर निकाले और पांच सात रोज के अन्दर १२,००० फेरे निकाले। पर मुझे मिला क्या ? १० आने रोज मजदूरी मिली और उनको कितना लाभ हुआ है उसका अनुमान लगा लें कि आज हम श्रमिकों के श्रम की बदौलत ये पूंजीपति कितने बढ़ गये हैं। उनका भी अरबों रुपये का बजट होता है और जरा सी त्याग करने की कोई बात कर देते हैं तो सरकार के कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। आज चारों तरफ मजदूरों की ऐसी दशा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज पूंजीपतियों को क्या अधिकार है कि मिल में काम करने वाले मजदूरों को निकाल दें और जब चाहें मिलों को बन्द कर दें। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---यह विषयान्तर हो रहा है, इस संबंध काफी आप कह चुके हैं।

श्री नारायणदास पासी---मैं इसलिये कह रहा हूं कि महाजनों तथा अरबपति लोगों पर विकास कर लगे।

श्री उपाध्यक्ष---आप बार-बार यह कह कर कि मैं इसलिये कह रहा हूं, वही बात दुहराये जायं तो यह अनुचित है।

श्री नारायणदास पासी---श्रीमन्, मेरा कहना जो है....

श्री उपाध्यक्ष---जब मैंने आपको टोक दिया तो आगे बढ़ें। इधर उधर की बात न कह कर आप विधेयक पर बोलें।

श्री नारायणदास पासी---अच्छा श्रीमन्, मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि बिक्री कर विधेयक जो इस वक्त हमारे सामने पेश है उसके अन्दर जो कर हैं उसे केवल उपभोक्ता देते हैं। उनके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, बड़े-बड़े महाजन हैं पंचवर्षीय योजना का तकाजा है कि हम उनपर टैक्स लगाकर उस रुपये को विकास पर लगायें। क्योंकि सरकार के करों से ये लोग लाभ उठा रहे हैं और कोई नुकसान नहीं हो रहा है। गैर-जिम्मेदाराना तरीके से वह जनता का शोषण कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा न कह कर के सिर्फ यह कहूं कि ये जो खाद्यान्न हैं वह हमारी जीवनी शक्ति हैं। उन पर से टैक्स हटा लिया जाय और हमारे प्रदेश की जनता से इस पर राय ली जाय और राय लेकर केन्द्रीय सरकार को लिखा जाय कि उत्तर प्रदेश जो आपके भारतवर्ष का हृदय है और हर बात में वह आगे है, किसी में कम नहीं है, यहां पर इतनी कठिनाइयां उठ रही हैं, जो श्रम करता है उसको खाना नहीं मिलता है तो वह काम कैसे करेगा। ऐसी दशा में मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस नग्न सत्य से इन्कार करना असंभव प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो टैक्स की नीति रही उससे जनता में भारी असंतोष रहा। श्रीमन्, यों तो अगर इतिहास के पन्ने लौटे जायं तो कोई कर बढ़ाने से संबंधित बिल ऐसा नहीं हो सकता जिसका जनता में स्वागत हुआ हो, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि इस असंतोष के लिये हमारा स्वयं का दायित्व रहा है। ऐसे व्यापक नियम में जिसका असर एक झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति से गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर पड़ता हो इतने संशोधन और इतने थोड़े-थोड़े समय पर होना उसी का द्योतक है। श्रीमन् जब पहले माननीय मंत्री जी ने यह संकेत किया था कि एक काम्प्रिहेंसिव बिल इस सदन में आयेगा तो हम एक ऐसे बिल की आशा कर रहे थे जिसमें उन सारे दोषों को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न होता।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

जो इस समय सेल्स टैक्स ऐक्ट है उसमें दोष हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ता कि उनकी तरफ इसमें ध्यान नहीं दिया जा सका है।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है इसके कारण और उद्देश्य में केवल तीन ध्येय बतलाये गये हैं। एक तो सिंगिल प्वाइन्ट टैक्सेशन को कार्यान्वित करना, दूसरे कुछ लक्जरी गुड्स पर सेंट्रल टैक्स के अनुसार कुछ कर बढ़ाकर उसके बराबर लाना और तीसरे कुछ प्रोसीजरल डिफीकल्टीज होती थी, उनको दूर करना। यदि हम इन तीनों को अलग-अलग देखें तो सबसे पहले हमारे सामने सिंगिल प्वाइन्ट टैक्सेशन का सवाल आता है जिसको इस विधेयक की धारा ७ के द्वारा ठीक करने को सोचा गया है। वास्तव में यही धारा इस विधेयक की प्राण है और यही इस विधेयक की मूल धारा है इसके द्वारा परचेज टैक्स लगाने की बात सोची जा रही है। श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि परचेज टैक्स लगाना कहां तक उचित होगा और कहां तक इसको लगाने से इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा जो आज हैं। एक बात तो उपभोक्ता और व्यापारी वर्ग को सुविधा देने की थी और दूसरी इवेजन को रोकने की थी। यह इससे रुक सकेंगे, इसमें मुझे संदेह है। यों तो हम दूसरे मुल्कों को देखें तो यह परचेज टैक्स कोई नयी चीज नहीं है। कनाडा तथा यू० के० वगैरह में यह लगाया गया है। हमारे देश में भी एक आध जगह इसको लगाया गया है।

मेरा संदेह और भी बढ़ जाता है जब कि कमीशन एजेंट्स को भ्रम के आधार पर गलत रूप में देखा जाता है और समझा जाता है। वह जिस प्रकार से अपने कार्य का संचालन करता है, उसमें जो कमीशन उसे दिया जाता है सेलर्स द्वारा या उन उत्पादकों से जो गांव से अपनी उपज लाकर बेंचते हैं तो वह आधा परसेंट होता है यानी सौ रुपये पर आठ आना या दस आना होता है। यदि यह विधेयक पास हो गया तो कमीशन एजेंट जो कि एक डीलर घोषित हो जायगा और उस पर सेल्स टैक्स देने का दायित्व पड़ जायगा वह कैसे जो आधे परसेंट के कमीशन पर अपने कार्य कर रहा है, चार परसेंट देकर, जो प्रस्तावित कर है, अपने कार्य को चला सकेगा। मुझे इसमें संदेह है और कदाचित् भारी उथल-पुथल सामने आयेगी। अभी तक जो ऐसी आवाज नहीं आई है उसका कारण यह है कि यह बिल ऐसे समय पर आया है और इतनी जल्दी आया है कि जनता और इससे संबंधित वर्ग को अध्ययन करने और अपने विचारों के प्रदर्शन का अवसर नहीं मिला है।

श्रीमन्, मैं यह भी आशा करता था और यह अच्छा भी होता यदि यह बिल इससे पहले आता और काफी समय मिल पाता। यदि सरकार की ओर से और माननीय मंत्री जी की ओर से यह कठिनाई न बतायी जाती कि इसको पहली अप्रैल से कार्यान्वित करना है तो इसमें समय कम है। श्रीमन्, मैंने इसी सदन में कई बार प्रवर समिति में बिल के भेजने का प्रबल विरोध किया है। लेकिन मैं समझता हूं कुछ बिल ऐसे आवश्यक होते हैं जिनको प्रवर समिति में भेजने से उनका परिमार्जन हो सकता है और उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। यह बिल एक ऐसा बिल था जिसके बारे में इतना वाद विवाद रहा हो जो इतना व्यापक हो, जिसमें इतने संशोधनों की आवश्यकता पड़ी हो। ऐसे बिल के लिये तो प्रस्तुत करने से पहले अच्छा होता कि माननीय मंत्री जी की तरफ से ही यह प्रस्ताव होता कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। अब भी मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना और अनुरोध करूंगा कि वह प्रवर समिति की मांग को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें क्योंकि प्रवर समिति में यह अवसर मिलेगा कि इस पर शांत वातावरण में अध्ययन करके इसकी उपयोगिता को और बढ़ाया जा सके। यह मैं नहीं चाहता और न मैं इसमें विश्वास करता हूं कि प्रवर समिति का समय बहुत लम्बा हो। उसमें जल्दी से जल्दी अध्ययन हो सकता है।

श्रीमन्, इसी संबंध में मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं, जैसा उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट है, कि सरकार का अभिप्राय किसी प्रकार से सेल्स टैक्स के इन्सीडेंस को बढ़ाने का

नहीं है। जैसा माननीय मंत्री जी ने आज प्रस्तुत करते समय कहा भी है कि उनका कोई ऐसा अभिप्राय नहीं है, तो ठीक है। होना भी नहीं चाहिये। वास्तव में खाद्यान्न ऐसी वस्तु है कि उस पर जो सेल्स टैक्स आज लगा हुआ है वह कोई खुशी की बात नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार स्वयं भी कभी खुशी से इन अत्यावश्यक खाद्य वस्तुओं पर सेल्स टैक्स नहीं लगाती। लेकिन यह तो निश्चय ही होना चाहिये कि उसमें किसी तरह से वह इंसीडेंस न बढ़े वरन् जितना संभव हो घटे। लेकिन श्रीमन्, जब हम इस प्रस्तुत विधेयक की धाराओं को पढ़ते हैं तो उसमें यह प्रतीत होता है कि मंशा चाहे हो या न हो वह इंसीडेंस आफ टैक्सेशन काफी बढ़ जाता है। जो दर इसमें प्रस्तावित की गयी है वह ४ नये पैसे फी रुपया है। अब तक जो स्लैब सेल्स टैक्स का इस संबंध में था जिसके आधार पर सेल्स टैक्स लगाया जाता था खाद्यान्न पर उसमें ६ नया पैसा फी रुपया से लेकर १५ नया पैसा फी रुपया तक सेल्स टैक्स आता था। अगर विभिन्न स्टेजेज पर हम उस टेबिल को कन्वर्ट करके देखें, तो इसके माने यह हो सकते हैं कि ४ नये पैसे जो प्रस्तावित सेल्स टैक्स है उसमें हम चौगुने के करीब उस टैक्स को बढ़ाने जा रहे हैं। मैंने टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट देखी और प्रत्यक्ष अनुभव की बात भी है कि खाद्यान्न में उपभोक्ता के पास पहुंचने तक जो टर्नओवर होता है वह चार हाथों से कभी नहीं गुज़रता। साधारणतया टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने भी माना है कि दो हाथ बदलने का अवसर रहता है। अधिक से अधिक कुछ इससे ज्यादा अर्थात् २·५ प्रतिशत हो सकता है। लेकिन जो प्रस्तावित दर है अगर उस दर को उतना बढ़ाने की मन्शा है तब उसके माने यह होंगे कि जो इस समय टैक्स का दर है उससे करीब-करीब दुगुना हो जायगा। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही अनुचित होगा।

एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट जब भारतीय पार्लियामेंट ने पास किया तो उन्होंने इस विषय पर पूरी तरह से सोचा और सोचने के बाद पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि वह सामग्री जो मनुष्य जीवन के लिये आवश्यक हैं वह कर मुक्त रहें। भले ही आज टेक्नीकल आड़ में या उसमें दिये गये प्राविजन के आधार पर खाद्यान्न पर सेल्स टैक्स लगाने की बात का औचित्य सिद्ध किया जाय लेकिन यह मानना पड़ेगा कि खाद्यान्न पर सेल्स टैक्स लगना सिद्धान्ततः गलत है। हमारे देश की पार्लियामेंट अपने एक ऐक्ट के द्वारा इसकी घोषणा कर चुकी है। तो ऐसी शक्ल में हमें हर समय इस बात को अपने सामने रखना चाहिये कि जब-जब और जहां-जहां अवसर मिले तो इस बोझ को हलका करते रहें और इस बात के लिये सतर्क रहें कि वह बोझ किसी मात्रा में बढ़ न सके। मुझे यह आशंका है कि इसी रूप में जब यह विधेयक राष्ट्रपति की एसेंट के लिये जायगा तो एसेंट मिलने में दिक्कत होगी। उसके लिये हमारे सामने उदाहरण है। जब बम्बई की सरकार ने सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स हटा लिया और मल्टिपुल प्वाइन्ट टैक्स लगाया और आवश्यक सामग्री पर लगाने की अनुमति मांगी तो उस समय राष्ट्रपति ने एसेंट देते समय यह शर्त लगायी कि उसका इंसीडेंस किसी मात्रा में ज्यादा न लग सके। जितना इंसीडेंस पहले था उतना रखने के लिये उनको तैयार होना पड़ा। खाद्यान्न तो आवश्यक वस्तुओं में भी सब से ज्यादा आवश्यक चीजें हैं। उसमें तो दूसरी जरूरी सामग्री को ही लिया था। तो इस दृष्टि से भी इस बात को देखने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो इसके कारणों और उद्देश्यों में कही गई है वह १ आने की एवज में ७ नये पैसे कर देने की बात है। मैं पूर्णतया इससे सहमत हूं। यह बिलकुल ठीक है। कुछ मित्रों ने इस पर आपत्ति की लेकिन मैं बड़े आदर के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन्होंने कृपाकर उस लिस्ट को पढ़ने की कृपा की होती जिस लिस्ट के द्वारा सेक्शन ३-ए प्रिंसिपल ऐक्ट में उन चीजों को बतलाया गया है जिनकी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, तो फिर कोई आशंका नहीं उठती। जहां सरकार ने ७ नये पैसे लगाने की बात की है वह केवल उन चीजों के संबंध में है जिनका सेक्शन ३-ए

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

में दिये गये अधिकार का उपयोग करते हुये सरकार ने समय समय पर १ आने की लिस्ट में जिन चीजों को शामिल किया है या करेगी उन चीजों को लिस्ट में देखे तो उसमें केवल लक्जरी गुड्स हैं या वे चीजें हैं जिनका केवल बड़े आदमी इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास बहुत पैसा है और जिनके ऊपर टैक्स लगाना हमारे लिये उचित है। उसमें ६ नये पैसे के स्थान पर ७ नये पैसे हो जाते हैं। अगर एक नया पैसा फी रुपया उनकी जेब से निकल कर जनता की जेब में आये तो उचित ही है। इसलिये भी उचित है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऐक्ट बनाया है उससे भी उसकी यूनीफार्मिटी (एकीकरण) हो जाता है। तो इस दृष्टि से भी मैं इस दूसरी बात से पूर्णतया सहमत हूं।

इसके अतिरिक्त, तीसरी बात कही गई है कि प्रोसीजरल डिफिकल्टीज़ को दूर करने के लिये हमने इसमें यत्न किया है। यह ठीक है। मैं भी इस दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। इसमें कुछ और निवेदन करने के पहले मैं एक बात की तरफ और निवेदन करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर इस बात पर हाईकोर्ट जजेज के बारे में, बड़ी आशंका प्रकट की। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं क्योंकि आपने इस विषय पर टोका था। इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट सन् १९२२ में बनाया गया था। अगर माननीय मित्र इंडियन इंनकम टैक्स ऐक्ट की धारा ६६ का उपभाग १,२ और ३ पढ़ लें तो वे इस नतीजे पर आयेंगे कि बिलकुल उसकी कापी हमारे इस प्रस्तुत विधेयक का यह प्रस्तावित संशोधन है। तो जब इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट सन्, १९२२ में अब तक लीगल कसौटी पर पूरा उतर चुका, तो उस दृष्टि से मैं इसको देखता हूं। एक तरह से इसमें जनता के और टैक्सपेयर के अधिकारों का विस्तार किया गया है। मैं तो श्रीमन्, यह धारणा रखता हूं कि हमारी सरकार के नियम ऐसे हों कि जनता से जितना टैक्स लिया जाना है, वह लिया जा सके और उसमें इवेजन की कोई गुंजाइश न रहे। दूसरी तरफ जनता अथवा वह व्यक्ति जिसे टैक्स देना है उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त रहें कि अगर उनके अधिकारों का दुरुपयोग होता है अथवा अपहरण होता है तो वह उसके लिये पूरे उपाय और उपचार कर सकें। इस प्रस्तावित धारा के द्वारा उनके अधिकारों का विस्तार किया गया है और उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार दिया गया है। इसका मैं इस दृष्टि से स्वागत करता हूं। परन्तु श्रीमन्, साथ ही मुझे इन प्रोसीजरल दिक्कतों को दूर करने वाली जो धारायें हैं उन में एक बात की ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाना है और वह यह है कि जिसमें ऐसेसिंग ऐथारिटी को सीजर करने का, मकान में घुस कर उसके तमाम एकाउन्ट्स या उससे संबंधित चीजों को कब्जे में लेने का अधिकार दिया गया है। श्रीमन्, यह बड़ी एक्स्ट्राआर्डिनरी पावर है और इस पावर को एक साधारण आफिसर के हाथ में देना जिसके विवेक पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता, उचित नहीं होगा और इस पर पावर को मांगने के पहले माननीय मंत्री जी को इसका औचित्य सिद्ध करना होगा। अगर हम को यह मालूम हो पाता कि कौन ही ऐसी परिस्थितियां थीं कि जिन के कारण इस पावर को लेने की आवश्यकता हुई, तो अच्छा होता। मैंने आज प्रातःकाल देश के सभी सेल्स टैक्स ऐक्टों को पढ़ने की कोशिश की कि इस धारा के समकक्ष कोई धारा कहीं देखने को मिल जाय लेकिन मुझे किसी भी प्रदेश के ऐक्ट में ऐसी धारा नहीं मिली। मैं आभारी होऊंगा यदि माननीय मंत्री जी मुझे ऐसी धारा कहीं बतला सकें। लेकिन इसको छोड़ते हुये मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह बतलायें कि आज ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि ऐसी एक्स्ट्राआर्डिनरी पावर, जिसके मिसयूज की आशंका हो सकती है, वह ऐसेसिंग आफिसर के हाथ में रखें। सेल्स टैक्स कमिश्नर एक बड़ा अफसर होता है। विश्वास तो हमें छोटे से छोटे कर्मचारी पर करना पड़ेगा लेकिन स्वाभाविक है कि जो जितना बड़ा होता है उसके विवेक पर उतना ही अधिक विश्वास किया जा सकता है। तो उसको जो पावर थी वह ठीक थी। श्रीमन्, यह भी देखें कि जिस धारा में यह पावर दी गई है

उसके पहले जो दो, तीन, चार धारायें हैं, उनमें सारी पावर्स अभी भी मौजूद हैं। सेल्स टैक्स आफिसर को जो एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर थी उसके लिये यह प्रतिबन्ध था कि अगर वह ऐसा समझे तो सेल्स टैक्स कमिश्नर से आज्ञा प्राप्त कर के इस तरह का प्रोसीजर कर सकता है। इसी तरह का प्राविजन इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट में है और इसी तरह का प्राविजन दूसरे प्रदेशों के सेल्स टैक्स ऐक्टों में है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि यह पावर ऐसेसिंग आफिसर को दी गई तो माननीय मंत्री जी को ऐसी शिकायतें देखने में आयेंगी कि जिनकी कदाचित् उनको आशंका भी न हो। इसलिये उचित है कि हम इस एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर को वही तक सीमित रखें कि जहां तक वह आज तक सीमित थी।

इसमें प्राविजन है कि १५ दिन के अन्दर सेल्स टैक्स अधिकारी किसी व्यापारी की एकाउन्ट बुक्स वापस कर दे, जिसे अब ९० दिन किया जा रहा है। इंडियन इनकमटैक्स ऐक्ट में भी, जिसमें व्यापारियों के एकाउन्ट बुक्स की आवश्यकता पड़ती है, अभी तक, सन् १९२२ से सन् १९५८ तक १५ दिन की मियाद को बढ़ा कर ९० दिन करने की जरूरत नहीं हुई। इसके मानी होंगे इनएफीशैंसी को प्रीमियम देना, आलस्य को बढ़ाना और सेल्स टैक्स आफिसरों को लम्बी डोरी देना कि वे एक व्यक्ति को उसके संबंधित कागजात से ९० दिन तक वंचित रख सकें। मैं इस अधिकार की आवश्यकता नहीं समझता हूं। यदि प्रवर समिति में भी कोई विधेयक जाय तो हमारी सीमायें होती हैं। हमारी परम्परायें और रूल्स हैं जिनसे हम बंधे होते हैं। यदि यही वह कम्प्रीहैंसिव बिल है जिसकी ओर कभी-कभी संकेत होता रहा है तो अच्छा होता कि इसमें तमाम कमियों की ओर ध्यान दिया गया होता। उदाहरणार्थ मैं एक-दो बातें बताता हूं। जहां इसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात बढ़ाई गई है वहां अच्छा होता कि इस बात पर भी ध्यान दिया गया होता कि यदि एक असैसिंग आफिसर स्वयं समझता है कि वह कोई गलत आर्डर पास कर गया है जो आगे चलकर गलत साबित होगा उसे वह कैंसिल भी कर सकता। मौजूदा कानून में ऐसा प्राविजन नहीं है कि यदि कोई ऐसेसिंग आफिसर गलत प्राविजनल आर्डर पास कर दे तो वह उसे कैंसिल कर सके। इंडियन इनकम टैक्स ऐक्ट में ऐसी धारा है कि यदि आफिसर इस बात से संतुष्ट हो जाय कि उसका आर्डर गलत है तो उसे वह कैंसिल कर सकता है। कदाचित यह बतलाया जाय कि उसकी एक धारा २२ है जिससे ऐपेरेंट आन-रेकार्ड गल्तियों को संशोधित करने का अधिकार है। लेकिन वह तभी लागू होती है जबकि कोई ऐसी ऐपेरेंट गल्ती ही जैसे २ और २ जोड़ कर कहीं ५ हो जावें। प्राविजनल आर्डर का यह तरीका होता है कि एक वर्ष में ४ क्वार्टर होते हैं। यदि पहले क्वार्टर का रिटर्न न जाय तो ऐसेसिंग आफिसर प्राविजनल आर्डर कर सकता है। फाइनल आर्डर एक साल के बाद होता है। वह जानता है कि उसने किसी भ्रम में गलत आर्डर कर दिया है लेकिन कोई रिड्रेस उस ऐसेसी को नहीं मिल सकता है। चाहे उसमें देने की ताकत न हो लेकिन ५०० रुपया ऐसेस हो जाते हैं। तो वह किस तरह से उस बोझ से बचे ? एक अनामली यह भी है कि जज अपील को स्टे करने का अधिकार नहीं है कि अपील के समय के लिये स्टे कर दे। यह अधिकार हमने ऐसैसिंग आफिसर को तो दिया है जिसने उस टैक्स को लगाया है। इसका न उदाहरण है न औचित्य है। तो एक गलत आर्डर जिस आदमी ने अपने आपको सही समझ कर दिया उसी के ऊपर हमने छोड़ दिया और उसको अधिकार दे दिया कि तुम चाहो तो ऐसेसमेंट स्टे कर दो तुम चाहो तो स्टे न करो। इसके माने यह हैं कि उस बेचारे को उसी आदमी की मर्जी पर छोड़ दिया और उसी गलती का फिर शिकार होने के लिये छोड़ दिया। जब हमने अपील का प्राविजन किया है और जब अपील के लिये जज मुकर्रर किया है तो कौन सी आपत्ति और दिक्कत की बात थी जिससे अपील के जज को ही यह पावर न दे दिया जाय कि जब तक उसको अधिकार है, या वह उचित समझता है या सारी बातों को देख-कर यह नतीजा निकाले कि उसका औचित्य है, तो वह स्टे कर सकता है। उसको इससे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इधर ध्यान दें। ये उदाहरण के तौर पर प्रोसीजर की बातें हैं जिनका ठीक जिक्र होना

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

चाहिये था। मैंने पिछली बार भी इस संबंध में कई संशोधन प्रस्तुत किये थे। माननीय मंत्री जी जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनमें में अगाध श्रद्धा रखता हूं, उनकी आज्ञा से मैंने उस समय उन संशोधनों को वापस ले लिया था। पिछले सेशन में उनमें से ही एक दो संशोधन के लिये अलग-अलग संशोधन बिल लाने पड़े। तो बजाय इसके कि समय समय पर हम संशोधन बिल लाते रहें और इस माननीय सदन में एक दूसरे को यह कहने का अवसर हो कि हम उस नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जिसका कि करना चाहिये था हम एक बार अच्छी तरह से बैठ कर विचार विनिमय कर लेते मैं निश्चित समझता हूं कि यह बिल ऐसा बिल है जिसे प्रवर समिति के सुपुर्द अवश्य कर देना चाहिये और जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग इस सदन में प्रस्तुत की गयी है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। सरकार की भी मंशायही है कि बिल जितना ही ठीक तरह से बने उतना ही अच्छा है, इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर करने की कृपा करेंगे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष---आप भाषण दें, संशोधन कोई न दें, संशोधन की कोई जरूरत नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरा संशोधन कोई विशेष अन्तर नहीं रखता। मेरे भाई श्री जगदीश शरण अग्रवाल ने जो संशोधन रखा है, उसमें उन्होंने १० मार्च तक की बात कही है और मेरे संशोधन में १५ मार्च तक की बात है, इस तरह से केवल ५ रोज का ही अन्तर है। अन्ततोगत्वा मेरे और श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी के संशोधन में कोई अन्तर नहीं दिखलायी पड़ता है। इसके साथ साथ श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी ने मेरी बहुत सी बातों का एक प्रकार से समर्थन सा ही किया है। मेरा जो कुछ कथन है, उसको उन्होंने बहुत कुछ एक प्रकार से स्पष्ट रूप से कह कर हल्का सा कर दिया है, तो भी कुछ बहुत सी बातें ऐसी है, जिनको सदन के सामने रखना आवश्यक है।

प्रथम तो मैं यह कहूं कि हम इस विचारधारा को मानते हैं कि सरकार जब कभी कोई संशोधन लाने की कोशिश करती है तो अपने उद्देश्यों में यह बात कहती है कि हम साधारण परिवर्तन ही कर रहे हैं, या केन्द्रीय सरकार के आदेश के मुताबिक उन्हीं के आग्रह से हम सुधार कर रहे हैं लेकिन हमको दिखलायी यह पड़ता है कि सरकार किसी न किसी बहाने से अपनी टैक्स पालिसी को, टैक्स के बर्डेन को जनता के ऊपर लादने की कोशिश करती है। इस विधेयक में भी यही चीज छिपी हुई दीख पड़ती है। और यद्यपि इस चीज को बड़े नम्र शब्दों में और घुमा फिरा कर उद्देश्य में भी कहा गया है कि हम बहुत थोड़ा अन्तर कर रहे हैं और यह भी कहा गया है कि हम यह अन्तर लग्जरी गुड्स में कर रहे हैं। जैसे मालूम होता है कि सदन भी उन्हीं की विचारशैली से सोचता है और इस टैक्स के बढ़ाने को पसन्द करता है। वह इस बात को भुला देते हैं कि इस के बोझ से अब जनता इतनी लदी हुई है कि उस के बढ़ाने की बात सुनते ही भौचक्की हो जाती है और यह टैक्स का बढ़ाना केवल मरी हुई जनता की आत्मा को कुचलना मात्र होगा।

अभी दिसम्बर में एक संशोधन विधेयक आया था, उसकी स्याही सूखी नहीं थी कि एक दूसरा संशोधन बिल आ गया। यद्यपि इसमें केवल १३ खंड ही हैं लेकिन कई व्यापक बातें इसमें हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार के विचार में यह चीजें १५ दिन पहले क्यों नहीं आयीं। इस तरह से बार बार संशोधन लाने से तो जनता के मन में भ्रम पैदा होता है बल्कि सदन के माननीय सदस्यों तक के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। सरकार के मन में भी भ्रम है ऐसा मेरे भाई बठे कह रहे हैं लेकिन मैं जनता की बात जरूर जानता हूं कि इस बिल को लाकर, जैसा कि श्री जगदीश शरण जी ने कहा है, सरकार जल्दी करके बड़ी चालबाजी से काम ले रही है। इस संशोधन की विशेष चर्चा अभी व्यापारियों में नहीं हो पाई है, सरकार इसके गजट में प्रकाशित होने की बात कह देती है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जब तक इसकी चर्चा कार्यकर्त्ताओं द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा नहीं होती तब तक जनता उस की बातों को नहीं समझ पायेगी और यह विधेयक इतनी जल्दी में लाया गया है, बिजिनेस कमेटी की बात तो मैं नहीं काट सकता लेकिन इस तरह से इस को पास कराने की बात मुनासिब नहीं है ।

मेरा खयाल है कि बहुत से माननीय सदस्य अभी इसको पढ़ भी नहीं पाये होंगे लेकिन मूल ऐक्ट को देखने से पता चलता है कि इसमें सरकार के लिये सुविधाजनक बातें चाहें हों लेकिन जनता के लिये कोई सुविधाजनक बात नहीं है । सरकार अपने रस्मी तरीके से जो उस का टैक्सेज को बढ़ाने का है, अपने अधिकारों को बढ़ाने की कोशिश की है और उसी पालिसी को वह सफलीभूत बनाना चाहती है । आप देखें कि इसमें चौथा खंड है कि जिसमें १ आने की जगह ७ नये पैसे रखने की बात कही गई है, यद्यपि माननीय जगदीश शरण जी ने चाहा कि लोगों का ध्यान इस तरफ न जाय और दूसरी तरफ से कोशिश समझाने की कि यह केवल लग्जूरियस गुड्स के बारे में है लेकिन मुझे तो एक नया पैसा बढ़ाना क्या माने, एक नये पैसे का हजारवां हिस्सा भी बढ़ाने की बात स्वीकार नहीं है । इस तरह से टैक्सेज को बढ़ाने की बात कभी लग्जूरियस गुड्स के नाम पर कभी किसी के नाम पर आये दिन की जाती है और गरीब निर्दोष जनता पर उसका बोझ बढ़ता जाता है कि उन को कमर उठाकर चलना भारी हो रहा है । आप पर्चेजिंग टैक्स न लगाकर उसी सेल्स टैक्स को और गहन बनाते जा रहे हैं । अभी तक जितने टैक्सेज थे उन्हीं को जनता बरदाश्त नहीं कर पा रही है । मैं आप से निवेदन करूं कि कानपुर के तमाम व्यापारियों ने शुरू से ही इस का विरोध किया है । उन्होंने बराबर हड़ताल करके विरोध किया । प्रत्येक मास के प्रथम दिन वह हड़ताल करके अपना विरोध जाहिर करते हैं जो वहां के गल्ला व्यापारी हैं । परन्तु आज भी उनके ऊपर बराबर टैक्स बढाया जाता है जैसे उनकी कोई बात भी सुनने लायक नहीं है । वह हड़ताल क्या केवल दिखलावा मात्र होती है ? क्या वह विरोध सरकार को नहीं दिखाई देता ? मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह की सिंगिल प्वाइंट टैक्स आदि चीजों ने व्यापारी वर्ग को भ्रम में डाल रखा है क्योंकि यह चीजें भ्रममूलक हैं और वह इन से परेशान हैं । केवल आधा परसेंट पर कमीशन एजेंट काम करते के वह भी अब चक्कर में पड़ जायंगे और उन्हें भी परेशानी से पीड़ित होना पड़ेगा । न तो जनता ही आराम से रह पाती है और सीधासादा साधारण व्यापारी भी चैन से नहीं बैठ पाता है ।

मैं मानता हूं कि इवेजन आफ टैक्स पर सरकार की निगाह हो लेकिन ऐकाउन्ट में भी तमाम गड़बड़ी होती है । इसका परिणाम मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे-छोटे दूकानदार हैं वह सेल्स टैक्स के अन्तर्गत जो फार्म भरना पड़ता है उसे भर नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं और ज्यों ही वर्ष का चौथाई हिस्सा व्यतीत हो जाता है और दूसरा चौथाई हिस्सा लगता है तो दूसरी दफा लागू हो जाती है, उनको पेनाल्टी देनी पड़ती है । वे उलझी हुई दफाओं को समझने में, टर्न ओवर बताने में खाना पूरी करने में, पढ़े लिखे न होने के कारण योग्य नहीं होते और कानून की उलझनों में फंस जाते हैं । टैक्स आफिसर्स के दरवाजे खटखटाते हैं और किसी न किसी तरह से रिश्वतें भी देते हैं । वह निरीह छोटे छोटे दूकानदार इस तरह से परेशान होते हैं । इस प्रकार यह टैक्स इन गरीबों पर एक महा भूत की तरह सवार है । और बजाय इसके कि नये संशोधनों द्वारा इसको हल्का किया जाय यह और गहन होता जा रहा है ।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी सरकारें तो सहानुभूति पूर्ण नहीं हुआ करती हैं, गरीबों की आवाज को नहीं पहचानती हैं, हम विदेशी शब्द तो नहीं कहेंगे लेकिन हृदय से विदेशी बन गयी हैं । उनकी तीसरी चाल यह हुआ करती है कि अपने अधिकारियों की ताकत को दिन व दिन बढ़ाते जायं । उनको निरंकुश बना दें जिससे सरकार का अपराध नहीं, जनता का ही अपराध दिखायी दे । क्या जरूरत है कि सेल्स टैक्स अफसर कोई इतना निरंकुश बना दें कि अपनी सारी ताकत की आजमाइश करने के लिए किसी क्षण भी किसी का एकाउंट सीज कर ले, पेनाल्टी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

भी रख सके। मैं मानता हूं कि यह जो स्टेप ले रहे हैं यह इवेजन आप टैक्सेज के लिए जरूरी हो सकता है। लेकिन क्या मैं विश्वास करूं कि आपकी इस ब्यूरोक्रैसी में, कर्मचारी गिरोह में, ऐसे नीयत के अच्छे लोग आ चुके हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे और जनता के प्रिय बने रहेंगे। मुझे इस पर पूरा शक है। मुझे विश्वास है कि जितने भी उच्च कर्मचारी हैं चाहे वे अपने नाम के लिए ही सही, अपने फेयर नेम के लिए सही, संकोच करते हैं। लेकिन छोटे कर्मचारियों का केवलमात्र यही धंधा है कि अपनी जेबों को भरें। मैं चैलेंजिंग स्प्रिरिट से कहना चाहता हूं कि नियम, उपनियम सब रखे रहते हैं। व्यापारी सीधे उनसे सम्पर्क रखते हैं। चाहे इन्कम टैक्स विभाग के हों, चाहे सेल्स टैक्स विभाग के उनकी पांचों उंगलियां घी में हैं। एक-एक इन्कम टैक्स आफिसर, टैक्स कमिश्नर, आज लखपती हैं। उनका बड़े-बड़े व्यापारियों से माहवार कमीशन, सालाना कमीशन बंधा हुआ है जो सीधे उनके घरों पर पहुंच जाता है। एक-एक इन्कम टैक्स अफसर एक साल में इस कानपुर शहर से जो निकला है लखपती बन कर गया है। किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं की कि यह बात जांच करके देखती कि यह गबन का रुपया किस कोने से उठ करके आ गया। यह खुली हुई चीज है और यह जांचने लायक चीज है। आज एक इन्कम टैक्स आफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से किसी भी कमिश्नर आफ डिवीजन से ज्यादा रुतबा रखता है और अपने रुतबे के बल पर बड़ों-बड़ों का काम बनता है। आज वह सरकार का प्यारा दुलारा बेटा बना बैठा है। यह आपकी टैक्सेशन की पालिसी है। उसी टैक्सेशन से पले हुए नीचे के कर्मचारी अपने इमीजिएट आफिसर को खुश करना जानते हैं। उसको वह खुश रखते हैं। एक मुहाविरा है कि दाल में नमक खा लो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आज दाल में नमक इतना ज्यादा पड़ने लगा है कि दाल नमक से भर गई और यह मुहाविरा न केवल मुहाविरा रह गया है बल्कि वह चीज आज खूब अच्छी तरह से चल निकली है। एक बड़े इन्कम टैक्स आफिसर या सेल्स टैक्स कमिश्नर के नीचे के काम करने वाले जितने भी आफिसर्स हैं उनका काम सिर्फ एक ही रह जाता है कि वह अपने इमीजिएट आफिसर को खुश रखकर जितना चाहे नमक खा लें। मैं अपनी तरफ से चैलेंज देकर कहता हूं कि इस करप्शन को मिटाने के लिए सरकार इन कर्मचारियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखे। यह हमारी सरकार यद्यपि डेमोक्रेटिक रूप की है लेकिन इसके नीचे काम करने वाली नौकरशाही आज ब्यूरोक्रैटिक रूप से कार्य करती हुई दिखाई देती है, स्वतंत्र रूपसे दिखाई देती है। उसकी निरंकुशता को कम करने के लिए बजाय इसके कि आप उसके ऊपर किसी प्रकार का जनता का कंट्रोल रखें उसकी निरंकुशता को बढ़ाते जायेंगे तो इस तरह से आप इवेजन आफ टैक्स को कभी रोक नहीं, पायेंगे। यह इवेजन इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा होता है, इन्हीं के बताये हुए तरीके पर होता है, इन्हीं के बताये हुए रास्ते से होता है। जब कभी कोई बड़ा व्यापारी इवेजन आफ टैक्स करना चाहता है तो वह रास्ता इन्हीं आफिसरों से सीखता है और इन्हीं के बताये हुए रास्ते से करता है। यह पालिसी यह तारीका, मैं कानपुर से आने के कारण जानता हूं। अभी हाल में कुछ जगह एकाएक छापा मारा गया। बड़े-बड़े ब्लैक करने वाले पकड़े गए जिन्होंने कि सेल्स टैक्स का इवेजन किया था। क्या मैं पूछूं कि क्या उसकी जांच सही रूप से की गई? क्या उनकी लीपापोती नहीं हो रही है? क्या इसी प्रकार से सैकड़ों मामले नहीं है जिनको कि सरकार के कर्मचारी जानते हुए भी हाथ नहीं डालते हैं। आज यह मुहकमा आमदनी का मुहकमा हो चुका है। आज जितने भी ये टैक्स आफिसर्स हैं उनकी आमदनी की जांच हो। देखा जाय कि उनके पास उनके बीबियों के नाम से कितना रुपया जमा है, इनके रिश्तेदारों के नाम से कितना रुपया जमा है, इनके कितने मकान हैं जो भिन्न-भिन्न नामों से खरीदे जा रहे हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि आज यह मुहकमा आमदनी का मुहकमा हो गया है। इसलिये हो गया है कि यह व्यापारियों से ताल्लुक रखने वाला विभाग है और वह व्यापारी उससे बात करें तो कहेगा कि हम व्यापार तो करेंगे ही। रुपये के आठ आने अगर इस तरह बचते हैं, कचहरी जाने से फुर्सत मिलती है, तो दे ले के काम करना हमारा फर्ज है।

में मानता हूं कि यह हमारे हिंदुस्तान की मेन्टेलिटी आज है लेकिन आपको इसको मानने के लिये तैयार रहना चाहिए। वे कभी मुकदमा लड़ करके अपनी जान बचाना पसन्द नहीं करेगा जब तक कि अफसर को दे ले कर के काम चल सके गा। जब अफसर इस बातों के लिये तैयार है, उनको वह अपने दरवाजे पर आने देता है, रात रात तक उनके साथ बैठक होती है, उन वकीलों के मार्फत बात होती है जो कोर्ट के सामने तो बहस करते हैं लेकिन घरों में सौदा तय करते हैं, जब तक यह चीज कायम है तब तक आप इवेजन को रोक नहीं सकते। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि अफसरों को निरंकुश बनाने की जगह आप थोड़ा सा यह सोचें कि जनता के प्रतिनिधियों पर कुछ विश्वास करें और उनको कुछ शक्ति दें। उनके साथ मिलकर के इसको सुधारने की कोशिश करें। श्री महावीर त्यागी ने किसी समय एक आफर किया था कि वह व्यापारियों से मिल करके जो रुपया बकाया है वह दिलाने की कोशिश करेंगे। उसमें वह सफल भी हुए और कई करोड़ रुपया उन्होंने सरकार को दिया। यह प्रशंसनीय है मालूम नहीं, अपनी सेवा के फलस्वरूप किसी समय वह डिफेंस मिनिस्टर के पद तक पहुंच गये लेकिन फिर क्यों उनकी तकदीर ने पल्टा खाया और फिर वह जहां के तहां पहुंच गये। मैं इस प्रकार के व्यक्तियों को असफल नहीं मानता। आज हम आफर करते हैं कि अगर इन चीजों को आप पसन्द करें तो आज हमारे सरीखे कार्यकर्त्ता इसके लिये तैयार हैं। लेकिन आप यह न सोचें कि आप उन रखैलों को, उन पालतुओं को यों ही बनायें रखें, वह उसी तरह खाते रहें, उनके खाने में कमी न हो और भूंके हम, कुत्ते का काम हम करें। नतीजा जिसका यह हो कि लट्ठ से मारे जायं और माल खायें वह। इस तरह से काम नहीं चल सकता।

जहां तक आज की प्रस्तावना का सवाल है आज की प्रस्तावना तो यह है जिसमें यह कहा गया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। यह इतनी सुन्दर प्रस्तावना है कि इसके लिये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपना संशोधन पेश करने से मुझे बड़ी खुशी तो यह हुई कि मेरा समर्थन तो उस पक्ष से हो रहा है। बड़े विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ कर श्री जगदीशशरण जी से प्रार्थना करूंगा कि बड़ी खोजबीन के साथ सुन्दर बातें उन्होंने कही है और उन बातों को सरकार के पास पहुंचा कर सफलीभूत होना चाहते हैं तो कृपया बनावटी हृदय से बातचीत न करें। जहां पर हों वहीं स्थित रहें। यह न हो कि जरा इशारेबाजी हुई और उन्होंने कह दिया कि मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं। आप जिस स्थान पर हैं वहीं बैठे और डट कर बैठें और सच्चे प्रतिनिधि के रूप में बैठें। जो बात कहें उसे हृदय से कहें, आत्मा से कहें। यह न हो कि मियां बीबी का झगड़ा हुआ, दिन भर चला और रात में एक हो गये। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे सरकार से थोड़ी हमारी सिफारिश कर दें। यह सरकार सिफारिशी सरकार है बिना सिफारिश के यहां चपरासी की भी नियुक्ति नहीं होती। यह प्रस्ताव तो हमारी तरफ से उठा था। श्री जगदीश शरण जी ने उसमें रिकमेंडेड लिख दिया। अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया ही है तो चलें हमारे साथ में चलें और हाथ पैर जोड़ें। शायद हाथ पैर जोड़ने से मान जायं विरोध करते-करते तो हम थक गये। हमने सोचा कि लाओ हाथ पैर जोड़कर देख लो उनके बार-बार नो कहने से तो काम नहीं चलेगा। इसलिये हमने इस बार जगदीश शरण जी के साथ-साथ चलना तय किया और यह भी सोचा कि हाथ पैर जोड़ें कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय। आपने इसको २४ घंटे में पास करने की बात कही और इस पर एक मोहर और लगा दी गई की संशोधन अगर देना ही है तो आज दे दिया जाय। मेरा कहना है कि संशोधन की बात तो अलग रही, इसे तो अभी ठीक से पढ़ा भी नहीं है। लेकिन संशोधन देने का मौका कल खत्म हो जायगा। बिजनेस कमेटी का यह निर्णय है। यह तो हर बिल के लिये प्राण घातक कमेटी बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--किस कमेटी का आपने रेफेरेंस दिया ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक कमेटी का नामकरण किया है जिसका कि हमको अधिकार है। यद्यपि वह अनुचित शब्द है लेकिन इस तरह से बिलों को लाना और पास करना कहां तक न्यायसंगत है ? नतीजा यह है कि हम अपनी आत्मा की बात नहीं कह पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत छोटा सा प्रस्ताव है, सीधा-साधा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष--यह विषय कई तरह से स्पष्ट हो गया और माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे। अब और कुछ बोलिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं कुछ श्री जगदीशशरण जी के प्रस्ताव के संबंध में कह रहा था कि उनका प्रस्ताव था संयुक्त प्रवर समिति के लिये।

श्री उपाध्यक्ष--उन्होंने इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उनका मंशा यही था, लिखित उन्होंने अवश्य नहीं दिया और मेरा प्रस्ताव प्रवर समिति का है। तो मैं उनके ही संशोधन का एक प्रकार से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि हमारे उपनेता जी या उपमंत्री जी इसको स्वीकार करें। यह लाखों व्यापारियों से संबंधित हैं और छोटे-छोटे दुकानदार इससे दुखी हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि यह स्वीकार किया जाय। मैंने ज्यादा समय नहीं लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष--संयुक्त प्रवर समिति के बारे में माननीय भगवतीसिंह विशारद ने एक संशोधन रखा और यह मनी बिल है, इसलिये यह उचित नहीं मालूम होता कि अपर हाउस के जब सीमित अधिकार हैं तो संयुक्त प्रवर समिति का संशोधन एलाऊ किया जाय। इसलिये वह "संयुक्त प्रवर समिति" नहीं रहेगा, "प्रवर समिति" रहेगा।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल पर जो बहस चल रही है, इसको मैंने गौर से सुना, मान्यवर, हमारे वित्त मंत्री जी समय समय पर इस सेल्स टैक्स पर संशोधन लाते रहते हैं और जब चाहा, जैसा जैसा चाहा पास करवा लिया। श्रीमन्, मुझे तो कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसी कि मैं छोटे दर्जे में कहानी पढ़ता था, उसमें यह था कि एक राजा था। वह बाहर शिकार खेलने गया। वहां उसे प्यास लगी तो उसके साथ जो मंत्री लोग थे उन्होंने उसको बतलाया कि गन्ने का खेत है वहां पानी की जगह रस मिल जायगा। तो मान्यवर, वह राजा वहां पहुंचा। उस खेत की मालिक एक बुढ़िया थी, उसने गन्ना तोड़ कर एक गन्ने से रस निकाल कर पीने को दिया। उसने प्यास बुझाई लेकिन जैसे ही रस पिया, राजा की नीयत बिगड़ गयी। उसने देखा कि एक ही गन्ने में इतना रस निकला कि उससे एक कटोरा भर गया तो उसने सोचा कि न जाने यह बुढ़िया उससे कितना कमाती होगी, इसलिये इस पर टैक्स लग जाना चाहिये और हाल ही टैक्स बांध दिया। इसी प्रकार का हाल हमारे वित्त मंत्री जी का है। जैसे ही निकले और उनको कोई चीज दीख पड़ी तो सोचा और फौरन टैक्स बांधने की तैयारी की और कुछ कम था तो ज्यादा किया और कहीं कुछ गड़बड़ी मालूम हुई तो संशोधन लाये और चूंकि उनका बहुमत पर्याप्त है इसलिये कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। आज हम श्री जगदीशशरण जी अग्रवाल को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अंत में खड़े होकर दबे शब्दों में कुछ कहने की हिम्मत तो की....

श्री उपाध्यक्ष--'दबे' शब्द पर मुझे आपत्ति है वह किसी से दबे नहीं थे। उन्होंने स्वतन्त्रता-पूर्वक भाषण दिया इसलिये ऐसे शब्द किसी माननीय सदस्य के लिये नहीं कहने चाहिए।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--श्रीमन्, मैं माफी चाहता हूं और अपने शब्द वापस लेता हूं। उन्होंने उस बेंच पर होते हुए भी जनता की सही आवाज रखी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, व्यापारी वर्ग कितना परेशान है और किस तरह से अपना व्यापार करता है यदि इसका अंदाजा माननीय वित्त मंत्री जी को होता तो वह समय-समय पर ऐसे विधेयक न लाते। व्यापारीवर्ग के ऊपर इतना संदेह उनको हो गया है और वह उनकी ओर ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि जैसे ही कोई कि हुई और अंधाधुंध टैक्स बांध देते हैं और समझते नहीं हैं कि कितना उनको फायदा होता है। वह पैसे आधे पैसे पर अपना व्यापार करता है और किसी तरह से अपना काम चलाता है। इस पर भी उसके ऊपर टैक्स का बोझा पड़ता है। यह बोझा सब से ज्यादा तो गरीब जनता पर पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ फरवरी, १९५८।



विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ह'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८ पर)

मैनपुरी जिले में तहसीलवार सीमेन्ट के वितरण की सूची, जनवरी, १९५६ से अगस्त, १९५७ तक

| क्रम-संख्या | तहसील का नाम | सीमेंट की मात्रा (बोरे) |
|---|---|---|
| १ | मैनपुरी .. .. .. .. | १५,७६० |
| २ | शिकोहाबाद .. .. .. .. | ८,७२० |
| ३ | भोगांव .. .. .. .. | ५,२४० |
| ४ | करहल .. .. .. .. | २,७८० |
| ५ | जसराना .. .. .. .. | २,४४० |
| | योग .. | ३४,९४० |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१ पर)

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला उन्नाव में सड़क निर्माण-कार्यों का विवरण

### १—चालू योजनायें (प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्य)—

| | | लम्बाई | अनुमानित लागत |
|---|---|---|---|
| **सड़कें—** | | मील | (लाख रुपये) |
| (१) उन्नाव–हरदोई सड़क का आधुनीकरण | .. | ४ | ३.०२ |
| (२) इलाहाबाद–उन्नाव सड़क का आधुनीकरण | .. | ७ | |
| | | ११ | |
| (३) चकलवंशी–औरस–संडीला सड़क को पक्का करना | .. | २४ | ११.९३ |
| **पुल—** | | | |
| (१) चकलवंशी–औरस–संडीला सड़क पर सई नदी पर पुल का निर्माण जिसकी अनुमानित लागत ६०,००० रु० सड़क के आगणन में शामिल है। | | | |

### २—नई योजनायें

| | | | |
|---|---|---|---|
| **सड़कें—क—पुनःनिर्माण—** | | | |
| (१) उन्नाव–मौरावां सड़क | .. .. .. | २५ | |
| (२) अजगैन–मोहन–हसनगंज सड़क | .. .. | १४ १/८ | |
| (३) बांगरमऊ–रेलवे फीडर सड़क | .. .. | १/२ | |
| | | ३९ ५/८ | ११.८९ |
| **ख—नव-निर्माण—** | | | |
| (१) बिहार–भगवंतनगर-बक्सर सड़क को पक्का करना | .. | १३ १/२ | |
| (२) टिकुर–परियर सड़क को पक्का करना | .. | ८ | |
| (३) मोहन–नेवलगंज—लखनऊ सड़क को पक्का करना | .. | ३ ५/८ | |
| | | २५ १/८ | ९.०५ |

| | लम्बाई | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| **ग—प्राधुनीकरण** | | |
| | मील | लाख रुपये |
| (१) उन्नाव-हरदोई सड़क .. .. .. | २ | १.१० |
| | | ३६.९९ |
| **पुल—** | | |
| पुलों का निर्माण .. .. .. .. | | शून्य |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर)

| Serial no. | Name of Waterworks | Rate of water tax at present | Changes in the rate of water tax since the date of inauguration | Year of start | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Agra .. | 11¼% | 7½% since 1st June, 1900, increased to 11¼% since 1st April, 1946. | 1890 | |
| 2 | Allahabad .. | 6¾% on the arreared value up to Rs. 120 per annum and above Rs. 10.12% | No change .. | 1891 | |
| 3 | Ayodhya .. | It is under Faizabad Board and no question of sepa-rate water tax arises. | Ditto | 1957 | |
| 4 | Aligarh .. | No water tax | ,, | 1930-31 | Company-owned water-works. |
| 5 | Azamgarh .. | 10% .. | ,, | 1957 | |
| 6 | Siahi (Almora) | No water tax | ,, | 1933 | |
| 7 | Ballia .. | 10% .. | ,, | 1957 | |
| 8 | Bareilly .. | 10% .. | ,, | 1957 | |
| 9 | Basti .. | 10% .. | ,, | 1955 | |
| 10 | Bulandshahr | Board agreed to impose 7½% .. | ,, | 1957 | |
| 11 | Bahraich .. | 6¼% ... .. | Previously 10% but reduced to 6¼% since 1952. | 1951 | |
| 12 | Banda | 30% with a maximum of 120 per annum | No change .. | 1950 | |
| 13 | Chandpur .. | 10% since 1-4-57 | Ditto | 1957 | |
| 14 | Chandausi | 10% 1-12-57 .. | ,, | 1957 | |
| 15 | Dehra Dun.. | 5% since 1-10-37 | ,, | 1915 | |

| Serial no. | Name of Water works | Rate of water tax at present | Changes in the rate of water tax since the date of inauguration | Year of start | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Deoria .. | 10% .. | No change .. | 1955 | |
| 17 | Etawah .. | 93/8% .. | Ditto | 1957 | |
| 18 | Etah .. | 10% agreed by Board. | " | 1957 | |
| 19 | Faizabad .. | 9, 3/8% .. | " | 1925 | |
| 20 | Fatehpur-Sikri | 12½% .. | " | 1930 | |
| 21 | Farrukhabad | 8% upto Rs. 120 per annum and above 12 % per annum. | " | 1957 | Agreed but not yet imposed. |
| 22 | Fatehpur .. | 12/1½% .. | No change .. | 1957 | |
| 23 | Firozabad .. | 6 1/4% .. | " | 1957 | |
| 24 | Gola Gokarannath .. | No water tax | " | 1925 | |
| 25 | Ghazipur .. | 12 1/2% .. | Previously Rs. 9-6 per annum but increased to Rs. 12 1/2% since 1942. | 1938 | |
| 26 | Ghaziabad .. | Rs. 4-11 per annum | No change .. | 1954 | |
| 27 | Gorakhpur | 12 1/2% .. | Ditto | 1957 | |
| 28 | Hardwar .. | 7 1/2% .. | " | 1927 | |
| 29 | Haldwani-cum Kathgodam | 6 1/4% since 1-1-58 | " | 1934 | |
| 30 | Hathras .. | 2, 1/2% .. | " | 1934 | |
| 31 | Hardoi .. | 10% .. | " | 1954 | |
| 32 | Hamirpur .. | 10% .. | " | 1957 | |
| 33 | Hapur .. | 10% since 1.4.57 | " | 1957 | |
| 34 | Jaunpur .. | Rs. 10/15 per annum. | Since 1st October, 1936 Rs.9-6 per annum and reduced to Rs. 7-13 per annum from 1st April, 1939. Again raised to Rs. 10-15 per annum since 1st April, 1952. | 1934 | |
| 35 | Jhansi .. | Rs. 12 up to 120, 7/13 per annum 121 up to 300, 9-6 per | 6, 1/4% since 1st October 1915 and raised since 1st April, 1951. | 1917 | |

| Serial no. | Name of Waterworks | Rate of water tax at present | Changesin the rate of water tax since the date of inauguration | Year of start | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | annum 301 up to Rs. 500, 10-15 per annum Above Rs. 500/- 12-8- per annum. | | | |
| 36 | Kanpur .. | 6 1/4% since 1915. | No change .. | 1894 | |
| 37 | Kosi Kalan | 9 1/4% .. | Previously 7 1/2% but increased in 1943. | 1928 | |
| 38 | Kotdwara .. | No water tax | .. | 1946 | |
| 39 | Kankhal .. | Under Hardwar Municipal Board and no question of separate water tax. | .. | 1957 | |
| 40 | Lucknow .. | 8 7/16% .. | 7 1/2% since 1st April, 1921 and raised to 8 7/16% since 1st October, 1957. | 1894 | |
| 41 | Lalitpur .. | 10% agreed by Board | .. | Not yet imposed. | |
| 42 | Meerut .. | No water tax | .. | 1896 | |
| 43 | Mussoorie .. | 6% .. | Rs. 5-5-9 per annum since 1915. Reduced to Rs. 5 on 1st April, 1918. Again raised to 6% since 1st April, 1950. | 1894 | |
| 44 | Mathura .. | 7½% .. | No change .. | 1917 | |
| 45 | Mirzapur | No water tax | .. | 1916 | |
| 46 | Moradabad | .. | .. | Company owned waterworks. | |
| 47 | Moghalsarai | Rs. 6-13 per annum since 1956. | ... | 1949 | |
| 48 | Mainpuri | 10% Board again to impose. | ... | Not yet imposed. | |
| 49 | Matela (Almora). | Part of Almora Municipal Board. | ... | | |
| 50 | Naini Tal .. | 6¾% .. | .. .. | 1892 | |

| Serial no. | Name of Waterworks | Rate of water tax at present | Changes in the rate of wate tax since ther date of inauguration | Year of start | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Nagina .. | 10 % agreed .. | No change | | Not yet imposed. |
| 52 | Najibabad | 12½% since 1-4-56. | .. | 1957 | |
| 53 | Orai .. | 7½% .. | 5% since 1945, 6¼% since 1946 and increased to 7½% since 1952. | 1945 | |
| 54 | Padrauna .. | 12½% .. | No change .. | 1957 | |
| 55 | Pilibhit .. | 10 % agreed by Board. | ,, | 1957 | Not yet imposed. |
| 56 | Pauri .. | .. | ,, | | Being run by Irrigation Department. |
| 57 | Pratapgarh | 12% since 1-10-56. | ,, .. | 1957 | |
| 58 | Rampur | 10% since 1-4-57. | ,, .. | 1951 and 1957. | |
| 59 | Ramnagar (Varanasi). | Not settled .. | ,, | 1951 | |
| 60 | Ramnagar (Naini Tal) | 10% agreed by Board. | ,, | 1957 | Not yet imposed. |
| 61 | Roorkee .. | 10% .. .. | ,, .. | 1953 | |
| 62 | Rishikesh | 10% since 1-7-57 | ,, | 1955 | |
| 63 | Robertsganj | Not settled .. | ,, | 1953 | |
| 64 | Rath .. | Not settled .. | ,, | 1957 | |
| 65 | Sandila .. | 10% .. | ,, | 1955 | |
| 66 | Sitapur .. | 10%since 1-10-57 | ,, | 1957 | |
| 67 | Saharanpur | 10%since 1-1-57 | ,, | 1957 | |
| 68 | Unnao .. | 7½% .. | ,, | 1927 | |
| 69 | Varanasi .. | 7½% .. | ,, .. | 1892 | |
| 70 | Vindhyachal (Mirzapur) | Under Municipal Board Mirzapu hence no question of separate water tax. | ,, | 1953 | |
| 71 | Vrindaban | 8% .. | ,, | 1942 | |
| 72 | Fatehgarh .. | Part of Farrukhabad Board | | | |
| 73 | Narendranagar | No water tax | | | Old Maharaja's waterworks. |

## नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२४ पर)

## उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८

कोर्ट फ़ीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का

### विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय —

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह १ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित होगा।

ऐक्ट ७, १८७० की धारा ४ तथा ६ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ तथा ६ (१) के अन्त में आने वाले स्पष्टीकरणों में शब्द "four annas", "eight annas" और "twelve annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-five naye paise", "fifty naye paise" और "seventy-five naye paise" रख दिये जायं।

ऐक्ट ७, १८७० की धारा १९-ए तथा ३०-ए का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १९-ए (सी) तथा ३०-ए में शब्द "one anna" के स्थान पर शब्द "ten naye paise" रख दिये जायं।

ऐक्ट ७, १८७० की अनुसूची १ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की अनुसूची १ (Schedule I). में—

(क) दूसरे स्तम्भ में, अनुच्छेद ८ में शब्द "eight annas" के स्थान पर शब्द "fifty naye paise" रख दिये जायं;

(ख) तीसरे स्तम्भ में—

(१) अनुच्छेद १ में शब्द "Eight annas", "one rupee, four annas", "one rupee, twelve annas", "nine rupees, eight annas", "eighteen rupees, twelve annas", twenty-eight rupees, four annas" और "thirty-seven rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "fifty naye paise", "one rupee and twenty-five naye paise", "one rupee and seventy-five naye paise", "nine rupees and fifty naye paise", "eighteen rupees and seventy-five naye paise", "twenty-eight rupees and twenty-five naye paise" और "thirty-seven rupees and fifty naye paise" रख दिय जायं;

(२) अनुच्छेद ६ में शब्द "eight annas" के स्थान पर शब्द "fifty naye paise" रख दिये जायं।

(३) अनुच्छेद ९ में शब्द "twelve annas" के स्थान पर शब्द "seventy-five naye paise" रख दिये जायं; और

(४) अनुच्छेद १३ में शब्द "two rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(ग) वादों के निवेशन पर मूल्यानुसार आदेय शुल्क की दरों की सारिणी में (Table of rates of *advalorem* fees leviable) उपयुक्त शुल्क (Proper fee) प्रदर्शित करने वाले स्तम्भ में, शीर्षक में आने वाले अक्षर "a" के स्थान पर अक्षर "nP." रख दिये जायं तथा उसके नीचे अंक "4", "8" और "12" के स्थान पर क्रमशः अंक "25", "50", और "75" रख दिये जायं।

५—मूल अधिनियम की अनुसूची २ (Schedule II) के तृतीय स्तम्भ में :— ऐक्ट ७, १८७० की अनुसूची २ का संशोधन।

(१) अनुच्छेद १ में शब्द "four annas", "three rupees, twelve annas" और sixty-two rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty five naye paise", "three rupees and seventy-five naye paise" और "sixty-two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(२) अनुच्छेद १-ए में शब्द "one rupee, eight annas" के स्थान पर शब्द "one rupee and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(३) अनुच्छेद २ में शब्द "twelve annas" के स्थान पर शब्द "seventy-five naye paise" रख दिये जायं;

(४) अनुच्छेद ३ में शब्द "one rupee, four annas" और "two rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and twenty-five naye paise" और "two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(५) अनुच्छेद ४ में शब्द "twelve annas" के स्थान पर शब्द "seventy-five naye paise" रख दिये जायं;

(६) अनुच्छेद १० में शब्द "three rupees, twelve annas" के स्थान पर शब्द "three rupees and seventy-five naye paise" रख दिये जायं;

(७) अनुच्छेद ११ में शब्द "two rupees, eight annas" और "three rupees, twelve annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "two rupees and fifty naye paise" और "three rupees and seventy-five naye paise" रख दिये जायं;

(८) अनुच्छेद १२ में शब्द "six rupees, four annas" और "twelve rupees, eight annas", के स्थान पर क्रमशः शब्द "six rupees and twenty-five naye paise" और "twelve rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(९) अनुच्छेद १३ में शब्द "six rupees, four annas" के स्थान पर शब्द "six rupees and twenty-five naye paise" रख दिये जायं ;

(१०) अनुच्छेद १४ में शब्द "nine rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "nine rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(११) अनुच्छेद १७, १८ और १९ में शब्द "eighteen rupees, twelve annas" के स्थान पर शब्द "eighteen rupees and seventy-five naye paise" रख दिये जायं ;

(१२) अनुच्छेद २० और २१ में शब्द "thirty-seven rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "thirty-seven rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं; और

(१३) अनुच्छेद २२ में शब्द "twelve rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "twelve rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं ।

६—मूल अधिनियम की अनुसूची ३ (Schedule III) के संलग्नक (Annexures) "A" और "B" में, "a" और "p" के निमित्त दो स्तम्भों के स्थान पर "nP" शीर्षक वाला एक स्तम्भ रख दिया जाय । ऐक्ट ७, १८७० की अनुसूची ३ का संशोधन ।

---

## उद्देश्य और कारण

देश में सिक्कों की दाशमिक प्रणाली के प्रचलन के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि (उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित) कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० में कोर्ट फीस की वर्तमान दरों तथा पुरानी मुद्राओं के विभिन्न अन्य अभिदेशों को दाशमिक सिक्कों में प्रकट किया जाय । इसी उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

सीताराम,
परिवहन मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२४ पर)

## उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८

इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का

### विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यह संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय:

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ; — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ;

(३) यह १ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित होगा।

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ दिया जाय : — ऐक्ट २, १८९९ की धारा ३ का संशोधन।

"*Explanation*—Where the amount of duty prescribed in Schedule I-B contains any fraction of a rupee below twenty-five naye paise, or above twenty-five naye paise but below fifty naye paise, or above fifty naye paise but below seventy-five naye paise, or above seventy-five naye paise but below one rupee, the proper duty shall be an amount rounded off to the next higher quarter of a rupee as hereinafter appearing in the said schedule".

३—मूल अधिनियम की धारा ४ (१) में शब्द "two rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं। — ऐक्ट २, १८९९ की धारा ४ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ६ के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "two rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "three rupees" रख दिये जायं। — ऐक्ट २, १८९९ की धारा ६ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की अनुसूची १-बी में:

(क) अनन्वित खंड में शीर्षक "Schedule I-B" के अन्तर्गत आने वाले शब्द "Under the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952" के स्थान पर शब्द "Under the Indian Stamp Act, 1899 as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh" रख दिये जायं। — ऐक्ट २, १८९९ की अनुसूची १-बी।

(ख) प्रथम स्तम्भ में अनुच्छेद २४ में शब्द "one rupee, eight annas" के स्थान पर शब्द "one rupee and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(ग) द्वितीय स्तम्भ में:

(१) अनुच्छेद १ में शब्द "four annas" के स्थान पर शब्द "twenty-five naye paise" रख दिये जायं;

(२) अनुच्छेद ५ में शब्द "eight annas" और "four annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "fifty naye paise" और "twenty-five naye paise" रख दिये जायं;

(३) अनुच्छेद ६ (२) (ए) में अक्षर "p" तथा उसके नीचे आने वाले समस्त शून्य निकाल दिये जायं तथा अक्षर "a" के स्थान पर अक्षर "nP" रख दिये जायं तथा "a" के अधीन आने वाले अंक "4", "8" तथा "12" के स्थान पर, क्रमशः अंक "25", "50" तथा "75" रख दिये जायं।

(४) अनुच्छेद ७ में शब्द "eighteen rupees, twelve annas" तथा "thirty-seven rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "eighteen rupees and seventy-five naye paise" तथा "thirty-seven rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(५) अनुच्छेद १५ में शब्द "four annas", "eight annas"। "seven rupees, eight annas" और "ten rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-five naye paise", fifty naye paise", "seven rupees and fifty naye paise" तथा "ten rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(६) अनुच्छेद १८ में शब्द "four annas" और "eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-five naye paise" और fiftynaye paise" रख दिये जायं ;

(७) अनुच्छेद १९ में शब्द "four annas" के स्थान पर शब्द "twenty-five naye paise" रख दिये जायं;

(८) अनुच्छेद २४ में शब्द "one rupee, eight annas" और "two rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise" और "two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(९) अनुच्छेद २५-ए में शब्द "two rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "two rupees and fitfy naye paise" रख दिये जायं;

(१०) अनुच्छेद २८ और ३६ में शब्द "four annas" के स्थान पर शब्द "twenty-five naye paise" रख दिये जायं;

(११) अनुच्छेद ४० (ग) में शब्द "one rupee, four annas" के स्थान पर शब्द "one rupee and twenty-five naye paise" रख दिये जायं;

(१२) अनुच्छेद ४१ में शब्द "four annas" और "eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-five naye paise" और "fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(१३) अनुच्छेद ४३ में शब्द "eight annas", "twenty-three rupees, eight annas" और "four annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "fifty naye paise", "twenty-three rupees and fifty naye paise" और "twenty-five naye paise" रख दिये जायं;

(१४) अनुच्छेद ४४ में शब्द "one rupee, eight annas" के स्थान पर शब्द "one rupee and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(१५) अनुच्छेद ४८ में शब्द "one rupee, eight annas" और "two rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise" और "two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(१६) अनुच्छेद ६० में शब्द "four annas" के स्थान पर शब्द "twenty-five naye paise" रख दिये जायं;

(१७) अनुच्छेद ६२ (बी) में शब्द "seven rupees, eight annas" और "ten rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "seven rupees and fifty naye paise" और "ten rupees and fifty naye paise" रख दिये जाय।

---

## उद्देश्य और कारण

देश में सिक्कों की दाशमिक प्रणाली के प्रचलन के फल स्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि (उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित) इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ में वर्तमान स्टैम्प ड्यूटी की दरों तथा पुरानी मुद्राओं के विभिन्न अन्य अभिदेशों को दाशमिक सिक्कों में प्रकट किया जाय। इसी उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। इस अवसर का उपयोग धारा ६ और अनुसूची १—बी के अनुच्छेद २५—बी के उपबन्धों के मध्य वर्त्तमान कुछ असंगति को दूर करने के लिये भी किया गया है।

सीताराम,
परिवहन मंत्री।

पी० एल० यू० पी० ए० पी—२८९ एल० ए०—१९५८—८१०।